तृतीय माला, खण्ड १९—अंक ३

शुक्रवार, १६ अगस्त, १९६३
२५ श्रावण, १८८५ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(पांचवां सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड १९ में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (छः पैसे) (विदेश में)

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित* प्रश्न संख्या ६१ से ६३ और ६५ से ७२ . . २९१—३१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६४, ७३ से ८४ तथा ८६ से ९० . . ३१८—२७

अतारांकित प्रश्न संख्या २१२ से २९६ . . . ३२७—६५

निधन सम्बन्धी उल्लेख ३६५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने वाली सूचना तथा स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . . . . ३६६—६८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ३६८—७४

भारत चीन सीमा पर चीनी सेनाओं के जमाव के बारे में वक्तव्य . . ३७४—८०
श्री जवाहरलाल नेहरू

विधेयक पुरस्थापित ३८१

१. सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (संशोधन) विधेयक . ३८१

२. सरकारी भूगृहादि (अवैधरूप से कब्जा करने वालों का निष्कासन) संशोधन विधेयक

परिसीमन विधेयक . . . . . ३८१—८५

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—

श्री यशपाल सिंह ३८१—८३

श्री ओझा . . . ३८३

श्री विभुधेन्द्र मिश्र . ३८३—८४

खंड २ से ३२ और १ . . . . ३८४—८५

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव. . .

श्री विभुधेन्द्र मिश्र ३८५

भारतीय उत्प्रवास (संशोधन) विधेयक . . . .

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव. . ३८६

श्रीमती लक्ष्मी मेनन . ३८६

श्री यलमंदा रेड्डी ३८६

श्री कृ० ल० मोरे ३८६

डा० मा० श्री० अणे . . ३८७

श्री श्यामलाल सर्राफ . ३८७

श्री सिंहासन सिंह . . . . ३८७—८९

खंड २ से १७ और १ . . . . .

पारित करने का प्रस्ताव ३९०

श्रीमती लक्ष्मी मेनन ३९०

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

शेष मुख पृष्ठ तीन पर देखिये

लोक सभा

शुक्रवार, १६ अगस्त, १९६३
२५ श्रावण, १८८५ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बोकारो इस्पात संयंत्र

+

श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री विभूति मिश्र :
श्री य० ना० सिंह :
श्री बूटा सिंह :
श्री हेम बरुआ :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री मुरारका :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
†*६१. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री सरजू पाण्डेय :

†मूल अंग्रेजी में

874(Ai)LSD—1.

श्री मोहन स्वरूप :
श्री कोल्ला वैंकैया :
श्री गो० महन्ती :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री कपूर सिंह :
श्री गुलशन :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० के० देव :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री महेश्वर नायक :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री व० बा० गांधी :
श्री कजरोलकर :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीकी सरकार की सहायता से सरकारी क्षेत्र में बोकारो संयंत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में यदि कोई प्रगति हुई है तो वह क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्र ने प्रस्तावित बोकारो इस्पात संयंत्र को चलाने के लिये एक बिल्कुल नई कम्पनी स्थापित करने का निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका संगठनात्मक ढांचा क्या होगा ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) उन इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिये आवश्यक प्रारम्भिक कार्यवाही जो अधिकतर विदेशी सहायता पर निर्भर नहीं है, अर्थात् भूमि अर्जन, जल, विद्युत, कच्चा सामान की व्यवस्था तथा उनका लाना ले जाना आदि पहिले ही किया जा रहा है।

(ख) जी हां ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री यशपाल सिंह : क्या अमरीका के अलावा किसी और देश से भी इस मामले में बातचीत की गई है ?

†**श्री प्र० चं० सेठी :** जी नहीं ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि अगर सरकार सो-काल्ड समाजवाद से पहले स्टील को सोचती तो, अब तक यह कारखाना बन जाता ?

†**श्री प्र० चं० सेठी :** यह काल्पनिक प्रश्न है ।

†**श्री दाजी :** क्या हमने अमरीका सरकार की प्रसन्नता के लिए प्रतीक्षा करने की कोई अन्तिम तारीख निश्चित कर ली है या हम समूचा मामला अमरीकी सरकार की कृपा पर ही छोड़ देंगे और उन्हें निश्चय करने देंगे कि कब सहायता देंगे या देंगे भी या नहीं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** इस प्रकार का कोई टिप्पण नहीं होना चाहिए ।

†**श्री दाजी :** क्या हम सर्वथा उन पर निर्भर हैं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अन्तिम तारीख क्या है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) :** क्या हम विशेषकर कांग्रेस की कार्यवाही के लिये कोई तारीख निर्धारित नहीं कर सकते । जिस प्रकार यह संसद् सार्वभौम सम्पन्न निकाय है, उसी प्रकार अमरीकी कांग्रेस भी सार्वभौम सम्पन्न है । हम कोई शर्त नहीं रख सकते ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया :** क्या यह सच है कि अमरीकी सरकार हमें वित्तीय सहायता देने में झिजक रही है क्योंकि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में हमारी उत्पादनलागत अधिक आती है ? यदि हां, तो देश में उत्पादन लागत को कम करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** यही सही नहीं है ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** क्या यह सच है कि अमरीकी सरकार ने ऐसा कोई संकेत दिया है कि यदि इस परियोजना को गैर-सरकारी क्षेत्र में रखा जाये, तो वह सहायता कर सकेगी ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** मुझे ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है ।

†**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :** क्या सरकार ने संयंत्र के प्रबन्ध के बारे में कोई निश्चय कर लिया है, और यदि हां, तो क्या अमरीका उससे सहमत है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** नहीं, अभी यह स्थिति नहीं आई है ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ :** दीर्घकालिक पत्रव्यवहार तथा वार्ता से क्या स्थिति बनी है और परियोजना का तात्कालिक भविष्य क्या होगा ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** अब मामला अमरीकी सरकार के विचाराधीन है ।

†**डा० पू० श० देशमुख :** क्या सरकार को विदित है कि इस देश में सरकारी क्षेत्र के बारे में अमरीकी जनता तथा सीनेटरों में पूर्ण भ्रम है ? यदि हां, तो क्या उन्हें इस देश में सरकारी

---

†मूल अंग्रेजी में

क्षेत्र की ठीक स्थिति समझने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है या बेचारे मि० गालब्रेथ पर ही छोड़ दिया गया है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** हम भी भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ भी हो, यह नई बात नहीं है। परन्तु हमें सरकारी क्षेत्र के बारे में कुछ व्यक्तियों के प्रतिकूल विचारों का ध्यान रखना है ।

†**श्री हेम बरुआ :** अमरीकी वित्तीय सहायता देने में देर करने के क्या कारण हैं ? क्या कारण टैक्निकल, आर्थिक, राजनीतिक या वैचारिक हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** विलम्ब के लिए शायद ये सभी कारण हैं। परन्तु अन्त में इस बारे में कांग्रेस को निश्चय करना होगा। माननीय सदस्य जानते हैं कि कांग्रेस की उप-समिति अभी इस मामले पर विचार कर रही है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या सीनेट की उप-समिति के समक्ष प्रो० गालब्रेथ की साक्ष्य के उस समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया जिसमें कहा गया है कि उन्होंने कहा था कि यदि अमरीकी सहायता नहीं दी गई, तो उनके विचारानुसार संभव है कि यह संयंत्र स्थापित न हो ? क्या सरकार इस बात से सहमत है या अपने पुराने आश्वासन पर दृढ़ है कि वह इस संयंत्र को स्थापित करेगी चाहे अमरीकी सहायता मिले या न मिले ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** मैं ने सभा को एक से अधिक बार सरकार का रवैया बताया है कि यदि अमरीकी सहायता नहीं मिलती, तो भी हम बोकारो संयंत्र स्थापित करेंगे।

श्री राम सेवक यादव : मैं जानना चाहता हूं कि बुकारो स्टील प्लांट के लिए सहायता मिलने में इसलिए देरी हो रही है कि वह सार्वजनिक क्षेत्र में है ? क्या भारत सरकार ने अमरीका को यह बता दिया है कि चाहे जमशेदपुर का निजी उद्योग हो या रूरकेला के या इसी तरह के दूसरे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हों, उनमें कोई फर्क नहीं है, सब एक ही जैसे हैं ?

†**श्री प्र० चं० सेठी :** जहां तक निजी और सरकारी क्षेत्रों का सम्बन्ध है, भारत में निजी क्षेत्र ने भी कहा है बोकारो संयंत्र बन सकता है ।

श्री बड़े : आप तो हिन्दी में बोल सकते हैं, हिन्दी में जवाब दीजिए।

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का सम्बन्ध है, निजी क्षेत्र की ओर से भी यह बात कही गयी है कि अब पब्लिक सैक्टर में ही नया स्टील प्लांट बनाना उत्तम होगा।

डा० राम मनोहर लोहिया : सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में गैर बराबरी एक जैसी ही है क्या यह बात भारत सरकार ने अमरीका को बता दी है, क्योंकि रूरकेला के एक हजार अफसर एक महीने में करीब करीब बीस लाख रुपये तनख्वाह और दूसरी सुविधाओं के रूप में पाते हैं और तीस हजार मजदूर ३० लाख रुपया ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह अलग बात है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या सभा विनियोग उप-समिति के सभापति के इस वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है कि यदि वे भारत इस्पात केवल भेजें, तो इससे अमरीका को सहायता मिलेगी और वहां अमरीका में इस्पात बनाकर भारत को देने से उसे अधिक लाभ होगा। क्या हमें सहायता देने से मना करने का यही वास्तविक कारण है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : इसमें कोई हानि नहीं है कि अमरीकी लोग इसे अपने ही दृष्टिकोण से देखें, जैसे कि हम सब बातों को अपनी दृष्टि से देखते हैं, परन्तु हमारे बोकारो इस्पात संयंत्र को उनकी सहायता के बारे में निश्चय वही करेंगे।

†**श्री मुरारका** : बोकारो के सम्बन्ध में विलम्ब होने से हमारी तीसरी योजना में इस्पात के उत्पादन लक्ष्यों पर कितना प्रभाव पड़ेगा ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मैं पहिले ही बता चुका हूं कि बोकारो इस्पात संयंत्र से तीसरी योजना-काल में उत्पादन प्राप्त न होगा। इतना प्रभाव पड़ेगा।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : कुछ समाचार-पत्रों में पीछे यह प्रकाशित हुआ कि भारत के इस्पात मंत्री अमरीका में भारत स्थित राजदूत और अमरीकी अधिकारियों से भी मिले थे। क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस बातचीत के परिणामस्वरूप वह किस परिणाम पर पहुंचे। आया हमको सहायता प्राप्त होगी या नहीं, और कब तक इस मामले में अन्तिम निर्णय कर लिया जायेगा ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मैं अमरीका प्रतिनिधियों से मिला और उन्होंने बताया कि वहां क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मामले पर विचार कर रही है और हमें कांग्रेस के निश्चय की प्रतीक्षा करनी है।

सोने के आभूषणों का निर्यात

\+

*६२. **श्री भागवत झा आजाद** :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री सुबोध हंसदा :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सोने के आभूषण तथा सोने से बनी अन्य वस्तुओं के निर्यात के लिए कोई विशेष योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा की मेज पर रखा जाता है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. १४४४/६३]

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या इस योजना के लागू होन के बाद १४ कैरेट से कम शुद्धता के सोने के आभूषणों के निर्यात की कोई मांग हुई है जैसे कि विवरण के भाग ४ में बताया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : योजना १ जुलाई से लागू हुई है और अभी वास्तविक परिणाम का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, परन्तु हम नहीं समझते कि इसमें कोई बाधा होगी। इस योजना से सोने के आभूषणों का निर्यात बढ़ना चाहिये।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्योंकि बहुत प्रचार हुआ है और योजना में उल्लेख है कि वे १४ या उससे कम कैरेट सोने के आभूषणों के निर्यात के लिए उपबन्ध कर रहे हैं, क्या योजना के लागू होने के बाद ऐसे वस्तुओं की कोई मांग हुई है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : योजना १ जुलाई, १९६३ को लागू हुई थी, जिसके आंकड़े अगस्त के अन्त तक प्राप्त होंगे। अतः मैं कोई अनुमान व्यक्त नहीं कर सकता ; मैं यह कह सकता हूं कि योजना व्यापार प्रतिनिधियों के परामर्श से भली प्रकार बनाई गई है और हमें किसी कठिनाई की आशा नहीं है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री सुबोध हंसदा।

†**श्री सुबोध हंसदा** : विवरण से पता लगता है कि मुख्य बातें चार भागों में विभक्त हैं। भाग २ और भाग ४ में कहा गया है कि भुगतान विदेशी मुद्रा में या विदेशी चलार्थ यात्री चैक से होगा। भाग १ और भाग ३ के बारे में भुगतान कैसे होगा ?

†**श्री मनुभाई (सहंदा)** : वस्तुतः यह योजना सोना नियंत्रण निगमों के लागू होने के बाद सोने के आभूषणों का विक्रय बढ़ाने के लिए है। सोने के प्रयोग देश में लगे प्रतिबन्धों के कारण अनेक कठिनाइयां थीं जो हमें भारत के स्वर्ण-नियमों के अनुसार हटाने पड़े या बदलने और योजना में भी यही प्रयत्न किये गये हैं। वास्तव में सभा को जानकर प्रसन्नता होगी कि जड़े तथा व जड़े हीरे जवाहरात आदि सहित आभूषणों के कुल निर्यात में निरन्तर वृद्धि हो रही है । पिछले वर्ष ९,८३,००,००० रुपये के मूल्य के आभूषणों का निर्यात हुआ।

†**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** : हम समझते हैं कि १४ कैरेट से अधिक शुद्धता के सोने के आभूषण तथा सोने की वस्तुयें केवल निर्यात के लिए बनाई जाती है । उन आभूषणों तथा वस्तुओं का क्या होगा जिनका निर्यात न होता हो या जो छोड़ दिये जाते हैं ? क्या व देश में खुले बाजार में बेच दिये जायेंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वे आवद्ध भाण्डागारों में बेचे जायेंग जैसा कि योजना में बताया गया है। जहां तक १४ या उससे अधिक कैरेट सोने का सम्बन्ध है, उसका चुनाव, संवरण आबद्ध भाण्डागारों में होगा और वह वहीं रखा जायगा। देश में ऐसे १०० भाण्डागार होंगे। जहां तक १४ कैरेट से कम शुद्धता के सोने का सम्बन्ध है, वह देश में ही बेचा जा सकता है।

†**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** : उनका क्या होगा जो छूट गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : यह केवल आदेशानुसार होगा।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : पटल पर रखे गये विवरण की अन्तिम दो कण्डिकाओं में निर्यात के लिए कुछ प्रोत्साहन दिये गये हैं। क्या सरकार को डर है कि स्वर्ण नियंत्रण आदेश के लागू होने के कारण ऐसे आभूषण जो पहिले, अर्थात् सोना नियंत्रण आदेश होने से पहले देश में पर्याप्त मात्रा में थे, निकट भविष्य में कम हो जायेंगे और यदि हां, तो देश की विदेशी मुद्रा पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।

†**श्री मनुभाई शाह** : जहां तक समूचे रूप में आभूषणों का सबध है, मैंने सभा को बताया था कि इसमें पर्याप्त वृद्धि हो रही है। परन्तु, जहां सोने के आभूषणों का संबंध है, वह पहिले भी कम था। यह अधिकतर हीरे, प्लेटीनम के आभूषण, चांदी के आभूषण थे और थोड़े से सोने के आभूषण थे। आप देखेंगे कि अयोजना में अधिक महत्वपूर्ण देश की आन्तरिक सामाजिक तथा आर्थिक नीति है। हम जो थोड़ी विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हैं, यदि वर्तमान योजना लागू नहीं होती, तो यह हमें बदलनी होगी। अन्यथा आभूषणों के अन्य प्रकार के आभूषणों को बढ़ावा दिया जायेगा ताकि किसी भी थोड़ी हानि को पूरा किया जा सके।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस दृष्टि से कि सामान्य छोटा स्वर्णकार १४ कैरट का सोना खरीदने में असमर्थ है, क्या इससे वास्तव में बड़े-बड़े स्वणकारों को लाभ होगा जो चोर बाजार से सोना खरीद सकते हैं, और क्या सरकार सरकारी निकाय के अन्तर्गत, अर्थात् राज्य व्यापार निगम के अन्तर्गत इन आभूषणों का आबद्ध भाण्डागार योजना के अन्तगत निर्यात खोलेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वास्तव में, कुछ स्वर्णकार योजना के अन्तर्गत हैं और उन्हें अधिक-लाभ होगा क्योंकि उन्हें देश में केवल १४ कैरट का ही सोना नहीं मिलेगा अपितु २२ कैरट का और उससे कम का भी मिलेगा। सोने का वितरण रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के नियमानुसार मंत्रालय करेगा।

श्री बड़े : जरी का कपड़ा और जरी का काम किया हुआ सामान आगरे में जहां फौरेन मर्चेंट्स आते हैं वहां दुकानों के ऊपर ऐग्जिबिट करने के वास्ते नहीं दिया गया है जिससे कि फौरेन एक्सचेंज का बहुत नुकसान होता है, क्या यह बात सच है और क्या शासन के पास इस बारे में शिकायत पहुंची है ?

श्री मनुभाई शाह : आगरे में काफी माल जाता है लेकिन वह कोई गोल्ड व ज्वैलरी नहीं है वह तो ऐलाबास्टर और आईवरी का मामला है और उनका ऐक्सपोर्ट बहुत बढ़ रहा है। अभी हमारा संबंध सोने के आभूषणों से है। आगरे में दुकानें भी खोली गई हैं। उनके अन्दर उनको फौरेन ऐक्सचेंज के लिए पैसा मिलता है और उसका ऐक्सपोर्ट बहुत बढ़ रहा है।

श्री ओंकार लाल बेरवा : जो सोने के आभूषण विदेशों को निर्यात किये जायेंगे वह हमारे हिन्दुस्तान के रेट से ज्यादा के होंगे या कम रेट के होंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मनुभाई शाह : अब रेट का मामला ऐसा है कि वह तो जैसा व्यापारी खरीदने वाला और जैसा बेचने वाला होगा उस पर निर्भर करेगा। उनका कोई रेट यहां से तय नहीं किया जाता है।

श्री सरजू पाण्डेय : जैसा कि स्टेटमैंट में कहा गया है कि कुछ खास मखसूस जगहों पर ही यह गहने बेचे और खरीदे जायेंगे तो मैं जानना चाहूंगा कि देश में कौन कौन ऐसे स्थान निश्चित किये गये हैं ?

श्री मनुभाई शाह : चौदह कैरेट के ऊपर वाली १०० दुकानें सारे देश में बौंडेड वेयरहाउसेज के तौर पर तय की जायेंगी। जितने छोटे छोटे स्वर्णकार लोग हैं वे अपना अपना माल वहां आकर उन दुकानों को बेचेंगे जिनके कि द्वारा वे आभूषण विदेशी लोगों को दिये जायेंगे।

श्री राम सहाय पाण्डेय : ऐक्सपोर्ट को दृष्टि में रखते हुए भारतीय प्रदर्शिनी जो रूस में हो रही है उसमें जो भारत में बने आभूषण प्रदर्शित किये गये उनको क्या रिस्पौंस मिला है ?

श्री मनुभाई शाह : इंडियन ट्रेड ऐग्जिविशन इन मास्को पर सवाल अभी आ रहा है तब इसको पूछा जा सकता है।

†**डा० सरोजिनी महिषी** : १९६३–६४ में सोने के आभूषणों का निर्यात होने की आशा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : लक्ष्य कोई नहीं है। योजना अभी आरम्भ हुई है। जहां तक हीरों, बहुमूल्य जवाहरातों आभूषणों, आभूषण अतिरिक्त, बनें आभूषण, प्लेटीनम, आदि का संबंध है, आगामी दो वर्षों में हम २० करोड़ रु० का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : इन १०० दुकानों का चुनाव किस आधार पर होगा और क्या अखिल भारतीय हस्तशिल्पि बोर्ड के अतिरिक्त अन्य किसी राज्य में भी पंजीयन का प्रबन्ध किया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : अखिल भारतीय हस्तशिल्पि बोड बोर्डशीर्ष निकाय है। यहां दुकानें नहीं होगी। वे देशभर में होंगी और उनका होना स्थानी व्यापार पर निर्भर होगा। उदाहरणार्थ, जयपुर में बम्बई जैसी बड़ी दुकानें न होगी। जिन राज्यों में आभूषणों का अधिक प्रचलन है, वहां आधक केन्द्र होंगे। यह सब आभूषण व्यापार स्थान पर निर्भर होगा।

†**श्री भागवत झा आजाद** : देश में आवांछित १४ कैरेट के आभूषणों को प्रोत्साहन देने के लिए अन्तिम कण्डिका में उल्लिखित इन वस्तुओं के आयात पर सरकार कितनी विदेशी मुद्रा व्यय करेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : पहिले ही उत्तर दे चुका हूँ कि कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं है।

---

†मूल अंग्रजी में

जनेवा में 'व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार' सम्मेलन

+

†*६३. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री प्र० के० देव :
श्री बूटा सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री अ० व० राघवन :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में उन्होंने जेनेवा में व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार के एक सम्मेलन में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किन विषयों पर चर्चा की गई थी; और

(ग) जहां तक भारत के व्यापार तथा वाणिज्य का सम्बन्ध है इससे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग) व्यापार तथा प्रशुल्क संबंधी सामान्य करार के मंत्री सम्मेलन में जो मई १९६३ में हुआ था, स्वीकार हुए संकल्पों के साथ भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल का प्रतिवेदन पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया (देखिये संख्या एल०टी० १४४५/६३]।**

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या माननीय मंत्री की स्पष्टता, बल तथा शक्ति के प्रयोग का सम्मेलन पर वांछित प्रभाव पड़ा, और क्या उन्होंने इस सम्मेलन में योरोप के देशों के साथ भारत के निर्यात का मामला उठाने का अवसर प्राप्त किया जिसके बारे में सरकार हमें अनेक बातें बता चुकी है ? क्या सरकार का विचार विवरण की कण्डिका ३ में अंकित मामलों के बारे में भी योरोपीय देशों के साथ द्वि-पक्षीय बातें आगे करने का है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : माननीय मंत्री के प्रश्न के प्रथम भाग के बारे में, भारत ने संसार के सभी अल्पविकसित देशों की ओर से, जिनकी जनसंख्या संसार की जनसंख्या की ७२

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिशत से अधिक है, तर्क प्रस्तुत किया कि "कनेडी राउण्ड" वार्ता तत्काल होनी चाहिये, हमें आज जिन देशपार अनेक शुल्कों का सामना करना पड़ता है वे घटाकर आधी कर देनी चाहिये, अपवाद सूची में समझौता पक्षों द्वारा न्यूनतम शुल्क लगाये जाने चाहिये, और इसलिए अल्प-विकसित देशों के हित का कोई भी शुल्क अपवाद सूची में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये। शुल्कातिरिक्त कठिनाई के बारे में हमने आग्रह किया है सभी कोटा प्रतिबन्ध समाप्त होने चाहिये और अन्य शुल्कों जिनसे अल्प विकसित देशों का उद्योगीकृत संसार से निर्यात-व्यापार नहीं बढ़ता, वे भी समाप्त की जानी चाहिये। सभा को यह जानकार प्रसन्नता होगी कि व्यापार तथा प्रशुल्क संबंधी सामान्य करार ने इन दोनों बातों को सर्व सम्मति स्वीकार किया।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : विवरण के अन्तिम भाग में व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी 'कनेडी राउण्ड' वार्ता का उल्लेख है। यह "कनेडी राउण्ड" क्यों कही जाती है और आगामी वर्ष मई, १९६४ में "कनेडी राउण्ड" वार्ता का क्या प्रभाव होगा?

†**श्री मनुभाई शाह** : "कनेडी राउण्ड" अभिव्यक्ति आय प्रयोग होती है क्योंकि अमरीकी कांग्रेसे ने अमरीकी व्यापार अधिनियम, १९६२ नामक एक अधिनियम स्वीकार किया था। इसके द्वारा कांग्रेस ने अमरीकी राष्ट्रपति को अधिकार दिया कि वह संसार के सभी देशों से वार्ता करे और यह कार्यवाही प्रशुल्क-बाधाओं में कभी करना कहलाता है। प्रशुल्क इतिहास में पहली बार अमरीका जैसे बड़े देश ने कहा है कि कोई भी विना विस्तृत वार्ता के ५० प्रतिशत प्रशुल्क-बाधा हटा सकता है। सभा को विदित है कि भूत में केवल पण्य वस्तु के लिए दस वर्ष लगे थे और फिर भी कोई परिणाम नहीं निकला। पहली बार कांग्रेस ने अमरीकी राष्ट्रपति को संसार भर में सभी पण्य वस्तुओं पर ५० प्रति शत प्रशुल्क कम करने का अधिकार दिया है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : विवरण में उल्लेख है कि अल्प विकसित देशों का यह प्रोग्राम अन्त में कार्य समिति को सौंपा गया जो इसको कार्यान्वित करने में सहायता करने के लिए वनाई गई थी। क्या इसे कार्य समिति में भारत का भी प्रतिनिधि है और बाद में उस प्रोग्राम को लागू करने के लिए इस समिति ने क्या ठोस कार्यवाही की है?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस समिति में भारत के प्रतिनिधि है। वास्तव में, यह संकल्प हमने रखा था। इसमें वे आठ बातें हैं जो संकल्प में दी हैं। यह 'अष्ट-सूत्री कार्य प्रोग्राम कहा जाता है। जो समिति इसे बना रही भी उसका सभापतित्व भारत के उच्च वरिष्ठ अधिकारी ने किया। अभी केवल दो मास हुए हैं और कार्य-समिति की दो बैठकें हो चुकी हैं। विश्व व्यापार सम्मेलन से पहले इस समूचे प्रश्न पर विचार किया जायेगा कि प्रशुल्क तथा प्रशुल्कातिरिक्त वाधाओं को हटाने के लिए क्या कार्यवाही की जानी चाहिये।

†**श्री प्र० के० देव** : अल्प-विकसिट्ठ देशों के व्यापार के लिए की गई अनेक सिफारिशों के अतिरिक्त अनुरोध किया गया है कि:

> "अल्प विकसित देशों की आवश्यकताओं तथा निर्यात से उनकी चालू आय के बीच अन्तर इतना अधिक है कि उपरोक्त कार्यवाही भी पूर्णतया पर्याप्त न होगी।"

---

†मूल अंग्रेजी में

यदि कार्यवाही पर्याप्त नही समझी जाती तो हमारे निर्यात व्यापार में सुधार के लिए क्या अन्य कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मुझे प्रसन्नता है कि यह प्रश्न पूछा गया है। समूची विश्व वार्ता का स्वागत है और फिर भी हम उनपर निर्भर नहीं हैं। इस देश का निर्यात संवर्धन पूर्णतया स्वदेशी आधार पर होगा। यह केवल संकेतक के रूप में रहेगा जिससे आयात की वृद्धि में सुविधा होगी वशर्ते कि हम वास्तव में व्यापार में शक्तिशाली देश बनना चाहते हैं।

श्री भक्त दर्शन : माननीय मंत्री जी ने भारत के तथा दूसरे अल्प विकसित देशों की जो वकालत की है, उसकी प्रशंसा करते हुए मैं निश्चित रूप से यह जानना चाहता हूं कि इस सम्मेलन के द्वारा हमारे देश को क्या लाभ पहुंचा है तथा भविष्य में क्या लाभ पहुंचने की आशा की जाती है ?

श्री मनुभाई शाह : इसका जबाब अभी मैंने अभ में दिया है। पहला लाभ यह होगा कि सारी दुनिया में जो जो चीज़ें आयात और निर्यात होती हैं, उनके बीच जो दीवालें खड़ी हैं, वे पचास परसेंट कम हो जायेंगी। एक एमेंडमेंट यह भी रखा गया है कि जहां जहां दीवाले हैं और उससे भी ऊंची हैं, तो टैरिफ वाले स्केल करने के लिये पचास परसेंट से भी ज्यादा कट करना पड़े तो ऐसा करने के लिय यू० एस० कांग्रेस के पास कनैडी साहब जायेंगे।

दूसरे जो कोटा रेस्ट्रिकशंज़ हैं, उनको हटाया जाए। जैसे हिन्दुस्तान से अभी सोइंग मशींज़ आज चार लाख ड्यूश मार्क से ज्यादा की जर्मनी में नहीं भेजी जा सकती है। इस रेजोल्यूशन के पास होने के बाद और इस पर अमल शुरू होने से बाद वे कोटा रेस्ट्रिकशंज़ भी हटानी पडेंगी ताकि दूसरे लोग वहां कम्पीट कर सकें, जो वे चीज़ें भेज सकते हैं, भज सकें। यह बात मैं ने केवल उदहरण के तौर पर ही कही है। सैंकड़ों और हजारों चीज़ों पर प्रतिबन्ध हैं और ये सब जो कोटा रेस्ट्रिकशंज़ हैं, इनको निकालना पड़ेगा।

तीसरे कई बार ऐसा होता है कि कोटा रेस्ट्रिकशंज़ तो निकाल दिये जाते हैं और जो ड्यूटी है, उसको भी कम कर दिया जाता है लेकिन अन्दर की म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा तथा कारपोरेशन के द्वारा एक इंटरनली ड्यूटी लगा दी जाती है। जैसे हमारी चाय है। उस चाय पर आज १८ परसेंट ड्यूटी है जर्मनी में लेकिन १४९ या १५० परसेंट ड्यूटी है फ्रेंकफर्ट में या और बड़े शहरों में। प्रस्ताव के द्वारा या म्यूनिसिपैलिटीज़ के द्वारा ये जो ड्यूटीज़ लगाई जाती है, वे भी कम कराने की कोशिश की गई है।

श्री म० ला० द्विवेदी : इस स्टटमेंट के पृष्ठ ४ पर लिखा हुआ है ...

†**अध्यक्ष महोदय** : केवल प्रश्न पूछिये।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि कौन कौन से देश हैं जो यह सुविधा अब भी दे रहे थे और और अब कौन से देंगे।

श्री मनुभाई शाह : यह कमोडिटी को एप्लाई करता है न कि देश को।

†**श्री मनुभाई शाह** : "समझौता पक्ष" का अर्थ है वे स्वाधीन देश जो व्यापार तथा प्रशुल्क सबंधी सामान्य करार के सदस्य हैं। यदि एक बार समझौते वाला कोई देश यह निश्चय कर ले कि वह धीरे धीरे अपने प्रशुल्क प्रतिबन्ध हटा लेगा, यदि उस के पास कुछ संवेदनशील बातें हैं,

---

†मूल अंग्रेजी में

जिन्हें वे शिशु उद्योग कहते हैं, तो ऐसी पण्य वस्तु विवाचन व्यवस्था के अधीन होगी, जिसे व्यापार वार्ता-समिति कहा जाता है। व्यापार-वार्ता-समिति में हमारे प्रतिनिधि हैं। प्रत्येक अल्प विकसित देश को वहां यह कहने का अवसर दिया जायगा कि उस देश के हित की वह विशिष्ट पण्य-वस्तु स्वीकृति-सूची में क्यों सम्मिलित न की जाय। पंचाट संबंधी यदि व्यापार-वार्ता-समिति सन्तुष्ठ न हो तो उसे स्वीकृति-सूची से अलग नहीं रखा जायगा ।

श्री रामेश्वर टांटिया : इस मीटिंग के फलस्वरूप हमारी एक्स्पोर्टस में कुछ बढ़ोत्तरी होगी क्या और अगर होगी तो किन किन चीज़ों की और किन किन देशों को वे भेजी जायेंगी ?

श्री मनुभाई शाह : एक्स्पोर्ट करने में इससे मदद मिलेगी । बढ़ाना या न बढ़ाना हमारे हाथ है, उनके हाथ में नहीं है ।

मास्को में भारतीय व्यापार प्रदर्शनी

+

†*६५. **श्री यशपाल सिंह**
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री गुलशन :
श्री बूटा सिंह :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री द्वारका दास मंत्री
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मास्को में जुलाई में एक भारतीय व्यापार और औद्योगिक प्रदर्शनी हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका प्रयोजन क्या है और उसमें कुल कितनी लागत लगी है ; और

(ग) भारतीय दृष्टिकोण से यह प्रदर्शनी कत कहां तक सफल रही है ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां। आजकल मास्को में एक भारतीय प्रदर्शनी हो रही है । २० जुलाई, १९६३ को इसका उद्घाटन हुआ था, और इसकी अन्तिम तारीख १९ अगस्त, १९६३ है।

(ख) प्रदर्शनी का प्रयोजन भारत तथा रूस के बीच व्यापार तथा सद्भावना में वृद्धि करना है। पूव निुमानित लागत लगभग ८४ लाख रु० होने का अनुमान है । क्योंकि अभी प्रदर्शनी चल रही है, निश्चित राशि का पता प्रदर्शनी के सभी खातों के पूर्ण होने पर ही लगेगा ।

(ग) प्रदर्शनी से रूसी तथा अन्य पूर्वी व पश्चिमी योरोपीय क्रयकर्ता संगठनों में भारतीय वस्तुओं के लिये पर्याप्त रुचि उत्पन्न हो गई है । आशा है कि इससे भारत को केवल रूस

---

†मल अंग्रजी में

के साथ ही नहीं अपितु पड़ोसी पूर्वी तथा पश्चिमी योरोपीय देशों के साथ अपना निर्यात बढ़ाने में तत्काल तथा दीर्घ कालीन लाभ होगा ।

श्री यशपाल सिंह : इस एग्जीबीशन के स्टार्ट होने के बाद से कितने नये आर्डर हमारे सामान के लिए इंडिया में आए हैं ?

श्री मनुभाई शाह : इस बात को बतलाना तो बहुत जल्दी होगा । लेकिन खुशी की बात यह है कि पंद्रह दिन में ही ग्यारह करोड़ के आर्डर आ गए हैं । इस से ही एग्ज़ीवीशन को जज करना ठीक नहीं होगा ।

श्री यशपाल सिंह : इस एग्जीबीशन पर कितना खर्चा आएगा ?

श्री मनुभाई शाह : ८४ लाख रुपये के करीब ।

श्री बागड़ी : इस एग्जीवीशन में श्रीमती इंदिरा गांधी भी शामिल हुई हैं । उनके ऊपर कितना खर्च आया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह अलग बात है । इसका प्रदर्शनी से कोई संबंध नहीं है । वह और प्रश्न पूछ सकते हैं ?

†**श्री काशीराम गुप्त :** इस एग्जीबीशन में किस किस किस्म का माल भेजा गया है और क्या वह माल रूस में खपता है या और किसी किस्म का माल भी है ।

श्री मनुभाई शाह : बीस लाख आइटम्स भेजी गई हैं और उनमें से ११ लाख २० हज़ार आइटम्स को शो किया गया और हर हफ्ते तीन लाख आइटम्स को दौहराया जाएगा ।

श्री बागड़ी : मैं ने जो प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर नहीं आया है । इंदिरा जी गई थी, उनके जाने पर कितना खर्च आया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने यह प्रश्न अस्वीकार कर दिया है ।

†**श्री मनुभाई शाह :** इस से पहले कि माननीय सदस्य का अवांछित लांछन कार्यवाही-विवरण में आये, मैं कहूंगा कि श्रीमती गान्धी वहां प्रदर्शनी के संबंध में कभी नहीं गईं । रूस सरकार ने उन्हें अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं ने वह प्रश्न अस्वीकार कर दिया था । माननीय मंत्री उन प्रश्नों का का उत्तर न दें जो मैंने अस्वीकार कर दिये हों ।

†**श्री श्याम लाल शर्राफ :** क्या मास्को में इस प्रदर्शनी के आरम्भ में होने से पहले कोई सर्वेक्षण हुआ था ताकि सरकार दोनों गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्रों में प्रदर्शनकर्ताओं की पहल कर सकी है कि वे वे ही वस्तुयें प्रदर्शित करें जिनका मास्को के बाजार पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़े ?

†**श्री मनुभाई शाह :** सर्वेक्षण के कारण ही वहां वस्तुओं को एकत्रित किया गया है ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** अब तक इस प्रदर्शनी को कुल कितने व्यक्तियों ने देखा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : पहिले बारह दिनों में लगभग १५ लाख व्यक्तियों ने प्रदर्शनी देखी।

†**श्री वसुमतारी** : इस प्रदर्शनी से क्या रूचि उत्पन्न हुई है ?

श्री मनु भाई शाह : मैं पहिले ही बता चुका हूं ।

†**श्री सेवक राम यादव** : इस प्रदर्शनी के सिलसिले में मंत्रालय की ओर से कितने लोग भेजे गए उसे देखने के लिये और उनको भेजे जाने की क्या क्या कसौटियां थीं ?

श्री मनुभाई शाह : मंत्रालयों से २६ आदमी भेजे गये और हिन्दुस्तान के . . .

श्री राम सेवक यादव : कौन कौन भेजे गए हैं . . .

श्री मनुभाई शाह : मेरे मंत्रालय के तथा दूसरे सम्बद्ध मंत्रालय जो हैं, उनके लोग भेजे गए हैं। . . .

श्री राम सेवक यादव : कर्मचारियों के अतिरिक्त और कौन लोग भेजे गए हैं ?

श्री मनुभाई शाह : कर्मचारियों के अलावा अगर मैं रह गया तो मैं भी गया था। कर्मचारी भी गए थे। १८५ इंडस्ट्रीज़ के बिजिनेसमैन गए थे ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या यह सच है कि मास्को में इस प्रदर्शनी का एक समाचार-चलचित्र भारत सरकार प्रचारार्थ अपने साधनों का प्रयोग न करके कुछ अमरीकी फिल्म कम्पनियों से बनवा रही है ?

श्री मनुभाई शाह : जी नहीं । समाचार चित्र हमारे लोग रूसी विशषज्ञों के साथ मिल कर बना रहे हैं। वास्तव में १००० से २००० फीट रंगीन फिल्म प्रदर्शनी के सभी पहलुओं पर बनाई जा रही है ।

श्री विश्राम प्रसाद : मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने माडल्स इण्डिया से इस प्रदर्शनी में भेजे गये।

†**श्री मनुभाई शाह** : प्रदर्शित सभी वस्तुयें माडल्स हैं ।

†**श्री दाजी** : उनका अभिप्राय जीवित माडलों से है ।

†**श्री मनुभाई शाह** : क्षमा कीजिये । हमने बम्बई का दल भेजा है जिसकी मुखिया मिस स्पेन्सर और एरिका लाल हैं। वस्त्रों के लिए सात माडल्स हैं ।

†**श्री स्वैल** : माननीय मंत्री ने कहा है कि प्रदर्शनी का मास्को तथा योरोप के देशों पर गहन प्रभाव पड़ेगा। क्या उन्होंने यह गारन्टी देने का विचार किया है कि बाद में इन देशों के आदेश पर भेजी गई वस्तुयें स्तर से नीचे की न हों जैसा कि सदैव होता है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस बारे में हमें कोई सन्देह नहीं है। वास्तव में प्रथम श्रेणी की वस्तुयें भजी जायेंगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री अ० प्र० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि इस प्रकार की प्रदर्शनी रूस में ही की जाएगी या और देशों में भी की जाएगी ?

श्री मनुभाई शाह : पहले तो हमने यह सोचा था कि इस प्रकार की छोटी छोटी प्रदर्शनी और देशों में भी करेंगे, लेकिन इस बारे में निर्णय इस प्रदर्शनी के पूरा हो जाने के बाद और इसका असेसमेंट कर लेने के बाद लिया जाएगा। इस प्रदर्शनी में हमने यूरोपियन देशों के प्राइम मिनिस्टरों, विदेश मंत्रियों और ट्रेड आरगेनाइजेशन्स के प्रतिनिधियों को बुलाया है। मंगोलिया के प्राइम मिनिस्टर भी आ गए हैं। इन सब की बातों की तुलना करेंगे और बाद में तै करेंगे कि भविष्य में क्या प्रोग्राम रखा जाए ।

नया इस्पात कारखाना

+

†*६६. **श्री श्रीनारयण दास :**
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती विमला देवी :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री कपूर सिंह :
श्री केसर लाल :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ में या किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर दस लाख टन की क्षमता का इस्पात कारखाना स्थापित करने के लिये फ्रांसीसी वित्तीय तथा तकनीकी सहयोग की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या वार्ता को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या करार हुआ है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** (क) से (ग). तीसरी पंचवर्षीय योजना में गोआ में कोई नया इस्पात कारखाना चालू करने की कोई व्यवस्था नहीं है। चौथी पंचवर्षीय योजना की आवश्यकताओं को देखते हुए दस लाख टन या उससे अधिक की क्षमता का एक इस्पात कारखाना गोआ-हौजपेठ में खोलने की आवश्यकता की छान बीन की जा रही है। इस परियोजना के लिये वित्तीय व्यवस्था के प्रश्न पर यथोचित समय पर विचार किया जायगा ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** क्या सरकारी या गैर-सरकारी स्तर पर कोई बातचीत चल रही है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) :** जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कपूर सिंह** : क्या इस प्रस्तावित इस्पात कारखाने में गोआ का सभी कच्चा लोहा संभवतः खप जायेगा या निर्यात के लिए भी कुछ बच जायेगा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : हम हमेशा ही निर्यात करते रहेंगे और यदि गोआ क्षेत्र का कच्चा लोहा समाप्त हो जाये तो अन्य प्रदेशों से कच्चा लोहा गोआ के जरिये निर्यात किया जा सकता है ।

श्री यशपाल सिंह : क्या फांस के अलावा किसी और देश के साथ भी इस मामले में कोई बातचीत हुई है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : जी नहीं, कोई बातचीत नहीं चल रही है ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या गोआ के अलावा, विशाखापतनम् से भी निर्यात करने का विचार है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मुख्य प्रश्न केवल गोआ प्रदेश से सम्बन्धित है ।

मशीनी औजारों का निर्माण

†*६७. **श्री इम्बीचि बावा** :
श्री प० कुन्हन :
श्री वारियार :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मशीनी औजार बनाने के लिये गैर-सरकारी फर्मों को जो लाइसेंस दिये गये थे उनमें से अनेक लाइसेंसों का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी क्षेत्र की इन परियोजनाओं को अपने हाथ में ले लेने का है; और

(घ) मशीनी औजारों सम्बन्धी तीसरी योजना के लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां ।

(ख) मशीनी औजार तैयार करने के लिये उत्पादन से सम्बद्ध काफी निवेश और पेचीदी कला की आवश्यकता होती है । विशेष कर दुर्लभ स्रोतों से विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में सतोष-जनक निर्माण कार्यक्रम बनाने और विदेशी सहयोग प्राप्त करने में कठिनाई और निवेश का अनुभव होता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) वर्तमान मशीनी औजारों के उत्पादन का काफी बड़ा हिस्सा सरकारी क्षेत्र तैयार करता है। गैर-सरकारी क्षेत्रों की कोई इकाइयों को अपने हाथ में लेने की कोई योजना नहीं है ।

(घ) विदेशों से मंगाई गई मशीनें, कच्चा माल और पुर्जों के सम्बन्ध में इस उद्योग की आवश्यकताओं उपलब्ध विदेशी मुद्रा के अनुसार, ऊंची प्राथमिकता दी जाती है । सरकारी क्षेत्र का भी विस्तार किया जा रहा है ।

श्री इम्बीचिबावा ने मलयालम में प्रश्न पूछा

†**श्री नम्बियार :** श्रीमन्, मैं उसका अनुवाद करूंगा : गैर-सरकारी क्षेत्र से उसे अपने हाथ में लेने के सम्बन्ध में सरकार के सामने क्या कठिनाई है ?

इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : इसका कोई कारण मुझे समझ में नहीं आता कि गैर-सरकारी क्षेत्र से उसे अपने हाथ में क्यों ले लिया जाये ।

†**श्री दाजी :** प्रश्न के भाग (क) का उत्तर बहुत अस्पष्ट है, मैं जानना चाहता हूं कि वास्तव में कितने लाइसेंस लिये गये थे जिनका उपयोग नहीं किया गया, और निश्चित लक्ष्य में कितने की कमी है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : अब तक कुल २०९ लाइसेंस जारी किये गये हैं। इनमें से ५९ लाइसेंस १९६२–६३ में दिये गये थे। केवल २६ योजनाओं में कुछ जान दिखाई पड़ रही है। यदि सभी में उत्पादन शुरू हो जाय, तो वह १९ करोड़ तक पहुंच सकता है ।

†**श्री दाजी :** मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया है। इस असमर्थता के कारण लक्ष्य में कितने की कमी रहेगी ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : इसी लिये हम सरकारी क्षेत्र में और अधिक विस्तार करने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि कमी को पूरा किया जा सके ।

†**श्री प० कुन्हन :** गैर-सरकारी क्षेत्र में किन किन इकाइयों ने उन लाइसेंसों का उपयोग नहीं किया है ।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : वह काफी बड़ी संख्या है। मैंने बताया है कि २०९ लाइसेंस जारी किये जा चुके हैं। केवल २६ योजनाओं के सम्बन्ध में ही कुछ सक्रिय कार्य हो रहा है ।

†**श्री काशीराम गुप्त :** जिन लोगों को लाइसेंस दिये गये हैं उन्होंने संभवत: किन कारणों से उन लाइसेंसों का उपयोग नहीं किया है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में वह बताया जा चुका है ?

†**श्री वासुदेवन नायर :** यह बताया गया है कि काफी संख्या में लाइसेंसों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। क्या लाइसेंस जारी करने से पहले सरकार ने उन गैर-सरकारी पक्षों की की क्षमता का अनुमान लगाया था कि वे इन परियोजनाओं को कहां तक कार्यान्वित कर सकेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : जब हम यह देखते हैं कि लाइसेन्सों का इस्तेमाल करने के लिये पर्याप्त कार्यवाही नहीं की जा रही है तब उन्हें काफी समय देने के बाद लाइसेन्स रद्द किये जा रहे हैं ।

†**श्री रंगा** : इन लोगों की कठिनाइयां दूर करने में उन्हें कुछ मदद करने की दृष्टि से क्या सरकार कोई सक्रिय और रचनात्मक कदम उठा रही है ताकि वे अपने वायदे पूरे कर सकें जो उन्होंने लाइसेंस लेते समय दिये थे ।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : जहां तक जरूरी है सरकार सभी संभव सहायता दे रही है । लेकिन यह गैर-सरकारी उद्यम है और वे यह आशा नहीं कर सकते कि सरकार सारी चीज़ अपने हाथ में ले ले ।

†**श्री जसवन्त मेहता** : इन लाइसेंसों का उपयोग न करने से तीसरी पंचवर्षीय योजना में कितनी कम हुई है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : हमारा अनुमान था कि सालाना ३० करोड़ रुपये तक उत्पादन पहुंच जायगा लेकिन हम सिर्फ़ २५ करोड़ रुपये तक ही पहुंच सकेंगे ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : कुल आवश्यकता का अंदाज लगाने के लिये क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है, कितनी प्रतिशत आवश्यकता देशी उत्पादन से और कितनी प्रतिशत निर्यात से पूरी की जाती है और उन लोगों के खिलाफ़ क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने लाइसेन्सों का इस्तेमाल नहीं किया है और अपने वायदे पूरे नहीं किये हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : अनुमान लगाया गया था कि तीसरी योजना की अवधि के अन्त तक लगभग ६० करोड़ रुपये के मशीनी औजारों की जरूरत पड़ेगी। इसमें से कम से कम ३० करोड़ रुपये के मशीनी औजार योजना में तैयार करने हैं लेकिन यहां तक भी न पहुंच सकेंगे, वह इससे कुछ कम रहेगा ?

†**डा० सरोजिनी महिषि** : देश में मशीनी औजारों की कुल आवश्यकता का कितना प्रतिशत गैर सरकारी क्षेत्र में संभवतः तैयार किया जायेगा और वह कहां तक प्राप्त कर लिया गया है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : गैर-सरकारी क्षेत्र में उत्पादन अभी तक लगभग ४ करोड़ रुपये का हुआ है ? शेष सरकारी क्षेत्र में तैयार किया जा रहा है ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : मैं जानना चाहता हूं कि क्या कुछ लाइसेंसधारों की सरकार के पास यह शिकायत आयी है कि उनको जो सुविधाऐं मिलनी चाहिएं वे नहीं दी जा रही हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी : उनकी आवश्यकतानुसार जो सुविधायें देने की जरूरत है वे दी जातीं हैं ।

श्री कछवाय : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि कुछ लोग जिनके पास लाइसेंस हैं वे उनका उपयोग नहीं करते ? यदि हां, तो क्या सरकार के सामने कोई तजवीज है कि उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएं और दूसरों को दे दिए जाएं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री प्र० चं० सेठी : यदि वे एक निश्चित अवधि के पश्चात् तक उनको अमल में नहीं लाते, तो उनको नोटिस देकर लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है और दूसरों को दे दिया जाता है ।

रूरकेला इस्पात संयंत्र का विस्तार

+

†*६८. **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री कोल्ला वेंकैया :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी और भारत के बीच रूरकेला इस्पात संयंत्र के विस्तार के लिए ४८ करोड़ रुपये का नया समझौता किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो समझौते की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) क्या रूरकेला के विस्तार कार्यक्रम के लिए मशीनें और उपकरण खरीदने के लिए कोई प्रतिनिधिमंडल पश्चिम जर्मनी गया है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) जी हां। रूरकेला इस्पात संयंत्र के विस्तार के लिए ४० करोड़ दूशमार्क के ऋण के करार पर २५ अप्रैल, १९६३ को पश्चिम जर्मनी और भारत ने हस्ताक्षर किये थे।

(ख) यह ऋण रूरकेला संयंत्र के विस्तार के लिए पश्चिम जर्मनी से प्राप्त सप्लाई और सेवाओं की लागत पूरी करने के लिए होगा। यह ऋण २० वर्ष की अवधि के लिए है और ५ ३/४ प्रतिशत की दर से उस पर ब्याज दिया जायेगा।

ऋण, करार की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

(ग) जी नहीं। लेकिन एक प्रतिनिधिमंडल ऋण भुगतान करने की प्रक्रिया तथा कुछ अन्य सम्बन्धित विषयों का फैसला करने के लिए गया था।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इस २० वर्ष की अवधि में ऐसी कोई अवधि है जब कि ब्याज नहीं दिया जायगा या २० वर्ष की अवधि में हम लगातार ब्याज देते रहेंगे ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : मैं समझता हूं कि ब्याज संपूर्ण २० वर्ष के लिए है। लेकिन अदायगी के लिए पांच वर्ष की अतिरिक्त अवधि है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या यह विस्तार की आखिरी किश्त है या इस संयंत्र के और अधिक विस्तार के लिए मंत्रालय के पास दूसरी योजनाएं भी हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : जी हां, चौथी योजना में रूरकेला संयंत्र का और अधिक विस्तार होगा ?

†**श्री त्यागी** : क्या रूरकेला में पूरी पूरी क्षमता तक काम हो रहा है ? यदि नहीं, तो कितने प्रतिशत कमी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : लगभग वह पूरी क्षमता से काम कर रहा है ।

†**श्री मुरारका** : जर्मनी से जो सप्लाई आने वाली है उसका मूल्य किस आधार पर निर्धारित किया गया है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : हम पश्चिम जर्मनी में से टेण्डर मंगा रहे हैं। वह टेंडरों के आधार पर निश्चित किया गया है ?

†**श्री प्रिय गुप्त** : रूरकेला के लिए आवश्यक कच्चे माल की लागत वही है या दूसरे इस्पात संयंत्रों के कच्चे माल की लागत से वह भिन्न है ? कच्चे माल का मूल्य निश्चित करने का क्या आधार है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : वह बिल्कुल अलग सवाल है।

†श्री इन्द्र जीत **गुप्त** : इस विस्तार परियोजना के फलस्वरूप और कितने जर्मन शिल्पिकों और अन्य कर्मचारियों को यहां लाना पड़ेगा ? उस कारण उनकी सेवाओं की लागत लगभग कितनी होगी ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : मझे खेद है कि मैं तुरन्त ब्यौरा नहीं बता सकता।

†**श्री नाथ पाई** : क्या यह सच है कि रोलिंग मिल की छत इस कारण गिर गयी थी कि वहां धूल जमा हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या इस बात पर विचार किया गया था कि इस्पात संयंत्र की वर्तमान छत इस काबिल है कि वह स्थापित की जाने वाली अतिरिक्त क्षमता सहन कर सकेगी ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : रोलिंग मिल के ऊपर का नहीं बल्कि एलडी कन्वर्टर के ऊपर की छत का एक छोटा सा हिस्सा लोहे की धूल जमा हो जाने के कारण गिर गयी थी। लेकिन उसकी जांच की गयी है । वह लापरवारी के कारण हुआ और अब उचित कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्रीमती रेणुचक्रवर्ती** : रूरकेला संयंत्र की अतिरिक्त क्षमता कितनी होगी और दुर्गापुर तथा भिलाई के विस्तार की लागत की तुलना में रूरकेला के विस्तार की लागत कम है या ज्यादा ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : यह विस्तार १० से १८ लाख टन है । वह लागत कम ही है ।

†**श्री कृ० चं० पन्त** : क्या सरकार सीधे जर्मन फर्मों से टेंडर मंगायेगी या कोई भारतीय या जर्मन इंजीनियरी कम्पनी समन्वय कार्य करेगी ? यह मशीनरी के लिए है।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : मशीनरी के लिए आर्डर सीधे हिन्दुस्तान स्टील ने दिया है ।

जापान को लौह अयस्क का निर्यात

+

श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बसुमतारी :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

†मूल अंग्रेजी में

श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री पें० वेंकटासुब्बैया :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

†*६९. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री मुरारका :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री प्र० चं० बुरुआ :
श्री व० बा० गांधी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री ब्रजराज सिंह :
श्री कछवाय :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने जापान को दो वर्ष तक लौह अयस्क के निर्यात के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस करार की मोटी मोटी बातें क्या हैं ; और

(ग) निर्यात कितना होगा और अदायगी कैसे की जायेगी ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). ठेके के अधीन, १९६३–६४ में २५.४ लाख टन लौह अयस्क (६५/६२ ग्रेड का २२ लाख टन, ६५/६५ ग्रेड का २.२ लाख टन और ६२/६० ग्रेड का १.२ लाख टन) जापान को बेचा जायेगा। १९६४–६५ में २७.७५ लाख टन (६५/६२ ग्रेड का २४ लाख टन, ६५/६५ ग्रेड का २.२५ लाख टन और ६२/६० ग्रेड का १.५ लाख टन) बेचा जायेगा इसके अलावा ३०,००० टन लौह अयस्क १९६३–६४ और १९६४–६५ में प्रतिवर्ष खरीददार की इच्छा पर बेचा जायेगा।

बिक्री नकद विदेशी मद्रा में होगी। अनुमान है कि इन सौदों से लगभग १३ करोड़ रुपये की कुल आय होगी।

१९६३–६४ में २.११ करोड़ रुपये का और १९६४–६५ में २.४७ करोड़ रुपये का इस्पात जापानी इस्पात मिलों से मंगाना राज्य व्यापार निगम ने मंजूर कर लिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या इस्पात के अलावा और दूसरी चीजें भी मंगायी जाने वाली हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह नकद सौदा है । दूसरी चीज केवल द्विपक्षीय खरीद से है ।

†**श्री बसुमतारी** : क्या इस निर्यात करार से हमारे इस्पात कारखानों के उत्पादन पर कुछ असर पड़ेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : सभा को मालूम होगा कि हम काफी मात्रा में इस्पात आयात कर रहे हैं। इस से अन्य स्रोतों से हमारा इस्पात आयात और कम हो जायेगा ।

†**श्री अचल सिंह** : यह कहां तक मुनासिब है कि हिन्दुस्तान की इंडस्ट्रीज पिग आयरन की वजह से स्टार्व करें और हम दूसरे देशों को इसका ऐक्सपोर्ट करें ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह पिग आयरन नहीं बल्कि कच्चा लोहा जा रहा है आयरन ओर जा रहा है ।

†**श्री शिवनंजप्पा** : निर्यात के लिए मैसूर को कितना कोटा दिया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : कुछ मैसूर से जायगा लेकिन अधिकांश किरीबुरू और बैलाडिला से जायेगा ।

†**श्री रवीन्द्र वर्मा** : बेल्लारी और सन्दूर में कच्चे लोहे के निक्षेप के अधिक अनुमान को देखते हुए क्या हमारी निर्यात नीति में कुछ परिवर्तन किये जाने की संभावना है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : बिलकुल नहीं। वास्तव में हम और अधिक बचने की कोशिश कर रहे हैं।

†**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** : १९६२–६३ में जापान ने करार के अनुसार, भारत से २० लाख टन लोहा नहीं लिया, इस तरह की बात फिर न हो इसके लिए क्या कदम उठाये जा रहेहैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : सामान्यतया, खरीददार और बिक्रता लड़ते नहीं। हम भी वही कर रहेहैं।

†**श्री वैंकटासुब्बैया** : क्या यह सच है कि इस बार कच्चे लोहे की कीमत कम कर दी गयी है और यदि हां, तो क्या कारण है ? क्या इससे हमारे देश के खान मालिकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : पिछले दो-तीन साल में कच्चा लोहा निकालने की दिशा में क्रांति-पूर्ण परिवर्तन हुए हैं और पश्चिम आस्ट्रेलिया, ब्राजील और रूस में नये निक्षेपों का पता चला है। हमें बहुत धीरे-धीरे आगे बढ़ना है और हमें देखना है कि हमारी कीमत बहुत ऊँची न हो जाये।

†**श्री त्यागी** : जापान में नौतट पर्यन्त शुल्क सहित लागत मूल्य कितना है और जापान को जिस कीमत पर वह बेचा जाता है क्या वह भारत में विद्यमान लागत मूल्य से कम है ? क्या खान मालिकों को होने वाला नुकसान राज्य व्यापार निगम और किसी दूसरे तरीके से पूरा करेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह :** जहां तक मूल्य का संबंध है, सभा से मेरा निवेदन है कि मूल्य बताना लोकहित में नहीं होगा, लेकिन वह घाटे का सौदा बिलकुल नहीं है।

†**श्री त्यागी :** मैं यह जानना चाहता था कि क्या इन खान मालिकों को होने वाला नुकसान राज्य-व्यापार निगम पूरा करन वाला है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** खान मालिकों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। हम उनसे उचित कीमत पर खरीदते हैं, न कि बढ़ी हुई कीमत पर जबकि दुनिया भर की कीमतें नीचे गिर रही हैं; लेकिन खान मालिकों को बिलकुल कोई नुकसान नहीं है।

श्री यशपाल सिंह : क्या जापान की शर्तें और मुल्कों के मुकाबले में किसी कदर अच्छी थीं या दूसरे मुल्कों से इस मामले में बातचीत ही नहीं की गई ?

श्री मनुभाई शाह : जाहिर है कि उनकी शर्तें अच्छी ही होंगी तभी तो हम ने उन्हें बेचना मंजूर किया।

श्री यशपाल सिंह : क्या दूसरे मुल्कों से भी इस बारे में बातचीत की गई ?

श्री मनुभाई शाह : हम मुकाबला नहीं करते हैं।

†**श्री मोहन स्वरूप :** क्या यह सच है कि जापान किरीबुरू खान से सालाना २० लाख टन और १९६६ से १५ वर्ष की अवधि के लिए बैलाडिला से सालाना ४० लाख टन कच्चा लोहा ले रहा है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह केवल दो साल का ठेका है। लंबी अवधि के ठेके पर अभी विचार तो किया जा रहा है।

†**श्री शिवमूर्ति स्वामी :** क्या यह निर्यात केवल राज्य व्यापार निगम के जरिये किया जायेगा या अलग अलग निर्यात संस्थाएं भी निर्यात करेंगी ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जैसा कि सभा को मालूम है, कच्चे लोहे का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है। वह पूरी तौर से राज्य व्यापार निगम के द्वारा किया जाता है।

श्री बड़े : क्या यह बात सच है कि जापान ने मध्यप्रदेश से आयरन ओर का कंट्रेक्ट कर लिया है और वह गोवा से कम रेट पर कर लिया है ?

श्री मनुभाई शाह : गोवा का ओर बिलकुल दूसरी किस्म का है और दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। गोवा के लिए जो डिमांड है वह और जगहों से सैटिसफाई नहीं हो सकती और अन्य जगहों की डिमांड गोवा से सैटिसफाई नहीं हो सकती है।

श्री ओंकार लाल बेरवा : मैं जानना चाहूंगा कि जापान को लोहा देने के लिए जो राज्यों के लोहे के कोटे के अन्दर कटौती की गई है उस कटौती को पूरा करने और उनको लोहा देने का क्या सरकार ने कोई इंतजाम किया है ?

श्री मनुभाई शाह : मैं विनती करूं कि यह लोहे की बात नहीं है बल्कि यह लोहे की धातु की बात है। आयरन ओर की बात है। लोहे की कोई कटौती नहीं की गई है। हमारे पास उसका समुद्र भरा पड़ा हुआ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भागवत झा आजाद :** क्या इस करार से और उसके फलस्वरूप सरकार की मूल्य नीति के कारण दक्षिण बिहार के खान मालिकों को नुक्सान हुआ है ? और क्या उन्होंने इस संबंध में सरकार को कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह ठीक है लेकिन वह इस विशिष्ट प्रश्न से संबंधित नहीं हैं । मैं इस देश के सभी खान मालिकों को सावधान कर देता हूं कि दुनिया में खरीददारों का बाजार क्षेत्र कायम हो चुका है और जब तक कि हमारी खानें अधिक कार्यकुशल, आधुनिक और प्रतियोगितात्मक नहीं होती तब तक उनके लिए और हमारे लिए कोई भविष्य नहीं है । हम मैंगनीज अयस्क के मामले में इस बात को देख रहे हैं। हम सभी को इस बात की कोशिश करनी चाहिय कि उत्पादन लागत कम हो जाये।

†**श्री मोहसिन :** क्या यह सच है कि अब कच्चे लोहे का निर्यात पश्चिमी बंदरगाहों की बजाय पूर्वी बन्दरगाहों से होता है जोकि कच्चा लोहा मुख्यतः मैसूर से आता है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** वह एक अलग सवाल है।

रूस को जूतों का निर्यात

+

*७०. **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री मोहन स्वरूप :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री द्वारका दास मंत्री :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रूस को जूतों का निर्यात बड़ी संख्या में किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) उससे कितनी विदेशी मुद्रा मिलने की आशा है ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख). जी, हां। हमारा लक्ष्य १९६३ में ७–८ लाख जोड़ी जूते निर्यात करने का है और यह १९६६ में १० लाख जोड़ी से भी अधिक हो जायेगा ।

(ग) १९६३ में हम इससे १.४ करोड़ रु० की विदशी मुद्रा कमाने की आशा करते हैं। यह १९६६ तक दुगनी भी हो सकती है।

श्री नवल प्रभाकर : हमारे देश के किस राज्य से सबसे ज्यादा जूतों का निर्यात होता है ?

श्री मनुभाई शाह : सब से ज्यादा आगरा से जाते हैं दुनिया के अलग अलग देशों को।

श्री नवल प्रभाकर : दिल्ली से भी क्या जाते हैं ?

श्री मनुभाई शाह : दिल्ली से भी जाते हैं, मद्रास से भी जाते हैं, कलकत्ता से भी जाते हैं, बाटानगर से भी जाते हैं।

श्री नवल प्रभाकर : दिल्ली से कितने जाते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मनुभाई शाह : दिल्ली से बहुत थोड़े जाते हैं, ज्यादा नहीं जाते हैं। ६ लाख के करीब दिल्ली से जाते हैं।

श्री द्वारका दास मंत्री : चमड़े की अन्य चीजों को प्रधानता देने के सम्बन्ध में या एक्सपोर्ट ज्यादा कराने के सम्बन्ध में कोई योजना सरकार के पास है क्या ?

श्री मनुभाई शाह : योजना यही है कि जो भी पैदा करें और वे हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक हों, उन सबको हम एक्सपोर्ट के लिए खरीदने के लिए तैयार हैं । उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिये और दाम भी ठीक होने चाहियें।

†**श्री फिरोडिया :** इन निर्यातों में छोटे पैमाने के उद्योगों और ग्रामोद्योगों तथा औद्योगिक सहकारी संस्थाओं का कितना हिस्सा है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** हम उन्हें प्रोत्साहन देते ह।

†**श्री फिरोडिया :** हिस्सा कितना है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** कैनवास के जूतों और रबड़ के जूतों को छोड़कर संपूर्ण मात्रा लघु उद्योगों से प्राप्त होती है। लेकिन अब सारी दुनियां से काफी अधिक मांग को देखते हुए हमें ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि मशीनों से चलने वाले बड़े बड़े कारखाने भी निर्यात के लिए जूते तैयार करें।

†**श्री नाथ पाई :** इस बात को देखते हुए कि हमारे जूतों की किस्म असंतोषजनक होने पर भी रूस की सभी वर्गों की जनता में भारतीय जूतों को स्थान मिलता है, क्या एक पत्र में प्रकाशित इस समाचार में कोई तथ्य है कि रूसी प्रधान मंत्री श्री ख्रुश्चोवा न संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय ढंग के जूते पहने थे ?

†**श्री मनुभाई शाह :** मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य पक्ष में कुछ रहे हैं। वह धीरे धीरे दुनिया के हर भाग में लोकप्रिय हो रहे हैं। सब से पहले पोलैंड और हंगरी ने खरीदे और अब ये अमरीका, जर्मनी और दूसरे देशों में भी जाते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा निर्यात करने की कोशिश कर रहे हैं ।

†**श्री हरिविष्णु कामत :** औचित्य प्रश्न के हेतु। प्रश्न के उत्तरार्ध का उत्तर नहीं दिया गया । क्या सरकार ने यह मालूम करने का प्रयत्न किया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में श्री खुश्चोव ने जो जूते पहने थे वे भारत के बने हुए थे ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** वह इस प्रश्न से संगत नहीं हैं ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी :** किसी विशिष्ट व्यक्ति ने किस खास तरह के जूते पहने थे क्या इस बारे में कोई प्रश्न पूछा जा सकता है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** तभी मैंने उसके लिए अनुमति नहीं दी ।

श्री रामेश्वरानन्द : ये जो जूते रूस को या दुनिया के दूसरे देशों को निर्यात किए जाते हैं, इन के लिए चमड़ा किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, क्या मृत पशुओं का वह होता है या जीवित पशुओं का वध कर के उसको प्राप्त किया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : यह प्रश्न इस में से उत्पन्न नहीं होता ।

श्री राम सहाय पांडे : रूस के अतिरिक्त कौन से देश हैं जहां पर भारतीय जूते बहुत पसन्द किये जाते हैं और जिन की डिमांड हम पूरी नहीं कर पाते हैं ?

श्री मनुभाई शाह : सूडान है, साउदी अरेबिया है, यू० के० है, सिलोन है, यु० एस० इत्यादि हैं ।

दुगदा में कोयला धोने का कारखाना

†*७१. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मुरारका :
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का लगभग ५.२५ करोड़ रुपये की लागत पर धनबाद के निकट दुगदा में एक दूसरा कोयला धोने का कारखाना चालू करने का विचार है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : जी, हां ।

श्री रामेश्वरानन्द : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं आया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है, आप बैठ जाइये ।

श्री रामेश्वरानन्द : मेरे प्रश्न का उत्तर आना चाहिये । आप ने दूसरा प्रश्न ले लिया है । मेरे साथ आप अन्याय क्यों कर रहे हैं । एक ही प्रश्न मैंने किया है और उसका भी उत्तर आपने आने नहीं दिया है . . .

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : दुगदा के कारखाने के अलावा और कोयला धुलाई कारखाने इस क्षेत्र में खोलने के संबंध में अनेक दौर वाला कार्यक्रम क्या है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : जी हां ; कई कोयला धुलाई कारखाने खोलने का कार्यक्रम है खास कर इसलिए कि किस्म सुधारने के लिए हमें अपना कोयला धोना पड़ेगा ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : फिलहाल कितने कोयला धुलाई कारखाने चल रहे हैं और सरकार ने क्या लक्ष्य निर्धारित किया है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : मैं ठीक ठीक संख्या तुरन्त नहीं बता सकता क्योंकि कुछ कारखाने हिन्दुस्तान स्टील और कुछ कारखाने राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की ओर से चलाये जा रहे हैं ।

†**श्री मुरारका** : क्या इस परियोजना के लिए कोई विदेशी सहयोग हो रहा है और उसमें विदेशी मुद्रा का कितना भाग होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : इस में सहयोग का कोई प्रश्न नहीं है। इस कारखाने का मालिक हिन्दुस्तान स्टील है और सामान मेसर्स रावर्ट स्टेफर कंपनी द्वारा दिया जाता है और विदेशी मुद्रा २.३५ करोड़ रूपये है ।

†**श्री प्रिय गुप्त** : नया कोयला धुलाई कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव में क्या सरकार ने ऐसा कोई सुझाव रखा है कि कोयला तथा दूसरे तत्वों के सन्निधय में रहने के कारण उद्योग के सामान्य रोगों से कर्मचारियों और मजदूरों को बचाने के लिए वर्दियां और अन्य दूसरी सुविधायें दी जायें ।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : जी हां, सभी संभव रोकथाम की जा रही है।

†**श्री प्रिय गुप्त** : ऐसी बात नहीं है । क्या हम ने उन्हें यहां सम्मिलित किया है ?

†**उपाध्यक्ष** : सभी कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**श्री जयपाल सिंह** : क्या इस बात का कोई अध्ययन किया गया है कि मौजूदा कोयला धुलाई कारखाने से नदी और वहां की मछलियों पर क्या असर पड़ रहा है और क्या इस बात का कोई अनुमान लगाया गया है कि नया कोयला धुलाई कारखाना चालू हो जाने पर उनकी क्या हालत होगी ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न एक खास कोयला धुलाई कारखाने के बारे में है, न कि सभी कारखानों के बारे में ।

†**श्री जयपाल सिंह** : इस से वहां की नदी और सभी मछलियों को काफी नुक्सान पहुंच रहा है। दूसरा कारखाना खुल जाने के बाद मछलियों और नदी की क्या हालत होगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रवीन्द्र वर्मा ।

†**श्री रवीन्द्र वर्मा** : दूसरे कारखाने की संभावित क्षमता कितनी है और विशिष्ट इस्पात संयंत्र . .

†**श्री प्रिय गुप्त** : संपूर्ण कोयला क्षेत्र को काफी नुक्सान हो रहा है । माननीय मंत्री से कहा जाय कि वे श्री जयपाल सिंह के प्रश्न का उत्तर दें ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं ने वह प्रश्न अस्वीकृत कर दिया है ।

†**श्री प्रिय गुप्त** : लोगों का स्वास्थ्य काफी बिगड़ रहा है और पीने के पानी के लिए सिर्फ नदी का पानी ही मिलता है । उसे रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ? यह मूलभूत प्रश्न है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैंने उस प्रश्न के लिये अनुमति नहीं दी है । यहां हमारा संबंध केवल दुगदा के कारखाने की स्थापना से है।

†**श्री जयपाल सिंह** : मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने किस आधार पर इस प्रश्न के लिए अनुमति नहीं दी है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यहां पर हमारा कारखाने के प्रभाव या लोगों के स्वास्थ्य से कोई संबंध नहीं है । वह एक अलग प्रश्न का विषय है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रवीन्द्र वर्मा :** जो कारखाना खोला जाने वाला है उसकी संभावित क्षमता कितनी होगी और दूसरा कारखाना किन किन इस्पात कारखानों की जरूरत पूरी करेगा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : अनुमान है कि वह १७ लाख टन धुला कोयला निकालेगा। हम रूरकेला और बोकारो थे संभवतः उसका प्रयोग करेंगे ।

कांडला अबाध व्यापार क्षेत्र

\+

†*७२. **श्री श्याम लाल शर्राफ :**
श्री हेडा :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री २४ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ५६८ के उत्तर के संबंधमें यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांडला को आबाध व्यापार क्षेत्र घोषित करने का निर्णय किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) कांडला में अबाध व्यापार क्षेत्र स्थापित करने का निश्चय किया जा चुका है ।

(ख) ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

†**श्री श्याम लाल शर्राफ :** वह अबाध बन्दरगाह कब घोषित किया जायगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** वह आबाध वन्दरगाह नहीं है वह आधे एकड़ का छोटा सा क्षेव है। आरम्भ में ढाई करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे जिस में से ५० लाख रुपया विदेशी मुद्रा में होगा।

†**श्री श्याम लाल शर्राफ :** क्या मैं यह समझूं कि जो बन्दरगाह अबाध घोषित किये गये हैं उन में आयात निर्यात का व्यापार करने वाले व्यक्तियों को दी जाने वाली सुविधायें अब उन्हें नहीं दी जायेंगी ?

†**श्री मनुभाई शाह :** किसी बन्दरगाह को आबाध बन्दरगाह या आबाध क्षेत्र घोषित करने पर जो भी सुविधाऐं दी जाती हैं वे सभी सुविधायें उस क्षेत्र के व्यापारियों और संगठन कर्ताओं को दी जायेंगी ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

औद्योगिक प्रशुल्कों की समाप्ति

†*६४. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय निर्बाध व्यापार संस्था की अनुसचिविय परिषद् ने लिस्बन में मई, १९६३ में आयोजित बैठक में सात राष्ट्रों की संस्था द्वारा १९६६ के अन्त तक सभी औद्योगिक प्रशुल्क समाप्त करने की योजनाएं स्वीकृत की हैं और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कार्यान्वित करने से इन देशों में भारतीय निर्यात पर जो संभवतः प्रभाव पड़ेगा, क्या उस पर विचार किया गया है ; और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) वर्तमान मंत्रिपरिषद् ने यह निर्णय किया है कि सदस्य देशों के बीच औद्योगिक वस्तुओं पर शुल्क हटाये जाने की तारीख १९६९ से १९६६ कर दी जाये । क्योंकि भारत के निर्यात ब्रिटेन तथा अन्य यूरोपीय निःशुल्क व्यापार संस्था के देशों के प्रतिद्वन्दी नहीं हैं इसलिए पहले के समान ही ब्रिटेन को क्या अन्य यूरोपीय निःशुल्क प्रशुल्क संस्था देशों को होते रहेंगे । समय बदलने का भारत से सदस्य देशों को निर्यात पर तुरन्त ही कोई बुरा प्रभाव नहीं होगा । परन्तु सरकार स्थिति पर लगातार विचार कर रही है ।

गोआ में औद्योगिक निगम

*७३. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गोआ में औद्योगिक निगम अथवा राज्य व्यापार निगम की कोई शाखा स्थापित करने का है, जिससे वहां के ये उद्योगों की सहायता की जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक स्थापित हो जाने की आशा है ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) तथा (ख). राज्य व्यापार निगम का एक क्षेत्रीय कार्यालय १ जुलाई, १९६३ से गोआ में खुल चुका है । लघु उद्योग सेवा संस्था कीं एक शाखा भी स्थापित हो चुकी है । गोआ के लिये एक औद्योगिक निगम स्थापित करने का कोई विचार नहीं है किन्तु गोआ में उद्योगों के विकास के लिये सरकार सभी सम्भव सहायता दे रही है ।

निर्यात में कमी

†*७४. **श्री रवीन्द्र वर्मा :**
श्री मुरारका :
श्री बाल्मीकी :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री प० कुन्हन :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६२–६३ में भारत द्वारा पूर्वी यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों को किये गये निर्यात में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस कमी को रोकने तथा इन देशों को निर्यात बढ़ाने के सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी-१४४६ ।]**

पटसन की वस्तुओं के निर्यात के सम्बन्ध में श्रीवास्तव समिति

†*७५. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० उ० मिश्र :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पटसन की वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि के मार्गोपायों के सम्बन्ध में श्रीवास्तव सेमिति के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि समिति ने यह सिफारिश की है कि उद्योग निर्यात सम्बन्धी आर्थिक सहायता की व्यवस्था स्वयं करे ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). पुस्तकालय में प्रतिवेदन की प्रतियां रखी गई हैं। प्रश्न के भाग (ख) मे बताये गये अनुसार समिति ने कोई सिफारिश नहीं की है । प्रतिवेदन पर सरकार विचार कर रही है तथा उसकी सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों की शीघ्र ही घोषणा कर दी जायेगी।

कैमरे बनाने का कारखाना

*७६. **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **उद्योग** मंत्री २६ अप्रैल, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १०४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बदाने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैमरे बनाने के प्रस्तावित कारखाने की स्थापना के बारे में इस बीच क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) कारखाना कहां पर स्थापित होगा तथा उस पर कुल कितनी धनराशि व्यय होगी ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) तथा (ख). विदेशी मुद्रा बचाने के उद्देश्य से सरकार अब पहले प्रस्तावित ३५ मि० मी० वाले कैमरों के स्थान पर सस्ते किस्म के कैमरे बनाने की सम्भावना पर विचार कर रही है । इस मामले में विदेशी फर्म के साथ पत्र-व्यवहार हो रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मध्य प्रदेश में इस्पात परियोजना

†*७७. **श्री रा० बरुआ :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में इस्पात परियोजना स्थापित करने की संभावनाओं की खोज के लिये कोई सर्वेक्षण आरम्भ किया गया है ; और

(ख) क्या बैलाडिला लौह अयस्क की खानों में विस्तार की सम्भावनायें हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि०सुब्रह्मण्यम्)** : (क) और (ख). बैलाडिला-विशाखापटनम क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र में नया इस्पात कारखाना स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अध्ययन किया जा रहा है। बैलाडिला लौह अयस्क खानों की क्षमता की भी जांच की जा रही है ।

आयात की गई मोटर गाड़ियों की राज्य व्यापार निगम द्वारा बिक्री

†*७८. **श्री पू० चं० देवभंज :**
श्री बूटा सिंह :
श्री गुलशन :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री राम रतन गुप्त :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम विदेशी राजनयविज्ञों तथा अन्य व्यक्तियों से आयात की गई मोटरगाड़ियां खरीदता है उन्हें वह किस प्रकार बेचता है; और

(ख) राज्य व्यापार निगम को इन मोटरगाड़ियों को खरीदने तथा बेचने से अब तक कितना लाभ हुआ है ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) राज्य व्यापार निगम द्वारा अर्जित की गई आपतित हुई गाड़ियों को निम्नलिखित प्राथमिकता से बेचा/आवंटित किया जाता है :—

१. राष्ट्रपति भवन
२. राज भवन
३. प्रतिरक्षा आवश्यकता
४. पर्यटन उन्नति
५. केन्द्रीय/राज्य सरकारें
६. सरकारी क्षेत्र उपक्रम
७. टेंडरों के द्वारा जनता को बिक्री

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) लाभ अथवा विक्रय मूल्य बताना लोकहित में नहीं होगा। अधिक लाभ को रोकने के लिए तथा विदेशी मुद्रा पर भार कम करने के लिए सभा ने तथा जनता ने सरकार से कहा था कि इस मामले को ठीक किया जाये।

योजना के शुरू होने से अब तक राज व्यापार निगम द्वारा अर्जित गाड़ियों तथा बेचे गये/आवंटित गाड़ियों की संख्या बताने वाला विवरण भी मैं सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिय संख्या एल टी-१४४७/६३।]**

कपड़े के मूल्य

†*७९. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री दीनेन भट्टाचार्य
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कपड़ा मिल संघ ने कपड़े के मूल्यों के बढ़ाये जाने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां।

(ख) भारतीय कपड़ा मिल संघ के प्रतिनिधान पर विचार किया जा रहा है।

यूरोपीय देशों में चाय केन्द्र

†*८०. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री १६ नवम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या २४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच यूरोपीय देशों में चाय केन्द्र खोलने के प्रस्तावों पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर कितना आवर्तक व्यय होगा ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** (क) और (ख). यूरोप के चाय केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में पहला कदम यह उठाया गया है कि ब्रुसेल्स में हैड क्वार्टर बना कर एक चाय बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी को केन्द्रों के स्थापना स्थान चुनने के लिए तथा उनको स्थापित करने के लिए नियुक्त किया गया है। चाय बोर्ड के सभापति तथा यह अधिकारी

†मूल अंग्रेजी में

ने हाल में ही यूरोप का दौरा किया था। अब वह ब्रुसेल्स में हमारे राजदूत से परामर्श कर रहे हैं कि इन केन्द्रों के स्थानों का अन्तिम निर्णय किया जाये तथा चाय की उन्नति के लिए समन्वित कार्यक्रम बनाये।

(ग) प्रावर्तक व्यय का अनुमान केन्द्रों का स्थान-निर्धारण हो जाने के बाद लगाया जायेगा ?

मध्य प्रदेश में अल्युमिनियम कारखाना

†*८१. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में अल्युमिनियम का कारखाना स्थापित करने के लिये भारत और हंगरी की सरकारों के बीच वार्ता पूरी हो गई है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में दोनों सरकारों के बीच किसी करार पर जो हस्ताक्षर किये गये हैं ; और

(ग) कारखाना स्थापित करने के बारे में इस समय स्थिति क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). जी नहीं।

(ग) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड से कहा गया है कि हंगरी के परामर्श से मध्य प्रदेश में स्थापित होने वाले अल्युमीना / अल्युमीनियम का कारखाने का परियोजना प्रतिवेदन मार्च १९६३ तक बनाये।

परियोजना प्रतिवेदन मिल जाने पर और आगे कार्यवाही पर विचार किया जायेगा ?

विदेशों में सप्लाई मिशन

†*८२. **श्री महेश्वर नायक :**
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री सिद्धनंजप्पा :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या **आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने अमरीका और यूरोप के अपने दौरे के दौरान विदेशी सप्लाई मिशनों का जो निरीक्षण किया उसके आधार पर वे इन मिशनों को पुनर्गठित करने और उनमें सुधार लाने का विचार कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार ?

†**आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय में संभरण मंत्री (श्री हाथी)**: (क) यह सच है कि मंत्री (आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय) ने अपने ब्रिटेन तथा अमरीका के दौरे के उपरान्त यह आवश्यक समझा कि इन मिशनों के पुनर्गठन की संभावना की जांच करें।

(ख) मैंने १ से २८ जुलाई तक इन मिशनों का दौरा किया था। मेरे साथ मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी भी थे। सिफारिशों को अन्तिम रूप देने में मुझे कुछ समय लगेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

दक्षिण में इस्पात संयंत्र

†*८३. श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सेझियान :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री १५ मार्च, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ४१८ के उत्तर के सबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परामर्शदाता इंजीनियरों की संस्था ने दक्षिण में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिये परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर लिया है और भेज दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) प्रारंभिक कार्य कब तक आरम्भ किये जाने की आशा है ?

†**इस्पातऔर भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) स्थान का चुनाव करने के बाद परियोजना का आरंभिक कार्य शुरू किया जायेगा ।

भारी मोटर गाड़ियां

†*८४. श्री यशपाल सिंह :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :
श्री द्वारका दास मंत्री :
डा० रानेन सेन :
श्री प्र० कं० देव :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क परिवहन के तेजी से विकास के लिय भारी मोटरगाड़ियां बनाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) गाड़ी का भार कितना होगा ; और

(ग) यह प्रस्ताव कब कार्यान्वित किया जायगा ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** :): (क) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) लगभग १०/११ टन ;

(ग) यदि योजना स्वीकार कर ली गई तो अनुमान है कि इसकी क्रियान्विति में लगभग १८ से २४ महीने लग जायेंगे ।

मध्य प्रदेश में उर्वरक फैक्टरी

†*८६. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री १९ अप्रैल, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ९४४ के उत्तर के संबंध में यह भी बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में उर्वरक फैक्टरी की स्थापना के सम्बन्ध में इस बीच अन्तिम रूप से निर्णय किया जा चुका है ;

(ख) क्या इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिये कोई विदेशी सहायता का सहयोग प्राप्त होगा ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) यह अस्थाई रूप से तय कर लिया गया है कि कारखाना मध्य प्रदेश में कोरबा में स्थापित किया जाये ।

(ख) और (ग). विदेशी प्रविधिक सहयोग नहीं मांगा गया है । भारत का उर्वरक निगम विदेशी सार्थों से कार्यकरण जानकारी तथा डिजाइन की खरीद के आधार पर इसका डिजाइन, इंजीनियरिंग, समाधान तथा निर्माण स्वयं करेगा । इस कार्य के लिए, उपकरण के आयात के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा देश में उपलब्ध नहीं है । अभी यह बताना संभव नहीं है कि इसके लिए विदेशी मुद्रा का कहां से प्रबन्ध किया जायगा ?

श्रम विधियों का उल्लंघन

†*८७. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य श्रम विधियां कार्यान्वित और मूल्यांकन समिति ने रूरकेला संयंत्र के प्रबन्धकों को श्रम विधियों के कथित उल्लंघन के कारण हुई क्षति को पूरा करने के लिये दो महीने का समय दिया था ;

(ख) यदि हां, तो विधियों का उल्लंघन किस प्रकार और कितना किया गया था ; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)**: (क) से (ग). उड़ीसा राज्य श्रम निदेशालय द्वारा रूरकेला इस्पात कारखाने ने श्रम विधियां तथा करारों तथा समझौतों आदि के कथित उल्लंघन के बारे में प्रतिवेदन राज्य क्रियान्विति तथा मूल्यांकन समिति को मई, १९६३

†मूल अंग्रेजी में

की बैठक में विचारार्थ दिया था । क्योंकि कारखाने के अधिकारियों को प्रतिवेदन का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था इसलिए उनको समिति ने उस में वर्णित उदाहरणों की जांच के लिए तथा उस पर टिप्पणी के लिये दो महीने का समय दिया था। यह पता लगा है कि कारखाने के अधिकारियों ने प्रतिवेदन पर अपनी टिप्पणी दे दी है और मामले पर राज्य सरकार विचार कर रही है ।

दुर्गापुर में धातु मिश्रित इस्पात कारखाना

†*८८. श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री श्याम लाल सर्राफ :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जापानी सार्थ संघ (कान्सोर्टियम) के सहयोग से दुर्गापुर में एक धातु मिश्रित इस्पात कारखाना स्थापित करने की योजना बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कारखाना कब तक स्थापित हो जायगा ; और

(ग) सहयोग की शर्तें क्या होंगी ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) से (ग). जी नहीं । यह तथ्य नहीं है कि जापानी सार्थ संघ के सहयोग से दुर्गापुर में एक धातु मिश्रित तथा विशेष इस्पात कारखाना स्थापित किया जा रहा है । कारखाना हिन्दुस्तान इस्पात लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जा रहा है । हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में जापानी सार्थ संघ को कारखाने के उपकरण, निर्माण, अधीक्षण तथा चालू करने के लिए पत्र भेजा है तथा ठेके के शीघ्र पूरा हो जाने की आशा है । कारखाना १९६५–६६ में पूरा हो जाने की आशा है ।

लौह संयंत्र

†*८९. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री २२ फरवरी, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १०३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच सरकारी क्षेत्र में लौह संयंत्र की स्थापना के बारे में आरम्भिक प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौर क्या है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) और (ख). जी हां । आरंभिक प्रतिवेदन में ३००,००० टन की वार्षिक क्षमता का कच्चे लोहे का कारखाना स्थापित करने के बारे में बताया गया है । जांच में परिवर्तन कर दिया गया है तथा सलाहकार इंजीनियर चौथी योजना की आवश्यकता के लिये गोआ-होज़पेट के इस्पात कारखाने की संभावना का अध्ययन कर रहे हैं।

अखबारी कागज का निर्माण

†*९०. **श्री महेश्वर नायक :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखबारी कागज़ के निर्माण के लिए तीसरी योजना की सभी परियोजनायें निष्फल हो गई हैं और भारत में अखबारी कागज का संभरण वर्तमान तथा तीसरी योजना की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा ; और

(ख) यदि हां, तो कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) नेपा मिल्स की क्षमता को दुगुना करने की योजना सक्रिय रूप में आगे बढ़ाई जा रही है । गैर सरकारी क्षेत्र की तीन परियोजना जिनको लाइसेंस दे दिए गए हैं ; अभी आरंभिक स्थिति में हैं। देश में उत्पादन तीसरी योजना की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी ।

(ख) देशी उत्पादन के अख़बारी कागज़ का वितरण तथा आयात करने के लिए वर्तमान व्यवस्था ही रखी जा रही है ।

सहकारी उद्योग

†२१२. **श्री जेना** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार प्रयोगात्मक आधार पर लगभग प्रत्येक विकास खंड में सहकारी उद्योग स्थापित कर रही है और इस नई योजना के लिये उन्होंने केन्द्रीय सरकार से सहायता प्राप्त की है ;

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) इस बहुव्यापी सहकारी योजना को लोकप्रिय बनाने के इस नवीन विचार को प्रोत्साहन देने के लिये उक्त राज्य को केन्द्रीय सरकार किस प्रकार की सहायता देने का विचार रखती है ; और

(घ) क्या विकास खंड स्तर पर इस प्रकार की सहकारी योजना का सूत्रपात देश में किसी अन्य राज्य सरकार ने किया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली में औद्योगिक बस्ती

†२१३. **श्री श्याम लाल सर्राफ :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में एक ग्राम्य औद्योगिक बस्ती की स्थापना की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो यह कहां स्थापित की जायेगी और प्रारम्भ में किस किस्म के औद्योगिक एकक वहां प्रारम्भ किये जायेंगे ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो):** (क) और (ख). अम्बाला कालका रेलवे मार्ग में दिल्ली से ७ मील दूर बादली में एक छोटी औद्योगिक बस्ती की स्थापना का विचार है । सात वर्क शेड लगभग पूरे हो गये हैं । इस बस्ती में हलके औद्योगिक एकक चालू करने का विचार है जिनके लिये अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता नहीं होगी और जहां ग्राम्य जनता को रोजगार मिल सकेगा ।

इस्पात उत्पादन का लक्ष्य

†२१४. **श्री श्याम लाल सर्राफ :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में सब श्रेणी के इस्पात उत्पादन के लिये निर्धारित लक्ष्य पूर्ण होने की आशा है ;

(ख) क्या देश की बदलती हुई परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए इस्पात उत्पादन की श्रेणी से कोई परिवर्तन किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या ब्यौरा है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्):** (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंत में तैयार इस्पात की ६८ लाख टन उत्पादन मात्रा के निर्धारित लक्ष्य के स्थान पर ५८ लाख टन उत्पादन की आशा है । हम इस कमी का मुख्य कारण बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना में विलम्ब है ।

(ख) और (ग). उत्पादन की नई मदों के अतिरिक्त उत्पादन इस्पात की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

उत्तर प्रदेश में छोटे पैमाने के और कुटीर उद्योग

†*२१५. **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में १९६३–६४ में छोटे पैमाने के और कुटीर उद्योगों के विकास की कोई योजनायें हैं;

(ख) यदि हां, तो उन पर कितनी रकम खर्च करने का विचार है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इन योजनाओं का क्या स्वरूप है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है, और यथा समय सभा पटल पर रख दीजायेगी ।

कपूर

†२१६. **डा० श्रीनिवासन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितना कपूर उत्पादन हुआ है;

(ख) कपूर की कितनी मात्रा का आयात किया जाता है ;

(ग) क्या देश को आत्मनिर्भरित करने के लिये भारतीय समवायों को कपूर का उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित करने की दिशा में कोई प्रस्ताव है । और

(घ) यदि हां, तो इस का क्या ब्यौरा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) आजकल देश में कपूर का व्यवस्थाबद्ध उत्पादन नहीं है ।

(ख) १९६०–६१, १९६१–६२, १९६२–६३ और अप्रैल, १९६३ तक प्राकृतिक और कृत्रिम कपूर का आयात बनाने वाला विवरण संलग्न है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १४४८/६३ ।]

(ग) और (घ). तीन एककों के नाम इस प्रकार हैं :—

(१) मैसर्स केम्फर एण्ड एलाइड प्राडक्ट्स लिमिटेड, बम्बई (उत्पादन क्षमता-९०० एम० टन प्रतिवर्ष) ।

(२) मैसर्स इण्डियन केम्फर लिमिटेड, बम्बई (उत्पादन क्षमता १०२० एम० टन प्रति वर्ष) और मैसर्स एक्सैल इंडस्ट्रीज, प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई (उत्पादन क्षमता-१२० एम० टन प्रति वर्ष) को कपूर उत्पादन करने के लाइसेंस दिये गये हैं। इन एककों के उत्पादन से इस वस्तु से आत्मनिर्भरता हो जायेगी ।

थैकरसे कम्पनी मिल्स

†२१७. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि थैकरसे कम्पनी मिल्स, जिसका अस्तित्व केवल नाम मात्र का है, द्वारा लाखों रुपये के मूल्य का रेयन आयात किया गया था और विशेष पुलिस प्रतिष्ठान को इन समवायों के रिकार्ड जब्त करने का आदेश दिया गया था ;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले में और आगे कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम हुआ है ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग). जी नहीं । १९५३ में प्राप्त एक शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि श्री विक्रमदास छबीलदास नामक एक व्यक्ति ने जाली फर्मों के नाम पर धोखे से आयात/निर्यात लाइसेंस प्राप्त किये थे । अन्य बातों के साथ शिकायत

---

†मूल अंग्रेजी में

करने वाले ने यह भी आरोप लगाया था कि थैकरसे मिल्स समूह का मालिक श्री विक्रमदास छबीलदास की कार्यवाहियों में सक्रिय भाग ले रहा है। विशेष पुलिस प्रतिष्ठान ने इस मामले की जांच की थी और वे इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उक्त आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं।

असम में पटसन का कारखाना और फल परिरक्षण कारखाना

२१८. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने पांच वर्ष पूर्व असम सरकार को एक पटसन के कारखाने और एक फल परिरक्षण कारखाने की स्थापना के लिये जो ऋण दिये थे वे अभी तक उपयोग में नहीं लाये गये ;

(ख) यदि हां, तो इस का क्या कारण है; और

(ग) असम की पिछड़ी आर्थिक स्थिति को देखते हुए ये कारखाने शीघ्र से शीघ्र स्थापित किये जा सकें इसके लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). (क) और (ख) **जूट मिल**—आसाम में एक जूट मिल की स्थापना के लिये २८.५० लाख रु० का जो ऋण स्वीकार किया गया था उस का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि योजना को कार्यान्वित करने वाली पार्टी तथा राज्य सरकार के बीच एक करार करने में कुछ कठिनाइयां थीं। परिणामस्वरूप उस पार्टी को दिया गया लाइसेंस बाद में मंसूख कर देना पड़ा। अब सरकार ने आसाम में दो मिलें स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है जिन में से एक सहकारी क्षेत्र में तथा दूसरी निजी क्षेत्र में होगी। सरकार का विचार है कि इस ऋण को सहकारी जूट मिल की स्थापना के लिये प्रयोग किया जाय जिसने पहले ही कुछ प्रगति कर ली है। दूसरी मिल भी प्रगति कर रही है।

फल परिरक्षण कारखाना—इस कारखाने की स्थापना के लिये जो ऋण स्वीकार किया गया था उस का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सका है क्योंकि जिस पार्टी के साथ राज्य सरकार ने करार किया था उसकी आर्थिक दशा सन्तोषजनक नहीं थी। आसाम में फल परिरक्षण के कारखाने स्थापित करने की सम्भावनाओं की खोज करने के लिये एक विशषज्ञ दल ने १९६३ के अरिम्भ में उस राज्य का दौरा किया था और उस दल द्वारा की गई सिफारिशें राज्य सरकार को भज दी गई हैं। राज्य सरकार ने दो विद्यमान कारखानों के विस्तार के लिये ऋण की सहायता स्वीकार कर दी है। इनके अतिरिक्त एक नये कारखाने की स्थापना का भी विचार है। इस सम्बन्ध में प्राप्त आवेदन-पत्र सरकार के विचाराधीन हैं।

सरकार को आशा है कि ये योजनायें शीघ्र ही प्रगति करेंगी और दोनों प्रायोजनाओं के लिये स्वीकृत ऋणों का पूरा पूरा उपयोग किया जायेगा।

उड़ीसा में सीमेंट के कारखाने

†२१९. **श्री रामचन्द्र उलाका :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री ३ मई, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोरापुट जिला (उड़ीसा) में दो लाख टन की संस्थापित उत्पादन क्षमता वाली दो सीमेंट फैक्टरियां खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन में से प्रत्येक सीमेंट फैक्टरी की अनुमानित लागत क्या है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** :(क) से (ग) यह प्रस्ताव पुनरीक्षित रूप में, कोरापुट जिले में २००,००० टन की उत्पादन क्षमता वाली सीमेंट फैक्टरी स्थापित करने के लिये है। इसकी स्थापना रेलवे मंत्रालय की सहमति पर निर्भर है। यह कच्चे माल की जांच पर आधारित है । इस प्रस्ताव का अभी परीक्षण किया जा रहा है ।

शक्ति चालित हल

†२२०. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री ३ मई, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा राज्य में शक्ति चालित हल के निर्माण के बारे में उक्त राज्य सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री सि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) से (ग). जापान के सहयोग से बालासोर में शक्तिचालित हल निर्माण करने के लिये एक नया औद्योगिक उपक्रम करने के लिये उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। इस परियोजना की कुल लागत अनुमानतः ५० लाख रु० है ।

कुटीर उद्योग प्रशिक्षक

†२२१. { **श्री धुलेश्वर मीना** :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा १९६२–६३ में विभिन्न कुटीर उद्योगों के प्रशिक्षकों की ट्रेनिंग पर कुल कितनी रकम खर्च हुई है; और

(ख) उपरोक्त अवधि में अब तक कितने प्रशिक्षकों को ट्रेनिंग दी गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ?

आविष्कार संवर्द्धन बोर्ड

†२२२. { **श्री धुलेश्वर मीना** :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आविष्कार संवर्द्धन बोर्ड को १९६२–६३ में निरीक्षण और पंजीयन के लिये कोई नवीन आविष्कार प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस का क्या ब्यौरा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**. (क) बोर्ड सामान्यतः आविष्कारों के निरक्षण एवं पंजीयन हेतु विशिष्ट रूप में आवेदन प्राप्त नहीं करता है। १९६२–६३ में वित्तीय सहायता के लिये १४५ आवेदन और पुरस्कार प्राप्ति के लिये १६७ आवेदन बोर्ड को प्राप्त हुए थे।

(ख) १९६२–६३ में वित्तीय सहायता जिन आविष्कारों को दी गई थी उन की सूची संलग्न है (अनुबन्ध 'क')। जिन आविष्कारों को १९६२–६३ में पुरस्कार दिये गये हैं उन की सूची भी संलग्न है। (अनुबन्ध 'ख')

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल टी-१४४९/६३।]

टाट की बोरियां

†२२३. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री ८ नवम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में टाट की बोरियां तैयार करने की दो और फर्में स्थापित करने के प्रस्ताव पर सरकार ने विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस का ब्यौरा क्या है ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). पोलीथीन की पट्टी वाली बोरियां तैयार करने वाली दो और फर्मों को मान्यता प्रदान की गई है। इन की वार्षिक उत्पादन क्षमता क्रमशः ६० लाख गज और ५२.८० लाख गज है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

†२२४. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जनता में कुल कितनी औद्योगिक ऋण की रकम दी गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : १,६०० रुपये।

नमक उद्योग

२२५. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तूतीकोरिन के नमक उद्योग पर संकट आ गया है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) देश के अन्य भागों में नमक उद्योग की क्या स्थिति है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सन्तोषजनक।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में औद्योगिक बस्तियां

†२२६. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में कितनी औद्योगिक बस्तियां स्थापित की जायेंगी;

(ख) उक्त राज्य में अभी तक ऐसी कितनी बस्तियां स्थापित की गई हैं; और

(ग) तीसरी योजनावधि में कुल उपबन्ध में से कितनी रकम अब तक खर्च की गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) ५२ ।

(ख) ३१ मार्च, १९६३ तक ४९ ग्राम्य औद्योगिक बस्तियों का विकास प्रारम्भ किया गया था। इन में से अभी तक किसी में कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।

(ग) उड़ीसा में औद्योगिक बस्तियों में १९६१–६२ और १९६२–६३ में यथार्थ खर्च निम्न प्रकार है :

१९६१–६२	१६.२४ लाख रुपये
१९६२–६३	१५.३८ लाख रुपये

उड़ीसा का औद्योगिक विकास

†२२७. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या **उद्योग** मंत्री उड़ीसा राज्य के औद्योगिक विकास हेतु उक्त राज्य सरकार को १९६२–६३ और १९६३–६४ में अब तक स्वीकृत कुल रकम बताने की कृपा करेंगे ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

थाईलैंड को स्कूटरों का निर्यात

†२२८. **श्री पू० चं० देवभंज :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक प्राइवट फर्म को थाईलैंड में स्कूटर निर्यात करने की अनुमति दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) :** (क) और (ख). स्कूटरों के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । स्कूटर निर्माता एक फर्म ने कुछ स्कूटरों को थाइलैंड में निर्यात किया है ।

शीशा और जस्ते का निक्षेप

†२२९. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उदयपुर के निकट जावर खानों शीशा और जस्ते के निक्षेप निकालने

---

†मूल अंग्रेजी में

और विकसित करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने एक योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना के मुख्य लक्षण क्या हैं और यह कब कार्यान्वित की जायेगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). एक प्राइवट लिमिटेड कम्पनी, द पेटल कारपोरेशन आफ इंडिया, को उदयपुर में एक जस्ता पिघलाने का कारखाना खोलने का लाइसेंस दिया गया है ; इसी फर्म को बिहार के टुण्डू में विद्यमान शीशा पिघलाने के कारण कारखाने का विस्तार करने की भी अनुमति दी गई है । इसमें उदयपुर के निकट जावर खानों में उपरोक्त कारपोरेश द्वारा निकाला गया शीशा/जस्ता अयस्क साफ किया जायेगा । जस्ता पिघलाने का कारखाना पूरा होने वाला है और १९६४ के मध्य में उसमें उत्पादन प्रारम्भ होने की आशा है । शीशा पिघलाने के कारखाने का विस्तार किया जा रहा है । यह कारपोरेशन अपने शीशा पिघलाने वाले कारखाने में सह-उत्पाद के रूप में सुपरफासफट का निर्माण करने के लिये काडमीयम और सलफरिक एसिड का भी उत्पादन किया जायेगा ।

इस्पात पर नियंत्रण हटाना

†२३०. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या लोहा और इस्पात पर नियंत्रण हटाने के सम्बन्ध में राज समिति रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उनमें से कितनी सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) जी नहीं । केवल अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त हुई है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

भारत में निर्मित वस्तुओं की विदेशों में बिक्री

†२३१. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :

†मूल अंग्रजी में

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में निर्मित वस्तुओं और उत्पादों को विदेशों में बिक्री के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). भारत सरकार ने हाल ही में एक विपणन विकास निधि बनाई है जो निर्यात संवर्द्धन परिषदों, वस्तु बोर्डों, निर्यात गृहों और निर्यात में रुचि रखने वाले अन्य संगठनों और वैयक्तिक निर्यातकर्ताओं को विदेशों में भारतीय वस्तुओं को बिक्री के लिये बाजार का विकास करने के लिये उनकी योजनाओं और परियोजनाओं पर हुए खर्च की पूर्ति करेगी । विभिन्न निर्यात संवर्द्धन योजनाओं के लिए उक्त निधि से सहायता की मात्रा और तत्सम्बन्धी शर्तें उस दिशा में बनायी गई सहायता अनुदान संहिता में दी गई हैं । प्रति संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १४५०/६३]**

मतदान की नई प्रक्रिया

†२३२. **श्री बिशनचन्द्र सेठ :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव में मतदान की नई प्रक्रिया शुरू की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रक्रिया कहां तक सफल रही ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ विरोधी दलों ने इस आधार पर इस योजना का विरोध किया है कि मतदाता महसूस करते थ कि इस प्रक्रिया से समय नष्ट होता है ; और

(घ) क्या कुछ परिवर्तन करके भविष्य के उपचुनावों में इस योजना का प्रयोग किया जाएगा ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) :** (क) जी हां । एक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र तथा उसके अंगभूत एक या उससे अधिक सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में एक साथ हुए उप-चुनावों में एक ऐसी प्रक्रिया अपनायी गयी थी जिसमें दो मतदान-पत्र अलग-अलग दिये गये थे और उनका संसदीय तथा सभा के चुनावों के लिए अलग-अलग मतदान पेटियों में डाला जाना अपेक्षित था ।

(ख) यह प्रक्रिया सफल पाई गई थी ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) चुनाव आयोग का विचार इस प्रक्रिया को भविष्य के उप-चुनावों में जारी रखने का है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कालामस्सरी में एच० एम० टी० यूनिट

†२३३. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एरनाकुलम के निकट कालामस्सरी में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स यूनिट स्थापित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : भारत सरकार ने हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० द्वारा केरल में कालामस्सरी में एक मशीनी औजार कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है । कारखाने की पूंजी लागत, जो अनुमानतः ७.५० करोड़ रुपये है, सारी की सारी कम्पनी के आन्तरिक संसाधनों से दी जायेगी । केरल सरकार ने परियोजना के लिये लगभग ९०० एकड़ भूमि उपहार के रूप में देना मान लिया है । अपेक्षित भूमि अलग अलग अवस्थाओं में ली जायेगी तथा कारखानों और बस्ती का निर्माण मानसून के शीघ्र बाद शुरू हो जाने की आशा है । त्रिवेन्द्रम में २०० व्यक्तियों के लिये दो पारी वाला एक अस्थायी प्रशिक्षण केन्द्र खोल दिया गया है । अपेक्षित कर्मचारीवृन्द की भर्ती कार्यक्रम के अनुसार हो रही है ।

परियोजना के लिये संयंत्र और मशीनरी प्राप्त करने की संभावना की जांच करने के उद्देश्य से हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० के चैयरमैन कम्पनी के जनरल मैनेजर के साथ जुलाई-अगस्त, १९६३ में इंग्लैंड, पोलैंड और चैकोस्लोवाकिया गये । उनके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

महेन्द्रगढ़ में कच्चे लोहे का संयंत्र

†२३४. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री हेम राज :
श्री यू० सिं० चौधरी :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महेन्द्रगढ़, पंजाब, में कच्चे लोहे के एक संयंत्र का भविष्य निराशाजनक पाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की कार्यान्विति में रुकावट डालने वाले कारण क्या हैं ?

†**इस्पत और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) और (ख). भारत सरकार ने महेन्द्रगढ़ में उपलब्ध और अयस्क के निक्षेपों के उपयोग पर आधारित पंजाब के राज्य क्षेत्र में १००,००० टन प्रति वर्ष की क्षमता वाले कच्चे लोहे के एक संयंत्र की स्थापना की पंजाब सरकार की योजना सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर ली है । आशय-पत्र उपयुक्त समय में जारी कर दिया जायेगा । संयंत्र के सतरोदा गांव के समीप हिसार-देहली रोड पर, उस स्थान पर उपलब्ध परिवहन, जल संभरण और विद्युत संभरण की सुविधाओं को दृष्टि में रखते हुए, स्थापित किये जाने की संभावना है ।

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात की ढली वस्तुओं के लिये लाइसेंस

†२३५. **श्री रा० गि० दुबे :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय व्यावहारिक तथा आर्थिक अनुसन्धान परिषद ने इस्पात की ढली वस्तुओं की अतिरिक्त क्षमताओं के लिये उदारता से लाइसेंस देने की सरकारी नीति के बारे में अपना अध्ययन पूरा कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अध्ययन की उपपत्तियां क्या हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** (क) और (ख). राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद ने तीसरी तथा चौथी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान इस्पात की ढली वस्तुओं की मांग का अध्ययन किया है । तीसरी योजना के लिये उनका प्राक्कलन सरकार द्वारा अपनाये गये प्राक्कलन से बहुत मिलता है । राष्ट्रीय परिषद् ने सरकार की लाइसेंस देने की नीति का अध्ययन नहीं किया था ।

उद्योग मंत्रालय में हिन्दी अन्वीक्षक

२३६. **श्री कछवाय :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में वरिष्ठ हिन्दी अन्वीक्षकों (सीनियर हिन्दी इन्वैस्टीगेटरों) के कितने पद हैं तथा उनके वेतन-मान तथा श्रेणी क्या हैं ;

(ख) उन पदों पर भरती किस प्रकार की जाती है, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा अथवा मंत्रालय की अपनी परीक्षा के आधार पर ;

(ग) पिछले ६-७ वर्षों में कितनी परीक्षायें इन पदों के लिये हुई तथा कितने व्यक्ति उनमें उत्तीर्ण हुए ; और

(घ) क्या उन परीक्षाओं में उत्तीर्ण सभी व्यक्तियों को उन पदों पर नियुक्त किया जा चुका है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) दो । वरिष्ठ हिन्दी अन्वीक्षकों का वेतन क्रम ३२५–१५–४७५ द० रो०–२०–५७५ रु० है । इस पद का वर्गीकरण सामान्य केन्द्रीय सचिवालय सेवा, श्रेणी–२ (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय) के रूप में किया गया है ।

(ख) मार्च, १९६३ में बनाये गये भर्ती के नियमों के अनुसार ५० प्रतिशत पदों पर नियुक्त पदोन्नति के द्वारा और ऐसा न होने पर स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति के द्वारा की जाती है तथा शेष ५० प्रतिशत पदों पर नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग के जरिये सीधी भर्ती करके की जाती है । पहले वरिष्ठ हिन्दी अन्वीक्षक के पद पर नियुक्त एक लिखित एवं मौखिक परीक्षा के आधार पर की गई थी ।

(ग) पिछले छः सात वर्षों में भूतपूर्व वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में केवल एक परीक्षा ली गई थी । परीक्षा पास करने वाले छः व्यक्तियों में से चनाव समिति को केवल दो उम्मीदवार उपयुक्त जान पड़े ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) पहले सफल उम्मीदवार को उस समय खाली पद पर वरिष्ठ हिन्दी अन्वीक्षक नियुक्त कर लिया गया था। बाद को जब दूसरी जगह खाली हुई तो वह उम्मीदवार इस कारण नियुक्त नहीं किया जा सका कि उस बीच उसकी अपने ही कार्यालय में उच्च स्थान पर पदोन्नति की जा चुकी थी। इसके बाद उस खाली स्थान की पूर्ति दूसरे मंत्रालय से स्थानान्तरण करके की गई थी।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय में हिन्दी अन्वीक्षक

२३७. **श्री कछवाय :**
श्री यशपालसिंह :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में वरिष्ठ हिन्दी अन्वीक्षकों (सीनियर हिन्दी इन्वैस्टीगेटरों) के कितने पद हैं तथा उनके वेतन-मान तथा श्रेणी क्या हैं ;

(ख) उन पदों पर भरती किस प्रकार की जाती है, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा अथवा मंत्रालय की अपनी परीक्षा के आधार पर ;

(ग) पिछले ६–७ वर्षों में कितनी परीक्षायें इन पदों के लिये हुईं तथा कितने व्यक्ति उत्तीर्ण हुए ; और

(घ) क्या उन परीक्षाओं में उत्तीर्ण सभी व्यक्तियों को उन पदों पर नियुक्त किया जा चुका है ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) एक। इस पद का वेतन क्रम ३२५–१५–४७५–द० रो०–२०–५७५ रु० है। इस पद का वर्गीकरण सामान्य केन्द्रीय सचिवालय सेवा, श्रेणी २ (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय) के रूप में किया गया है।

(ख) १९६३ में बनाये गये भर्ती के नियमों के अनुसार ५० प्रतिशत पदों पर नियुक्ति पदोन्नति के द्वारा और ऐसा न होने पर स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति के द्वारा की जाता है तथा शेष ५० प्रतिशत पदों पर नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग के जरिये सीधी भर्ती करके की जाती है। इससे पहले वरिष्ठ हिन्दी अन्वेक्षक के पद पर नियुक्ति एक लिखित एवं मौखिक परीक्षा के आधार पर की गई थी।

(ग) पिछले छः–सात वर्षों में केवल एक परीक्षा ली गई थी। इसमें दो व्यक्ति चुने गये थे।

(घ) पहले सफल उम्मीदवार को उस समय खाली पद पर वरिष्ठ हिन्दी अन्वीक्षक नियुक्त कर लिया गया था। बाद को जब दूसरी जगह खाली हुई तो दूसरे सफल उम्मीदवार की नियुक्ति इस कारण नहीं की जा सकी कि उसकी इस बीच अपने ही कार्यालय में उच्च स्थान पर पदोन्नति की जा चुकी थी।

मछली का निर्यात

†२३८. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेव नायर :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में मछली और मछली से बने उत्पादों के निर्यात को, विशेषतः

†मूल अंग्रेजी में।

अमरीका को, बढ़ाने के लिये कोई उपाय किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) अमरीका सहित विभिन्न देशों को मछली और मछली से बने उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिये चालू वर्ष में निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

(१) विशेष निर्यात संवर्द्धन योजना को पुनरीक्षित कर दिया गया है और उसके अन्तर्गत प्रक्रियाओं को सरल तथा सुव्यवस्थित कर दिया गया है ।

(२) उद्योग के लिये अपेक्षित सामग्री की उपयुक्त व्यवस्था करने के इलावा मशीनों और पुर्जों के आयात का उपबन्ध किया गया है ।

(३) सुखाई हुई मछली और सुखाये हुये झींगों की अच्छी किस्म के निर्यात को सुनिश्चित करने के लिये परिषद् ने टूटीकोरिन, रंगून और कोलम्बो में अपने कार्यालय खोले हैं ।

(ख) चालू वर्ष में किये गये उपायों के परिणामों का निर्धारण तो इस समय नहीं किया जा सकता परन्तु मई १९६३ तक उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि जनवरी–मई १९६३ के दौरान मछली और मछली से बनी वस्तुओं का निर्यात २.२८ करोड़ रुपये का था जबकि १९६२ की इसी अवधि में यह १.३३ करोड़ रुपये का था ।

संश्लिष्ट पत्थरों का निर्यात

†२३९. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तराशे हुये और पालिश किये हुये संश्लिष्ट पत्थरों का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : सरकार को बहुमूल्य तथा संश्लिष्ट पत्थरों समेत हीरे–जवाहरात का निर्यात बढ़ाने के लिये आवश्यक उपायों के बारे में सलाह देने के लिये एक मंत्रणा समिति बनाई गई है । समिति का सरकार तथा व्यापार के साथ निकट सम्पर्क है । तराशे हुये और पालिश किये गये संश्लिष्ट पत्थरों के लिये भी एक निर्यात संवर्द्धन योजना चालू है जिसके अधीन सफेद तथा लाल रंग के पत्थरों, रोडियम साल्यूशन तथा प्लैटिनम झाल (solders) को छोड़ कर प्रोत्साहन के रूप में खुरदरे संश्लिष्ट पत्थरों के आयात की अनुमति है । योजना के अधीन भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों को संश्लिष्ट पत्थर बेचने के बारे में आयात अधिकार भी ग्राह्य हैं ।

बेल्जियम को अयस्कों का निर्यात

†२४० **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेल्जियम ने भारतीय कारखानों के प्रविधिज्ञों को अधिक अनुभव तथा प्रविधिक ज्ञान देने के लिये बहुत सी शिक्षा वृत्तियां और सुविधायें देने की भेंट की है ;

---

†मल अंग्रेजी में

(ख) क्या बेल्जियम ने एक संयुक्त अध्ययन करने और एक ऐसा कार्यक्रम बनाने की भी भेंट की है जिसके अधीन बेल्जियम भारत से पहले से भी अधिक मात्रा में अयस्कों को खरीदने तथा पुर्जों और फालतू पुर्जों की अपनी आवश्यकताओं का भारत से आयात करने की संभावनाओं की खोज करने की कोशिश करेगा ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या निष्कर्ष निकाले गये हैं ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). इस वर्ष मई में जब मैं बेल्जियम गया तो वहां के प्राधिकारियों के साथ इन विषयों पर चर्चा हुई थी और ये अभी विचाराधीन हैं ।

ढलाई के कारखानों को कच्चे लोहे का आवंटन

†२४१. **श्री श० ना० चतुर्वेदी** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ढलाई के कारखानों को किये जाने वाले कच्चे लोहे के आवंटन का उनकी अधिष्ठापित क्षमता से कोई सम्बन्ध है :

(ख) यदि नहीं, तो किस आधार पर आवंटन किया जाता है और प्रत्येक राज्य का कोटा क्या है ; और

(ग) इस वितरण के परिणामस्वरूप कितनी ढलाई क्षमता के निष्क्रिय रहने की संभावना है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** :(क) 'आवंटन' से माननीय सदस्य का अभिप्राय कदाचित 'अधिकार' से है । किसी ढलाई के कारखाने का अधिकार राज्यों के उद्योग निदेशों द्वारा उनके अधीन ढलाईघरों के बारे में निर्धारित क्षमता के अनुसार निश्चित किया जाता है । प्रविधिक विकास विभाग (आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय) के पास जो ढलाईघर दर्ज हैं उन के लिये आवंटन करते समय यह विभाग उन क्षमताओं पर विचार करता है जो उसने निर्धारित की होती हैं ।

(ख) १९६३–६४ में राज्य सूची के ढलाई कारखानों के लिये प्रत्येक राज्य का अधिकार दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १४५१–६३**]

प्रविधिक विकास विभाग के पास दर्ज ढलाईघरों का १९६३–६४ के लिये पूर्ण अधिकार १७६,००० टन है ।

(ग) राज्य प्राधिकारियों द्वारा किये गये क्षमता के निर्धारण के आधार पर ऐसी संभावना है कि छोटे ढलाई कारखानों को औसत रूप से उन की क्षमता के लगभग १० से ११ प्रतिशत तक कच्चा लोहा मिलेगा । साधारणतया ढलाई कारखाने ढली चीजें बनाने के लिये कच्चे लोहे के साथ लगभग ५० % ढले लोहे का कचरा प्रयोग में लाते हैं । यदि वे कचरे का उपयोग करें तो ढलाई कारखाने इस समय अपनी क्षमता के २० से ३० % तक काम कर सकते हैं । जो ढलाई कारखाने

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी आदेश प्राप्त कर लें वे अपने साधारण अधिकार के अतिरिक्त और कच्चा लोहा ले सकते हैं और यदि अधिक नहीं तो अपनी क्षमता के ६०/७०% तक काम कर सकते हैं।

फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियों का उद्योग

†२४२. **श्री श० ना० चतुर्वेदी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फिरोजाबाद (आगरा, उत्तर प्रदेश) में कांच की चूड़ियों के उद्योग को सोडा एश न मिलने के बारे में शिकायतें मिली हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग के विधिन्न एककों को उपयक्त तथा पर्याप्त संभरण तथा समन्याय्य वितरण सुनिश्चि करने के लिये क्या उपाय किए गए हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां।

(ख) फिरोजाबाद के कांच और चूड़ी संघ तथा सोडा एश के निर्माताओं से बातचीत करने के बाद सोडा एश के वितरण की एक सन्तोषजनक व्यवस्था बना ली गई है।

निर्यात से आय

†२४३. **श्री कपूर सिंह :**
श्री केसर लाल :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार **वर्षों** में चाय, जूट तथा सूती कपड़े के निर्यात से कितनी वस्तुओं तथा कितने धन की आय हुई है ; और

(ख) निर्यात में कमी के यदि कोई कारण हैं तो क्या हैं ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) एक विवरण सम्बद्ध है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या १४५२/६३]**

(क) पहले वर्षों की तुलना में १९६२–६३ में जूट की वस्तुओं का निर्यात सामान्यतः मात्रा तथा मूल्य दोनों में अधिक था। १९६०–६१ में तथा १९६१–६२ में निर्यात की गई मात्रा कच्चे जूट की कमी के कारण कम थी।

चाय निर्यात प्रत्येक वर्ष घटता बढ़ता रहता है। १९५९–६० की तुलना में १९६०–६१ में चाय का निर्यात पूर्वोत्तर भारत में १९६०–६१ में सूखा पड़ने के कारण कम हुआ था। परन्तु १९६२–६३ में पहले वर्षों की तुलना में निर्यात अधिक हुआ था।

परन्तु सूती कपड़े का निर्यात कम हुआ था यद्यपि १९६२–६३ में कभी पहले वर्षों की तुलना में कमी हुई थी। सूती कपड़े के निर्यात में कमी के मुख्य कारण नीचे दिए जाते हैं :

१. विभिन्न देशों में सूती कपड़े की मिलों की स्थापना २. नये स्वाधीनता प्राप्त देशों द्वारा लगाये गये आयात प्रतिबन्धों के कारण ३. चीन, जापान, तथा हांगकांग से अधिक प्रतिद्वन्द्विता के कारण ४. उपभोक्ताओं द्वारा साफ किए गए कपड़े की अधिक मांग करने के कारण क्योंकि हमारा कपड़ा इतना साफ नहीं होता है तथा ५. विदेशी मुद्रा की कमी के कारण और अल्प विकसित देशों की प्रतिबन्धित आपात नीति के कारण।

---

†मूल अंग्रेजी में

रूरकेला इस्पात कारखानों का नियंत्रण

†२४४. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री प्र० कु० घोष :
श्री कपूर सिंह :
श्री केसर लाल :
श्री मुरारका :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मन आर्थिक मन्त्रालय से हुए हाल के समझौते के अनुसार रूरकेला इस्पात कारखाने का प्रविधिक नियन्त्रण जर्मन प्रविधिज्ञों को सौंप दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो समझौते के अन्य ब्यौरे क्या हैं ; और

(ग) क्या इस समझौते के अधीन जर्मन प्रविधिज्ञों की सलाह अन्तिम होगी ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

उर्वरक, पैट्रो-कैमिकल तथा मशीन उद्योग

†२४५. **श्री प्र० कु० घोष :**
श्री कपूर सिंह :
श्री केसर लाल :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस उर्वरक, पैट्रो-कैमिकल तथा मशीन उद्योग बनाने के लिए इस देश को औद्योगिक, तथा प्रविधिक सहयोग देने का विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इस समझौते को अन्तिम रूप कब तक दिए जाने की आशा है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) और (ख). तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कहने पर फ्रांसीसी पैट्रोलियम संस्था ने भारत में पैट्रो-कैमिकल उद्योग के विकास का प्रतिवेदन तैयार किया है। खान तथा ईंधन मन्त्रालय प्रतिवेदन पर विचार कर रहा है। गुजरात में कोयला शोधक कारखाने के निकट पैट्रो-कैमिकल कारखाना स्थापित करने में फ्रांसीसी पैट्रोलियम संस्था के सहयोग की सम्भावनाओं की जांच की की जा रही है। अन्तिम निर्णय लेने में कुछ समय लगेगा फ्रांस से औद्योगिक तथा प्रविधिक सहयोग का कोई और प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात

†२४६. श्री सुबोध हंसदा :
डा० महादेव प्रसाद :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग निर्यात संवर्द्धन परिषद् के शिष्टमण्डल ने अपना पश्चिमी यरोप का दौरा समाप्त कर लिया है ;

(ख) उन्होंने किन देशों का दौरा किया था ;

(ग) क्या यह इंजीनियरिंग वस्तुओं के लिए कोई बाजार खोजने में सफल हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो किन इंजीनियरिंग वस्तुओं के लिए ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापर मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) इटली, पश्चिम जमनी, हालैण्ड, बेल्जियम, फ्रांस तथा ब्रिटेन ।

(ग) और (घ). शिष्टमण्डल को आशा है पश्चिमी यूरोप में निम्नलिखित इंजीनियरिंग वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्यात हो सकेगा :—

(१) मशीनी औजारों के लिए लोहा तथा इस्पात की तथा मशीन निर्माण उद्योग तथा पुर्जों आदि के लिए ढली हुई वस्तुयें ;

(२) औज़ार, रंग, जिग और फिक्सचर, यूरोपीय निर्माताओं के नमूने के अनुसार ।

(३) गढ़ाई की वस्तुयें ।

(४) यूरोपीय उत्पाद के लिए विशेष प्रयोजन मशीन जसे मिलिंग कटर, खराद की मशीन, डाई काटने की मशीन, हाईड्रालिक प्रेस आदि ऐसे ।

(५) ऐसे मशीनी औज़ार, सन्यन्त्र तथा मशीनें बनाना जिनको कम मांग होने के कारण यूरोपीय निर्माताओं ने बनाना बंद कर दिया है और व अन्य देशों से जिनको मंगा रहे हैं ।

(६) यूरोपीय निर्माताओं के डिजाइन नमूने के अनुसार ढांचे (धातु तथा लकड़ी) के बनाना ।

(७) डीज़ल इंजन, इलैक्ट्रिक मोटर, स्विच गीयर, सीने की मशीन, छोटे औजार, इंजीनियरिंग तथा बढ़ईगीरी के औजार जैसे कार, ट्विस्ट ड्रिल, रीमर्स आदि दुसरे किस्म की वस्तुयें बनाना ।

(८) स्टील के कोल्डिग फरनीचर, वैंटीलेटर फैन, कापर, सैनीटरी फिटिंग, मैनहोल कवर तथा कंक्रीट के सीखचे आदि उपभोक्ता वस्तुयें ।

(९) यूरोपीय देशों में काम में आने वाली वस्तुयें जिनको इस समय केवल जापान से आयात किया जाता है जैसे म्यूजिकल बाक्स, औजार के डिब्बे क्योंकि इनके मूल्य कम होते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इंडोनेशिया को इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात

†२४७. **श्री सुबोध हंसदा :**
डा० महादेव प्रसाद :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए जो प्रतिनिधि मण्डल इण्डोनेशिया गया था क्या उसने इण्डोनेशिया को ऐसी वस्तुओं के निर्यात के लिए कोई समझौता किया है ; और

(ख) यदि हां, तो समझौता किस प्रकार का था तथा किन इंजीनियरिंग वस्तुओं के लिए था ।

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय सिले हुए कपड़ों का अदन को निर्यात

†२४८. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अदन में भारतीय सिले हुए कपड़ों की काफी अधिक मांग है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कारण है कि बाजार पर काबू नहीं किया जा सका ; और

(ग) अदन में ऐसे बाजार पर काबू पाने के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) अदन को सिले हुए कपड़ों की सप्लाई करने वालों में हांगकांग और जापान मुख्य हैं । भारत का अंश नगण्य है ।

(ख) फिलहाल सिले हुए कपड़ों के भारतीय मूल्य प्रतियोगितात्मक नहीं हैं ।

(ग) सिले हुए कपड़ों के सम्बन्ध में निर्यात संवर्धन योजना में अभी हाल में परिवर्तन किया गया है और अनुमान है कि उससे अदन के लिए हमारे निर्यात में सहायता पहुंचेगी ।

यूगोस्लाविया में जगरेब मेला

†२४९. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री बसुमतारी :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने यूगोस्लाविया में जगरेब मेले में सम्मिलित होने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां।

(ख) १,५७,८००.०० रुपये।

रामचन्द्रपुरम् में बिजली उपकरण संयंत्र

†२५०. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री मुरारका :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेकोस्लोवाकिया के विदेशी व्यापार निगम टैक्नोएक्सपोर्ट के ठेके के अधीन, हैदराबाद के पास रामचन्द्रपुरम् में भारी बिजली उपकरण सन्यन्त्र चालू करने की योजनाएं अन्तिम रूप से तैयार कर ली गयी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) जी हां।

(ख) रामचन्द्रपुरम् में भारी बिजली उपकरण सन्यन्त्र की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्वीकृत हो चुकी है और मशीनों तथा उपकरण की सप्लाई के लिए और सन्यन्त्र की स्थापना में शिल्पिक सहयोग के लिए मेसर्स टैक्नोएक्सपोर्ट, प्राग, के साथ एक संविदा पर १० जुलाई, १९६३ को हस्ताक्षर किये गये थे। उस संविदा की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

कास्टिक सोडा

†२५१. **श्री क० ना० तिवारी** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कास्टिक सोडे की कीई कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) और (ख). यों तो कोई कमी नहीं है लेकिन आयात के साथ-साथ देशी उत्पादन इतना नहीं है कि उद्योग की वर्तमान सम्पूर्ण मांग पूरी करने के लिए वह पर्याप्त हो। जब तक कि देशी उत्पादन नहीं बढ़ता तब तक अतिरिक्त आयात भी विदेशी मुद्रा की कमी के कारण सम्भव नहीं है।

भारतीय माल का निर्यात

†२५२. **श्री क० ना० तिवारी** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लैटिन अमरीका में व्यापार खण्डों के बनाये जाने से भारतीय माल के निर्यात पर सम्भवत: कुछ प्रभाव पड़ेगा ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो किस किस माल पर असर पड़ेगा और उस मामले में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). इस क्षेत्र में हमारे अधिकांश निर्यात में पटसन की बनी वस्तुएं, भारतीय चाय और शेलाक शामिल हैं। लैटिन अमरीका में व्यापार खण्ड बन जाने से निकट भविष्य में इन पर सम्भवत: कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर भी सरकार गतिविधि पर ध्यान दे रही है।

कम्पनियों का परिसमापन

†२५३. **श्री क० ना० तिवारी** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२ में कितनी और कौन-कौन सी कम्पनियां अपने ऋण इस कारण चुकता नहीं कर सकीं कि उनकी देनदारियां उनके परिसम्पत् से ज्यादा हो गयी थीं या उन्हें अनिवार्य रूप से समापन करना पड़ा ; और

(ख) उसके क्या कारण थे ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है जिसमें यह दिखाया गया कि कितनी और कौन-कौन सी कम्पनियों का १९६२ में अनिवार्य रूप से इस कारण समापन किया गया कि वे अपना ऋण चुकता नहीं कर सकीं या कंम्पनीज ऐक्ट, १९५६ की धारा ४३३ के अधीन अन्य कारणों से ऐसा किया गया। [**पुस्तकालय में रखा गया। कृपया देखिये संख्या एल० टी० १४५३/६३**]

येरागुन्टला में सीमेंट का कारखाना

†२५४. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री १९ अप्रैल, १९६३ में अतारांकित प्रश्न संख्या २११९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में कुड्डप्पा जिले में येरागुन्टला में सीमेंट का कारखाना खोलने के लिए किस को लाइसेंस दिया गया है ;

(ख) क्या सन्यन्त्र और साज सामान के लिए इस बीच आर्डर दिया गया है ; और

(ग) इस सन्यन्त्र की अनुमानित लागत कितनी है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)**: (क) येरागुन्टला में सालाना २ लाख मोट्रिक टन की क्षमता के एक सीमेंट कारखाने की स्थापना के लिए श्री पी० वी० कृष्ण रेड्डी, गुडूर, को अनुज्ञप्ति पत्र दिया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) लगभग ३ करोड़ रुपये।

कोठागुडियम में उर्वरक कारखाना

†२५५ **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि आन्ध्र शुगर्स को कोठागुडियम् में उर्वरक कारखाना खोलने के लिये लाइसेंस दिया गया था और उसने कोई प्रगति नहीं की है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना को अपने अधीन ले लेने का सरकार का विचार है ; और

(ग) यदि भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो तो कारखाने की स्थापना का काम तेजी से आगे बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** (क) यह सही नहीं है कि आन्ध्र शुगर्स ने कोठागुडियम में उर्वरक प्रायोजना को कार्यान्वित करने की दिशा में कोई प्रगति नही की है। उसने एक अमरीकी फर्म के साथ तकनीकी और वित्तीय सहयोग की शर्तें तय करली हैं । ये शर्तें सरकार ने मंजूर कर ली हैं । कम्पनी ने परियोजना के लिये पूंजी दिये जाने के लिये पूंजी निगम नियंत्रक की अनुमति भी प्राप्त करली है । कारखाने के लिये जमीन प्राप्त करने और पानी बिजली की सप्लाई के लिये उसने राज्य सरकार के साथ बातचीत भी की है । दीर्घकालीन आधार पर परियोजना के लिये कोयला सप्लाई करने के विषय पर उसने सिंगरेनी कोलियरीज़ के साथ अपनी बातचीत पूरी कर ली है । उसने परियोजना को कार्यान्वित करने के लिये एक नयी कम्पनी को पंजीबद्ध करने के लिये प्रारम्भिक कार्यवाही की है । विदेशी सहयोगी के निवेश के अतिरिक्त आयात किये गये साज सामान की लागत पूरी करने के लिये उसने अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक से विदेशी मुद्रा ऋण मांगा है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सरकार ने उस पार्टी की कठिनाइयां दूर करने में उसकी साहयता करने की दृष्टि से उससे बराबर सम्पर्क बनाये रखा है । अनुमान है कि ज्योंही विदेशी ऋण स्वीकृत हो जायेगा त्योंही वह पार्टी निर्माण-कार्य आरम्भ कर देगी ।

येल्लान्डेओ मे कच्चे लोहे का कारखाना

†२५६. **श्री ईश्वर रेड्डी : क्या इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) येल्लान्डेओ, आन्ध्र प्रदेश में, कच्चे लोहे का कारखाना खोलने की दिशा में कलिंग इन्डस्ट्रीज़ ने क्या प्रगति की है ;

(ख) इस कारखाने के लिये कच्चा माल किन क्षेत्रों से प्राप्त किया जायेगा ; और

(ग) यह कारखाना कब चालू किया जायेगा ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) :** (क) मैसर्स कलिंग इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, कलकत्ता को सालाना १ लाख टन कच्चा लोहा तैयार करने के लिये आन्ध्र प्रदेश में एक कारखाना खोलने के लिये १९६२ में एक औद्योगिक लाइसेंस दिया गया था लेकिन अब उसने वह लाइसेंस इस बीच वापिस कर दिया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

'जिन्जर' और 'सी-प्राइलेंड' कपास का न्यूनतम मूल्य

२५७ **श्री मणियंगाडन : क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन्जर और सी-प्राइलेंड कपास का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने की कोई योजना है ;

(ख) इन वस्तुओं की अनुमानित लागत कितनी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) सम्भवतः कितना न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जायेगा ; और

(घ) यह योजना कितने समय से सरकार और योजना आयोग के सामने है ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जी नहीं। ठीक-ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

औद्योगिक बस्तियां

†२५८. **श्री नि० रं० लस्कर** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक देश में कितनी औद्योगिक बस्तियां स्थापित हो चुकी हैं ;

(ख) वर्ष १९६२ के अन्त तक आसाम में ऐसी कितनी बस्तियां कायम की गयी थीं और किन-किन जिलों में ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक केन्द्रीय सरकार ने असम राज्य को कुल कितनी रकम दी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) अभी तक २६३ औद्योगिक बस्तियों के लिये मंजूरी दी गयी है। ३१-१२-६२ तक ८० बस्तियां चालू हो गयी थीं जब कि अन्य बस्तियां अभी बनायी जा रही हैं ।

(ख) दिसम्बर, १९६२ तक असम में ५ औद्योगिक बस्तियां स्थापित की गयी थीं जो इस कार हैं :—

१. गोहाटी (जिला कामरूप)
२. नलबारी (जिला कामरूप)
३. ढेकियाजुली (जिला दारांग)
४. निनसुकिया (जिला लखीमपुर)
५. शिबसागर (जिला शिबसागर)

(ग) औद्योगिक बस्तियों के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में असम राज्य के लिये ६५ लाख रुपया रखा गया है और अब तक मंजूर की गयी रकम इस प्रकार है :—

स्वीकृत रकम (लाख रुपयों में)	
१९६१-६२	१९६२-६३
०.९८	१.४९

बच्चों का भोजन

२५९. **श्री मती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितना बेबी फूड (बच्चों का भोजन) (दुग्ध तथा बनावटी भोजन) प्रति वर्ष उत्पादित किया जा रहा है ; और

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र में बच्चों के भोजन के उत्पादन के लिये कोई कारखाना निकट भविष्य में खोला जाने वाला है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): (क) देश में पिछले तीन वर्षों में बच्चों के दुग्ध भोजन का उत्पादन इस प्रकार रहा :—

वर्ष	उत्पादन
१९६०.	१६० मीट्रिक टन
१९६१.	१८४५ मीट्रिक टन
१९६२.	३६८२ मीट्रिक टन

(ख) जी, नहीं ।

थर्मामीटर

†२६०. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन कौन सी फर्में थर्मामीटर तैयार कर रही हैं और क्या भारत में तैयार किये गये थर्मामीटरों की किस्म पर कोई नियंत्रण रखा जाता है ; और

(ख) क्या सरकार जानती है कि बहुत बुरी किस्म के थर्मामीटर बेचे जा रहे हैं जो सही तापमान कभी नहीं दिखाते ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). (१) थर्मामीटर तैयार करने वाले फर्मों की सूची संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या १४५५/६३**]

(२) भारतीय मानक संस्था ने सभी किस्म के थर्मामीटरों के प्रमाप तैयार करने का काम शुरू किया है और अनुमान है कि शीघ्र ही उसका निश्चय हो जायगा । बड़े पैमाने पर काम करने वाली फर्म विदेशी तकनीकी सहयोगियों की मदद से थर्मामोटर तैयार करती हैं और वस्तुओं को बाजार में भेजने से पहले उसकी अपनी कठोर परीक्षाएं होती हैं । छोटे पैमाने पर काम करने वालों फर्मों को आवश्यक तकनीकी सहायता विकास आयुक्त, लघु उद्योग, के संगठन से दी जाती है ।

(३) देश में तैयार किये गये थर्मामीटरों की बनावट और उनके दोषो के सम्बन्ध में सरकार को अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा मोटरगाड़ियों की बिक्री

†२६१. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री १९ अप्रैल, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाग (ग) में उल्लिखित पांच गाड़ियां किसे दी गयी हैं ;

(ख) वह गाड़ियां कहां की बनी हुई हैं और जिनसे वे ली गयी थीं या खरीदी गयी थीं उनमें से प्रत्येक को कितनी कीमत दी गयी ;

(ग) प्रत्येक गाड़ी किस कीमत पर बेची गयी ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) बाकी १२ गाड़ियों का क्या हुआ और क्या उनमें से कोई इस बीच बेची गयी है और यदि हां, तो किसे ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). विवरण नीचे दिया जाता है :—

जिन्हें बची गयीं	गाड़ी की बनावट
१. गृहकार्य मंत्रालय, नई दिल्ली	मर्सिडीज बेन्स, २२०५, १९६२
२. पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली	ओपेल रेकार्ड, १९६१
३. पंजाब सरकार	शवरलेट बलेयर
४. इंडियन आयल कम्पनी, बम्बई	मर्सिडीज़ बेंज, २२०, १९६१
५. राज भवन, उड़ीसा	शेवरलेट इम्पास, १९६२

राज्य व्यापार निगम एक व्यापारिक संगठन होने के कारण यह जानकारी बताना लोकहित में नहीं है ।

(घ) १२ मोटर गाड़ियां से ८ मोटर गाड़ियां इस बीच इस प्रकार बेची गयी हैं :—

१. रेलवे बोर्ड,
२. राज्य व्यापार निगम, मद्रास
३. महाराष्ट्र सरकार
४. गुजरात सरकार
५. महाराष्ट्र सरकार
६. महाराष्ट्र सरकार
७. पंजाब सरकार
८. राज भवन उत्तर प्रदेश

शेष चार गाड़ियां टेंडर से बची जा रही हैं ।

विदेशी सहयोग करारों सम्बन्धी समिति

†२६२. **श्री रवीन्द्र वर्मा :**
श्री मुरारका :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विदेशी सहयोग करारों का पर्यवेक्षण करने के लिये वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति स्थापित की है ;

(ख) यदि हां. तो इस समिति का क्षेत्राधिकार और कार्य क्या है ; और

(ग) समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां ।

(ख) विदेशी करार समिति नाम की एक विक्षापित समिति भारत तथा विदेशी दलों के बीच हुए सहयोग करारों की जांच करती है और समुचित सिफारिशें करती है । अन्य मंत्रालयों के प्रतिनिधि

†मूल अंग्रेजी में

भी इस समिति की कार्यवाहियों में सम्मिलित किये जाते हैं, जब उनके मंत्रालयों से सम्बन्धित विदेशी सहयोग के मामलों पर विचार किया जाता है ।

(ग) उद्योग मंत्रालय सचिव .	सभापति
सह-सचिव, वित्त मंत्रालय (अ० क० वि०)	सदस्य
सलाहकार, उद्योग और परिवहन, योजना आयोग	सदस्य
सह-सचिव, समवाय विधि प्रशासन विभाग, उद्योग मंत्रालय	सदस्य
सह-सचिव, औद्योगिक नीति तथा लाइसेंस, उद्योग मंत्रालय	सदस्य
पूंजी निर्णय नियंत्रक, वित्त मंत्रालय (आ० का० वि०) . .	सदस्य
आयात तथा निर्यात का मुख्य नियंत्रक	सदस्य
वरिष्ठ औद्योगिक सलाहकार (इंजीनियरी) महा निदेशालय, प्रावधिक विभाग	सदस्य
वरिष्ठ औद्योगिक सलाहकार (रसायन) प्रविधिक विकास का महा निदेशालय	सदस्य
उपसचिव विदेशी सहयोग उद्योग मंत्रालय .	सचिव

पंजाब के लिये औद्योगिक एककों का आवंटन

†२६३. **श्री हेम बरुआ :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने तीसरी योजना अवधि में पंजाब में अधिक भारी और मध्यम आकार की औद्योगिक एककों के आवंटन के विये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हा, तो इस के बारे में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). जी हां, पंजाब सरकार ने तीन औद्योगिक एककों, अर्थात् (१) इस्पात ढलाई फैक्टरी (२) एयर राइफल फैक्टरी और (३) जोड़-रहित ट्यूब फैक्टरी की स्थापना के लिये प्रस्ताव भेजा है, जो संयुक्त समवायों के द्वारा सरकारी क्षेत्र में कार्यान्वित की जायेंगी । पहली दो योजनायें स्वीकार कर ली गई हैं और तीसरी योजना विचाराधीन है ।

अफगानिस्तान के साथ व्यापार

†२६४. **श्री हेम राज** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को व्यापार और संभरण के लिये लाने ले जाने की सुविधायें प्रदान की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय व्यापारियों को अफगानिस्तान को अपना माल भेजने के लिये प्राप्त होंगी और अफगानिस्तान के साथ भारतीय व्यापार के लिये यह कहां तक लाभदायक होगा ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) तेहरान में वार्ताओं में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरकारों ने अन्य बातों के साथ यह बात मान ली है कि उनके बीच पुनः सम्बन्ध स्थापित होने के पश्चात्, लाने ले जाने और व्यापार व्यवस्था का नियमन किया जायगा । इस आशय

†मूल अंग्रेजी में

की सूचनाओं की सरकारी तौर पर पुष्टि अभी नहीं हुई है कि बरास्ता पाकिस्तान स्थल मार्ग पुनः खोल दिया गया है ।

(ख) रियायतों का प्रश्न ही नहीं उठता । मार्ग के पुनः खुलने पर, भारतीय निर्यात पर मरम्मत छोटे मार्ग से होगा, जिसके द्वारा माल शीघ्र जाएगा ।

मुस्लिम कानून सम्बन्धी जांच समिति

२६५. **श्री सरजू पांडेय :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री राम रतन गुप्त :
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :
श्री हेम बरुआ :

क्या **विधि** मंत्री २६ अप्रैल, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३८७ के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुस्लिम कानून के सम्बन्ध में जो समिति बनने वाली थी, क्या वह बन गई है ; और

(ख) यदि हां, तो, उसमें कौन-कौन लोग हैं और उसके अधिकार क्या हैं ?

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन): (क) जी नहीं, मामला अभी सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सूती कपड़े का व्यापार

†२६६. **श्री श्याम लाल शुर्राफ** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि बहुत से देश सूती कपड़ा व्यापार में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में आ गये हैं, जिसके परिणामस्वरूप इस लाइन की हमारी परम्परागत वस्तुओं को क्षति पहुंची है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति का सामाना करने और भविष्य में अपने हितों को सुरक्षित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां ।

(ख) गहन बाजार अनुसंधान और निर्यात संवर्धन कार्यक्रम तैयार माल के निर्यात को बढ़ाने की दृष्टि से आरंभ किये गये हैं । बढ़िया कपड़े के निर्यात को बढ़ाने के लिये भी कदम उठाये गये हैं ।

दिल्ली में औद्योगिक एकक

२६७. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली से ३,००० औद्योगिक एकक दूसरे स्वीकृत स्थानों को हटा

†मूल अंग्रेजी में

दिये जायेंगं जब कि दिल्ली के मास्टर प्लान की योजना कार्यान्वित की जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो किन स्थानों पर उपरोक्त उद्योग स्थापित किये जायेंगे; और

(ग) उनके हटाये जाने पर कितना रुपया व्यय होने का अनुमान है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): (क) से (ग). यह सच है कि दिल्ली की मास्टर प्लान के अनुसार अनुपयुक्त क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक एकक स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्रों में निर्धारित किये गये स्थानों को टा दिये जायेंगे। इस प्रकार हटाये जाने वाले एककों की ठीक-ठीक संख्या का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण किया जा रहा है। अनुमान है कि निगम से लाइसेंस प्राप्त ऐसे लगभग ३,००० एकक हैं जो अनुपयुक्त क्षत्रों में स्थापित हैं। सर्वेक्षण पूरा हो जाने के बाद ही इस पर होने वाले खर्च का अनुमान लगाया जा सकता है।

मास्टर प्लान में स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्र निम्न प्रकार हैं :—

१. झिलमिल तारा रपुर (दिल्ली-शाहदरा)
२. लारेंस रोड़ औद्योगिक क्षेत्र
३. रिवाड़ी लाइन के पश्चिम प्रथम चरण
४. रिवाड़ी लाइन के पश्चिम दूसरा चरण
५. ओखला औद्योगिक क्षेत्र प्रथम चरण
६. ओखला औद्योगिक क्षेत्र दूसरा चरण
७. औद्योगिक बस्ती नरैना प्रथम चरण
८. नरैना के निकट औद्योगिक बस्ती दूसरा चरण
९. वजीरपुर गांव के निकट औद्योगिक बस्ती
१०. औद्योगिक क्षेत्र जी० टी० रोड
११. आनन्द पर्वत के पश्चिम का औद्योगिक क्षेत्र
१२. टेक्नोलाजी कालेज के निकट विशेष उद्योगों के लिये औद्योगिक क्षेत्र।

फैडको (प्राइवेट) लिमिटेड

†२६८. **श्री मोहन स्वरूप**: क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'फैडको' आयात लाइसेंस के मामले में कुछ भारतीय लोगों को दीर्घकाल का कारावास दंड मिला है और मुख्य अभियुक्त श्री ई० वेंजेल, जर्मन, जो इस फर्म का प्रबन्ध निर्देशक था, भागा हुआ है,

(ख) क्या यह फर्म एक भारतीय समवाय है जिस में एक प्रसिद्ध जर्मन फर्म फर्व बर्क होशर ए० जी० ने श्री वेंजेल को इस का प्रबन्ध-निदेशक नामांकित किया था; और

(ग) यदि हां, तो श्री वेंजेल किस प्रकार अभी तक 'होशर' की नौकरी में लगा हुआ है, जो एक महत्वपूर्ण सरकारी उपक्रम में भारत सरकार के सहयोगी हैं ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) इस मामले में सात भारतीय लोगों को कारावास का दंड मिला है। क्योंकि श्री वेंजेल जो अभियुक्तों में से एक हैं, मुकदमे के लिये भारत

†मूल अंग्रेजी में

में उपलब्ध नहीं है, न्यायालय ने उस का मुकदमा अलग कर दिया है ।

(ख) यह फर्म भारतीय कम्पनी है । फैडरो जैसी कम्पनियों के कर्मचारियों के लिये प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति के मामले में केन्द्रीय सरकार की मंजूरी लेना आवश्यक नहीं होता । अतः यह सिद्ध करने के लिये कोई सूचना प्राप्त नहीं है कि श्री वेंजेल को जर्मन फर्म मैसर्स कारव वर्क होशट ए० जी० ने फैडको का प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किया था ।

(ग) इस बात का पता लगा लिया गया है कि श्री वेंजल 'होशर्ट' कम्पनी की नौकरी में नहीं हैं ।

दिल्ली में प्रयोग किये जाने वाले बाट

२६९. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि आज भी दिल्ली में ऐसे बाट प्रयोग में लाये जा रहे हैं, जो कि मीट्रिक प्रणाली पर आधारित नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसकी रोक-थाम के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) जी, हां । इनका प्रचलन अधिकतर फेटीवालों, खोमचावालों, तथा रेड़ीवालों तक ही सीमित है ।

(ख) गैर मीट्रिक प्रणाली वाले बाटों और प्रमानों को जब्त करने के उद्देश्य से बाट और पैमानों के निरीक्षक लगातार छापा मारते रहते हैं । जनता और व्यापारियों को सारा लेन-देन पूरी तरह से मीट्रिक इकाइयों में ही करने के लिए समझाने के उद्देश्य से प्रचार के विभिन्न साधन भी अपनाये गये हैं ।

रूरकेला उर्वरक संयंत्र

†२७०. **श्री रा० बरूआ** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला उर्वरक संयंत्र को ठीक हाल में किया जा चुका है ;

(ख) क्या चैनलिंग प्रणाली की त्रुटियों में साधारण मरम्मतों की जरूरत है या उन को पूर्णतः बदलने की जरूरत है ;

(ग) यदि संयंत्र पुनः बिगड़ जाता है तो क्या वैकल्पिक प्रबन्ध करने की कोई व्यवस्था की गई है ; और

(घ) नाइट्रो लाइम उर्वरकों की कुल कितनी हानि हुई है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रहमण्यम)** : क) जी हां ।

(ख) कम्प्रैसरों की मरम्मत की जा रही है, जिनमें से इस्पात संयंत्र की भट्ठी की गैस उर्वरक संयंत्र में ले जाई जाती है । फैक्टरी में लगे ऐसे पांच कम्प्रैसरों में से चार की मरम्मत की जा चुकी है और वे ठीक हालत में चल रहे हैं तथा आगामी दिसम्बर तक पांचवें कम्प्रैश्र के ठीक हो जाने की आशा है ।

(ग) पहले से लगे हुए पांच कम्प्रैशर उपलब्ध फालतू गैस के लिये पर्याप्त हैं । अतिरिक्त सहायक कम्प्रैशरों की कोई आवश्यकता नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) कम्प्रैशरों के खराब होने से पहले औसत मासिक उत्पादन ८००० टन के लगभग था। खराबी के कारण संयंत्र को पांच सप्ताह तक बन्द रखना पड़ा। इस कारण उत्पादन में लगभग १०,००० टन की हानि हुई ।

हथकरघा और दस्तकारी की वस्तुएं

२७१. **श्री गो० महन्तो** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा निर्यात संगठन, हथकरघा और दस्तकारी की चीजों के निर्यात बाजार बढ़ाने के लिये विदेशों में व्यापार मेलों में और प्रदर्शनियों में भाग लेता है ;

(ख) इस संगठन की स्थापना से लेकर प्रति वर्ष इस शीर्ष के अन्तर्गत कितना व्यय हुआ है ; और

(ग) राज्यवार हथकरघा कपड़े और दस्तकारी की वस्तुओं के निर्यात में अनुपाततः कितने प्रति शत वृद्धि हुई है ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख)

वर्ष	हथकरघा	दस्तकारी
१९५९–६०	६०,२१४.१४ रुपये	१८,२१४.१० रुपये
१९६०–६१	४३,८०४.४३ ,,	२०,४६४.७१ ,,
१९६१–६२	—	२७,८३०.०८ ,,
१९६२–६३	२,२१५.०० ,,	२२,६९०.७८ ,,

(ग) राज्य वार आंकडे उपलब्ध नहीं ।

(घ) १९५९ की तुलना में १९६२ में हथकरघा कपड़े के निर्यात में १७१% और दस्तकारी वस्तुओं में २७३ % की वृद्धि हुई है ।

आसाम में उद्योग

†२७२. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ से १९६३ तक असम में उद्योगों की सफलता के लिये सरकार ने कितने औद्योगिक लाइसेंस जारी किये हैं ;

(ख) किन २ उद्योगों के लाइसेंस दिये गये हैं ; और

(ग) लाइसेंस जारी करने की कितनी अवधि में इकाइयां स्थापित की जायेंगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) और (ख). जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंसों के ब्योरे नियमित रूप से (१) 'औद्योगिक लाइसेंसों, आयात लाइसेंसों और निर्यात लाइसेंसों के बुलेटिन

†मूल अंग्रेजी में

(इस में अक्तूबर १९६१ से ले कर औद्योगिक लाइसेंसों की जानकारी है) (२) भारतीय व्यापार पत्रिका, और (३) उद्योग तथा व्यापार पत्रिका' में प्रकाशित होते रहते हैं। इन तीनों प्रकाशनों की प्रतियां सभा के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) लाइसेंस को कार्यान्वित करने के लिये सक्रिय कार्रवाई के लिये छः महीने और लाइसेंस की कार्यान्विति को पूरा करने के लिये बारह महीने दिये जाते हैं। जब लाइसेंस प्राप्त लोगों की शक्ति से परे के कारणों से लाइसेंस कार्यान्वित नहीं किये जाते, तो इन अवधियों को बढ़ा दिया जाता है।

तम्बाकू का निर्यात

†२७३. **श्री म० न० स्वामी** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी योजना अवधि में तम्बाकू का निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्रवाइयां की हैं ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी–१४५५/६३]**

छोटे चाय उत्पादकों को ऋण

†२७४. **श्री हेम राज** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्य सरकारों के द्वारा छोटे चाय उत्पादों की सहायता करने के लिये धन देने का विचार करती है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना को अन्तिम रूप देने में कितनी प्रगति हुई है ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). चाय बोर्ड के सहकारी चाय फैक्टरियां स्थापित करने के लिये छोटे चाय उत्पादकों को वित्तीय सहायता दी है। तथापि बोर्ड के संबद्ध राज्य सरकारों को, छोटे चाय उत्पादकों की सहायता करने के लिये योजनायें बनाने, विशषकर सहकारी आधार पर, के लिये कहा है।

खादी पर छूट

२७५. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी कपड़े पर दी जाने वाली छूट की नीति पर पुनर्विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) तथा (ख). खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने सरकार से यह प्रस्ताव किया है कि खादी की खुदरा बिक्री पर छूट देने की जो वर्तमान प्रणाली है उसके बदले में एक ऐसी प्रणाली अपनाई जानी चाहिये जिसके द्वारा सूत से खादी बुनने का खर्च सरकार द्वारा दिया जाने लगे। इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

उद्योगों पर उपकर

†२७६. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री बुलेश्वर मीना :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री २२ फरवरी १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन उद्योगों पर उपकरण लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है जो अपने उत्पादन का कुछ भाग निर्यात न करेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जी हां । अब यह विपणन विकास निधि के रूप में कार्यान्वित किया गया है, जिस के लिये चालू वर्ष में ३.८ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

केरल में कुटीर उद्योग

†२७७. **श्री वारियर :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में केरल राज्य में कुटीर उद्योगों को प्रोत्सा न देने के लिए कितना धन दिया गया है ; और

(ख) इस राशि में कितनी राशि स ायता के रूप में है और कितनी ऋण के रूप में ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायगी ।

बंगाल-नागपुर काटन मिल्स

†२७८. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह :** क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या य सही है कि सरकार ने हाल में ही बंगाल-नागपुर काटन मिल्स, राजनन्दगांव के बन्द होने से सम्बन्धित मामलों की जांच की है ;

(ख) जांच पूरी हो चुकी है ; और

(ग) यदि हां, तो जांच की रिपोर्ट क्या है और सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की है ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) जी हां ।

(ख) और (ग). जांच आयोग की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई ।

मध्य प्रदेश में सीमेंन्ट फैक्टरियां

†२७९. **श्री वीरेंद्र बहादुर सिंह :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी योजना अवधि में मध्य प्रदेश में जिन पक्षों को चार सीमेंट फैक्टरियां स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिये गये हैं, उन्होंने कोई पर्याप्त प्रगति नहीं की है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उनकी वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ग) क्या सरकार प्रगति की कमी के कारण लाइसेंस रद्द करने का विचार करती है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) से (ग): अभी तक मध्य प्रदेश में एक सीमेंट फैक्टरी स्थापित करने के लिये केवल एक लाइसेंस दिया गया है। यह मैसर्स एसोशिएटिड सीमेंट कम्पनी सीमित को भिलाई के समीप जामूल में एक स्लेग सीमेंट फैक्टरी लगाने के लिये दिया गया है। फैक्टरी की १९६४ के मध्य तक चालू होने की आशा है।

२. अनुमोदन पत्र भिन्न भिन्न समयों पर (१) मैसर्स इसीयारा उद्योग सीमिता, कलकत्ता, (२) श्री मोहनलाल नोपानी, कलकत्ता, (३) श्री नगीन एम० शाह, बम्बई और (४) मैसर्स कोहली फाइनेंस सीमित, नई दिल्ली को, मध्यप्रदेश में, इटारसी, अकालतारा, मानपुर और सिल्यारी में क्रमशः सीमेंट फैक्टरियां स्थापित करने के लिये भेजे गये थे। प्रगति न होने के कारण, पहले तीन पक्षों के अनुमोदन पत्र रद्द कर दिये गये हैं। रामपुर के समीप सिलयारी में स्लैग सीमेंट फैक्टरी स्थापित करने की चौथी योजना अन्तिम रूप में तैयार है, खनन पट्टा प्राप्त हो गया है और एक नवीन कम्पनी पंजीबद्ध हो चुकी है। तीसरी योजना के अन्दर इस परियोजना को पूरा करने के हेतु शीघ्रता-पूर्वक कार्रवाई की जा रही है।

कपास सलाहकार समिति की बैठक

२८०. **श्री ओंकारलाल बेरवा** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपास सलाहकार समिति की बाईसवीं बैठक समाप्त हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसने क्या-क्या सुझाव दिये हैं ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) और (ख). सम्भवतः माननीय सदस्य अन्तर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की उस २२वीं पूर्ण बैठक का उल्लेख कर रहे हैं जो अप्रैल-मई, १९६३ में बंगलौर में हुई थी। इस समिति ने कोई भी सिफारिशें नहीं कीं वरन् कुछ प्रस्ताव पास किये थे जिनमें विभिन्न समितियों और उप-समितियों में हुई चर्चा के अन्त में जो परिणाम निकले व दिये गये हैं। अधिक महत्वपूर्ण प्रस्ताव ये थे :—

(१) कपास का उपभोग बढ़ाने तथा इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए वित्तीय एवं अन्य साधन उपलब्ध कराने के लिये सामूहिक प्रयत्न किये जाने चाहिये।

(२) कपास उत्पन्न करने वाले देशों की सरकारों से निवेदन किया जाना चाहिये कि वे कीड़ों तथा बीमारी नियंत्रण से सम्बन्धित कानून के बारे में जानकारी भेजा करें।

(३) स्थायी समिति को अन्तर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की २३वीं पूर्ण बैठक के सामने इस पर भी विचार करना चाहिये कि क्या चाव रखने वाले सदस्य देशों की एक बैठक बुलाना वांछनीय होगा जिसमें कपास के उपभोक्ता एवं उत्पादक देशों की उपयुक्त कपास संस्थाओं से बातचीत की जा सके। इस प्रकार की बैठक का एक उद्देश्य यह भी हो सकता है कि वर्तमान कार्यक्रम जिसमें विशषतः लम्बे रेशे वाली कपास भी शामिल है, को ध्यान में रखते हुए संवर्धन तथा उसके बाजार

†मूल अंग्रेजी में

सम्बन्धी गवेषणा कार्य के लिये और अधिक साधन जुटाने के उपायों तथा ढंगों पर विचार किया जा सके ।

अजमेर में घड़ियां बनाने का कारखाना

२८१. **श्री ओंकारलाल बेरवा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार अजमेर में घड़ियां बनाने का कारखाना खोलने जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह विदेशी सहायता से बनाया जा रहा है ; और

(ग) क्या यह कारखाना सरकारी क्षेत्र में होगा या गैर-सरकारी क्षेत्र में होगा ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग) अजमेर में सरकारी या निजी किसी भी क्षेत्र में घड़ी बनाने का कोई कारखाना खोलने का प्रस्ताव नहीं है ।

शिमला के पास घड़ियां बनाने का कारखाना

२८२. **श्री ओंकारलाल बेरवा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिमले के पास ४० मील की दूरी पर घड़ियां बनाने का कारखाना खोला गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कारखाना किसी गैर-सरकारी कम्पनी का है या सरकार का ;

(ग) क्या इसके लिये विदेशी सहायता भी ली गई है ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी और किससे ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : **(ग) तथा (घ)** शिमला के निकट सोलन में घड़ियां बनाने का एक निजी कारखाना खोला गया है ।

(ग) तथा (घ). इसके लिये कुछ भी विदेशी सहायता नहीं ली गई है ।

बड़ौदा में बाल बेयरिंग का कारखाना

२८३. **श्री ओंकारलाल बेरवा** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ौदा में बाल बेयरिंग का कारखाना खोलने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने पर कितनी लागत आयेगी ;

(ग) इसके अब तक पूरा होने की सम्भावना है ;

(घ) क्या यह विदेशी सहयोग से स्थापित किया जायेगा ; और

(ङ) इसकी वार्षिक क्षमता क्या होगी ?

इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रामण्यम): (क) जी , हां ।

(ख) कारखाने की अनुमानित लागत २२.७ मिलियन रुपये है ।

(ग) फर्म के १९६४ में उत्पादन शुरू करने की संभावना है ।

(घ) जी, हां ।

इसकी वार्षिक क्षमता २.४ मिलियन बेयरिंग की होगी ।

कच्चा लोहा

२८४. श्री ओंकारलाल बेरवा, क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कच्चे लोहे के कोटे में ९० प्रतिशत कमी कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) किन-किन जगहों में यह कमी की गयी है ?

इस्पात तथा भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रामण्यम) : (क) से (ग). कच्चे लोहे के लिए कोटा-व्यवस्था को १-७-१९५९ से समाप्त कर दिया गया था इसलिए कच्चे लोहे के कोटे में प्रतिशत कमी कराने का प्रश्न ही नहीं उठता । कोटा-व्यवस्था की समाप्ति के पश्चात् ढलाईघरों (फांडरियों) के इन्डैंट प्रायोजक प्राधिकारियों[1] द्वारा निर्धारित क्षमताओं के आधार पर उत्पादकों को भेजे जाते रहे। १९६२ के अन्त में यह मालूम हुआ कि प्रायोजक अधिकारी अधिक नियतन के लिए सिफारिशें करते थे जिसका परिणाम यह हुआ कि उत्पादकों के पास लगभग १.२ मिलियन टन के आर्डर एक वर्ष के उत्पादन के लगभग जमा हो गये, इसलिए यह फैसला किया गया कि १-४-१९६३ से उपलब्ध सप्लाई का साम्यिक वितरण करने के लिए राशनिंग की एक नई योजना शुरू की जाय जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्यक फांडरी को वार्षिक क्षमता के अनुपात के मुताबिक इस अवधि में निर्धारित मात्रा में माल मिल सके । इस योजना के अनुसार उन ढलाईघरों को जिन्हें सरकारी या रेलवे स्लीपरों के आर्डर नहीं मिलते उन्हें उनकी निर्धारित क्षमता का लगभग १० से ११ प्रतिशत कच्चा लोहा मिलेगा । ढलाईघर कच्चे लोहे के साथ कास्ट आयरन स्क्रप का भी, जिस पर कोई वितरण नियंत्रण नहीं है, बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं और इस प्रकार ये अपनी क्षमता के २०-३० प्रतिशत तक काम करने के योग्य होने चाहिए । जिन ढलाईघरों को सरकार के आर्डर मिलते हैं उन्हें कच्चे लोहे के अतिरिक्त सप्लाई दी जाती है, और वे, यदि अधिक नहीं, तो अपनी क्षमता के ६०-७० प्रतिशत तक काम कर सकते हैं ।

आविष्कार करने वाले और डिजाइन बनाने वाले

†**२८५. श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार ने भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्गर्गत, एकस्वों सम्बन्धी विधि के अन्तर्गत आविष्कारकों और डिजाइन बनाने वालों के अधिकारों को समाप्त करने या कम करने की शक्तियां प्राप्त की हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या विशिष्ट कार्रवाई की गई हैं ; और

(ग) इस कार्रवाई के आधारभूत कारण क्या हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) से (ग): भारत प्रतिरक्षा नियम १९६२ में हाल में संशोधन करके केन्द्रीय सरकार को मुख्यतः (१) एकस्वों और डिजाइनों के कंट्रोलर

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Sponsoring Authorities.

को विशिष्ट श्रेणियों के एकस्वों सम्बन्धी लम्बित अपना नवीन अर्जियों पर कार्रवाई न करने के लिये निदेश देने ; और

(२) सरकारी या सरकार द्वारा नियंत्रित किसी निगम को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को किसी एकस्वित आविष्कार का, दोनों पक्षों के बीच तय हुए प्रतिकर को देकर उपयोग करने का अधिकार देने के लिये शक्तियां प्रदान की गई हैं। प्रतिकर की राशि सम्बन्धी झगड़े के सम्बन्ध में, केन्द्रीय सरकार का फैसला अन्तिम होगा, यद्यपि सरकार इस मामले में दोनों पक्षों को अपनी शिकायत कहने के लिये उचित अवसर प्रदान करेगी। एकस्वों के नियंत्रण को कहा गया है कि वह खाद्य औषधों तथा औषधियों के क्षत्र में किसी नवीन एकस्व को वापिस वर्तमान एकस्वन विधि के अन्तर्गत रजिस्टर न करे।

(ग) प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत शक्तियां ग्रहण करने का उद्देश्य वर्तमान एकस्व अधिकारों को समाप्त करना नहीं है, अपितु इस बात का प्रबन्ध करना है कि आपात काल में खाद्य, औषधों या औषधियों का जैसे अनिवार्य पदार्थों के उत्पादन में विलम्ब होने का अवसर न आए अथवा कमी के कारण इनके काम बहुत तेज न हो जायें। आपातकाल में एसी शक्तियां बहुत से अन्य देशों द्वारा भी प्राप्त की जाती हैं।

निर्यात पर से प्रतिबन्ध हटाना

२८६. **श्री रामेश्वरानन्द** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन वस्तुओं के निर्यात पर से प्रतिबन्ध हटाया गया है उनके नाम क्या हैं ; और

(ख) निर्यात के कारण देश में उनके अभाव को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :(क) जिन देशों के निर्यात पर से पिछले निर्यात (नियंत्रण) आदेश में संशोधन के बाद पाबन्दी हटा दी गई है उनकी एक सूची संलग्न है।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० १४५६/६४]

(ख) इन जिंसों की देश में कोई कमी नहीं है।

पंजाब में भारी इंजीनियरी परियोजना

†२८७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना अवधि में पंजाब में कौन कौन नवीन भारी इंजीयनयरी परियोजनाएं स्थापित करने का विचार है,

(ख) क्या सरकार ऐसी कोई परियोजना पंजाब के पिछड़े पहाड़ी क्षेत्र में स्थापित करने का विचार करती है; और

(ग) यदि हां, तो कहां पर ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रामण्यम)** : (क) छः ।

(ख) और (ग) जी नहीं ।

रेशम बोर्ड

†२८८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेशम बोर्ड ने दिल्ली, कलकत्ता, बंगलौर और श्रीनगर चार सम्पर्क कार्यालय स्थापित करने का फैसला किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा एवं कार्य क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). महत्वपूर्ण रेशम कृमि पालन राज्यों के साथ घनिष्ट संबंध स्थापित करने की दृष्टि से, केन्द्रीय रेशम बोर्ड का दिल्ली और श्रीनगर में दो सम्पर्क कार्यालयों की स्थापना तथा बंगलौर और कलकत्ता के वर्तमान सम्पर्क कार्यालयों का मजबूत करने का विचार है । इन कार्यालयों के कार्य में होंगे :

(१) राज्यों में उद्योग की प्राविधिक प्रगति को समय समय पर आंकना,

(२) रेशम और कोया बाजार पर निगरानी रखना और बोर्ड को विभागीय रूप से प्रतिवेदन भेजना;

(३) शुद्ध रेशम कपड़े पर मुहर लगाना

(४) कम विकसित राज्यों में रेशम कृषि योजनाओं को कार्यान्वित करने में प्राविधिक सहायता देना;

(५) अब रेशम बुनने वाली संस्थाओं का निरीक्षण, जिन को बोर्ड द्वारा आयात किया गया कच्चा रेशम दिया जाता है ।

पंजाब के लिये कच्चे लोहे का अभ्यंश (कोटा)

†२८९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अपने उन छोटे पैमाने के उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार कच्चा लोहा देने की प्रार्थना की है, जो बन्द होने वाला है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में सरकार ने क्या फैसला किया है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रामण्यम)**: (क) और (ख). अन्य राज्यों की सरकारों के समान पंजाब सरकार ने १९६३–६४ में अपने राज्यों में छोटे पैमाने की भट्टियों को कच्चा लोहा देने में की गई कमी के बारे में शिकायत की थी । कच्चे लोहे के लिये उत्पादकों के पास लंबित क्रयादेशों की भीड़ को कम करने के लिये और उपलब्ध माल का समान वितरण करने के लिये एक संशोधित योजना बनाई गई है । इस योजना के अनुसार छोटे और बड़े दोनों प्रकार की भट्टियों को १९६३–६४ में कच्चा लोहा एक नियत मात्रा में मिलेगा चाहे वह उन की अनुमानित अवश्यकता से कम हो । हालांकि उपलब्धि को बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है, १९६३–६४ में उपलब्धि में कोई बड़ा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

तदनुसार पंजाब सरकार को सूचित कर दिया गया है ।

कोटा में शुद्ध मापक यंत्र बनाने वाला कारखाना

†२९०. **श्री रा० बरूआ** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोटा में स्थापित होने वाले शुद्ध मातक यंत्र बनाने वाले कारखाने के लिये रूसी विशषज्ञों को बुलाया है;

(ख) यदि हां, तो विशेषज्ञों के दल के कब आने की सम्भावना है;

(ग) कारखाना कब तक बन कर पूरा हो जायेगा; और

(घ) इस की उत्पादन क्षमता क्या होगी और इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (घ). शुद्ध माप औजार संयंत्र, कोटा की विस्तत परियोजना रिपोर्ट जून, १९६३ के अन्त में प्राप्त हुई है; और मैसर्स प्रोमशैक्सपोर्ट, मास्को, के साथ हुए करार के अनुसार रूसी अधिकारियों से प्रार्थना की गई है कि वे भारत में रूसी विशेषज्ञों को भेज दें जो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर विचार करने में सरकार की सहायता कर सकें। भारतीय शिल्पकों के प्रारम्भिक प्रशिक्षण के संबंध में भी रूसी शिक्षकों के भारत में मध्य अक्तूबर १९६३ तक आने की आशा है । संयंत्र सब मंजूरियों की तिथि के पश्चात् लगभग तीन वर्षों में पूरा होने की संभावना है । संयंत्र की क्षमता एवं विदेशी मुद्रा निश्चित रूप से तथा तभी जानी जायगी जब विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा विचार हो जायेगा और वह स्वीकार कर ली जायेगी ।

निर्यात ऋण और प्रत्याभूति निगम

†२९१. **श्री रा० बरूआ** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि इन के मंत्रालय द्वारा स्थापित किये गये निर्यात वित्त संबंधी अध्ययन दल ने, निर्यात को बढ़ाने के निमित्त ऋण देने के लिये एक निर्यात ऋण एवं प्रत्याभूति निगम स्थापित करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस के संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क)जी हां ।

(ख) अध्ययन दल द्वारा की गई सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

गोआ में कपड़ा मिलें

†२९२. **श्री रा० बरूआ** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार ने गोआ में गैर-सरकारी क्षेत्र में दो कपड़ा मिलें स्थापित करने की मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या किसी विदेशी सहायता का उपयोग किया गया है ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) गोआ में तीन सूती कपड़ा मिलें स्थापित करने के लिये लाइसेंस दिये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) तीन पार्टियों में से एक ने संकेत किया है कि उस की योजना में विदेशी मुद्रा का व्यय होगा ।

गोरखपुर में उर्वरक का कारखाना

२९३. **डा० महादेव प्रसाद :**
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोरखपुर में उर्वरक कारखाने की स्थापना की प्रगति की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि जिन की जमीन ली गई थीं उन्हों ने सत्याग्रह किया और उन्हें जेल भेजा गया;

(ग) उक्त सत्याग्रह का परिणाम क्या रहा; और

(घ) क्या आवश्यक जमीन कारखाने के कब्जे में आ गई है ?

इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रामण्यम) : (क) कारखाने और बस्ती (टाउनशिप) के लिए स्थान निर्धारित कर लिया गया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि अभिग्रहण के लिये कार्यवाही कर ली है । सर्वेक्षण तथा भूमि अन्वेषण का काम पूरा हो चुका है । मुख्य संयंत्रों तथा साज सामान की सप्लाई के लिये सर्वश्री टोयो इंजीनियरिंग कारपोरेशन टोकयो, जापान, को इन्टेंट पत्र जारी कर दिया गया है । इस फर्म के साथ शीघ्र ही एक औपचारिक करार किया जायेगा । सहायक संयंत्रों जैसे भाप जनन प्लांट और मुख्य विद्युत्-उप केन्द्र के लिये टेंडर प्राप्त हो चुके हैं और उन की छानबीन की जा रही है । निर्माण संगठन स्थापित किया जा रहा है और कुछ ही दिनों में कारखाने तथा बस्ती के लिए परामर्शदाता नियुक्त किये जायगे ।

(ख) जिन काश्तकारों की भूमि अभिग्रहण की गई थी उन्हों ने निकटवर्ती सरकारी जंगल से वृक्ष काट कर अपने पुनर्वास के लिये उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह किया । कई व्यक्ति, जिनमें काश्तकार भी शामिल थे, गिरफ्तार किए गए और बाद में छोड़ दिये गये ।

(ग) क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार काश्तकारों के पुनर्वास के उपायों पर विचार कर रही थी इसलिये सत्याग्रह वापस ले लिया गया है और इस बारे में पकड़े गये व्यक्ति छोड़ दिये गए हैं ।

(घ) अभी तक फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया को भूमि का औपचारिक कब्जा नहीं मिला है ।

संश्लिष्ट रबड़

†२९४. **श्री पु० र० पटेल** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संश्लिष्ट रबड़ किन दामों से विदेश से मंगाया जाता है; और

(ख) देश में तैयार होने वाली संश्लिष्ट रबड़ की उत्पादन लागत क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) एस० बी० आर० किस्म की संश्लिष्ट रबड़ की यहां आने की लागत प्रति एम० टन २९०० रुपये है जिस में २२ प्रतिशत मूल्यानुसार आयात शुल्क शामिल है ।

(ख) भारतीय उत्पादक ने इस चीज का ४४०० रुपये प्रति टन बेचने की पेशकश की है और इस मूल्य के औचित्य का प्रश्न विचाराधीन है । तब उत्पादन लागत भी मालूम हो जाएगी ।

पंजाब में छोटे पैमाने का उद्योग

†२९५. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने कच्चे माल अर्थात्, कच्चा लोहा, पत्थर का कोयला, चादरों, तार और अलौह धातुओं की कमी के कारण छोटे पैमाने की इकाइयों को लगे धक्के के बारे में केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने पंजाब राज्य में छोटे पैमाने के उद्योग की सहायता करने के लिये क्या निर्णय किया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां ।

(ख) इस मामले पर विविध संबंधित विभागों के परामर्श के साथ विचार किया जा रहा है ।

बरेली में औजारों का कारखाना

२९६. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री २६ अप्रैल, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरेली में औजारों का जो कारखाना स्थापित किया जा रहा है, उस की स्थापना किस कम्पनी के द्वारा की जा रही है; और

(ख) उस कारखाने की स्थापना में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रामण्यम): (क) मैसर्स आर० आर० इंजीनियरिंग कम्पनी ।

(ख) आवेदक कम्पनी ने योजना को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित मशीनरी के आयात हेतु आवेदन पत्र दिया है, जो सरकार के विचाराधीन है ।

निधन सम्बन्धी उल्लेख

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को सूचित करना है कि श्री रंगा राव का, जो १९५७ से १९६२ तक दूसरी लोक सभा के सदस्य रहे, १४ जुलाई, १९६३ को निधन हो गया । हमें उन की मृत्यु का अत्यन्त शोक है और सभा शोक प्रकट करने के लिये कुछ देर मौन खड़ी रहे ।

इस के बाद सभा के सदस्य शोक प्रकट करने के लिये कुछ देर के लिये मौन खड़े रहे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने वाली सूचना तथा स्थगन प्रस्ताव के बारे में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम श्री पु० र० पटेल की ध्यान दिलाने की सूचना पर विचार करेंगे। क्या वे उपस्थित हैं ? नहीं, तो पत्र सभा पटल पर रखे जायं।

†**श्री उमानाथ** (पट्टकोट्टई) : मैं ने बंबई की हड़ताल के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी वह अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को सभा की प्रक्रिया विदित है कि यदि वे किसी स्थगन प्रस्ताव को अनुमति न देने के निर्णय से असन्तुष्ट हों तो उन्हें अध्यक्ष महोदय से उन के कमरे में मिलना चाहिये। अन्यथा इस प्रकार प्रश्न को नहीं उठाया जा सकता।

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : गुजरात के कच्चे लोहे के सम्भरण की अपेक्षा जो कि इस स्थगन प्रस्ताव का विषय है बम्बई की हड़ताल जिस में ३०००० कर्मचरियों के विरुद्ध सरकार ने कार्यवाही की है, अधिक महत्वपूर्ण है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न को इस प्रकार यहां नहीं उठाया जा सकता।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : मेरा निवेदन तो सुन लें। यह बम्बई की हड़ताल का जो सवाल है यह भारत सरकार को रक्षा नीति से सम्बन्धित है। स्थिति रोज बरोज बिगड़ती जा रही है, मेरे पास तार आया है जिसमें कहा गया है कि सामाजवादी दल के सभी नेता गिरफ्तार हो चुके हैं, और स्थिति भयावह हो चुकी है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस समय सभा के समक्ष और विषय है।

†**श्री नम्बियार** (तिरुचिरापल्लि) : जब इतने महत्वपूर्ण विषय के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दे रखी है तो यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस पर चर्चा होने दें और माननीय मन्त्री से वक्तव्य देने के लिए कहें।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इसे अस्वीकार किया जा चुका है।

†**श्री राम सेवक यादव** : उपाध्यक्ष महोदय * * * *

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इन शब्दों को कार्यवाही के अभिलेख में न रखा जाए। यदि वे अध्यक्ष के निर्णय से असन्तुष्ट हैं तो मेरे कमरे में आकर बातचीत करें। मैं उन्हें इस प्रस्ताव की अस्वीकृति के कारणों के बारे में सन्तुष्ट कर दूंगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : यदि हम इस विषय पर आप से आपके कमरे में चर्चा करें तो इसकी अविलम्बनीयता समाप्त हो जाएगी जबकि स्थिति निरन्तर बिगड़ रही है। आज ही श्री मधु लिमे को गिरफ्तार कर लिया गया है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अध्यक्ष के किसी विनिर्णय पर यहां चर्चा नहीं की जा सकती। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा उन्हें पदच्युत किया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

*कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता दक्षिण पश्चिम) : भूत काल में प्रायः ऐसा किया गया है कि यदि स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी गई तो अध्यक्ष महोदय उसे ध्यान दिलाने की सूचना के रूप में ले लिया करते हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैंने इसीलिए कहा है कि माननीय सदस्य कमरे में आकर इस पर चर्चा कर लें।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे विषयों पर बात हो जानी चाहिए। आप परमेश्वर की तरह इस गद्दी पर बैठ हैं; और प्रत्येक के साथ न्याय करना चाहिए। आपको सत्ता प्राप्त पार्टी का इतना पक्ष नहीं करना चाहिए। मेरा निवेदन है कि इस हाउस में सबको बोलने का अधिकार है। हम सब में आप भी सम्मिलित हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमारी बात सुन लें। जब आप आर्डर आर्डर कहते हैं तो हम मान लेते हैं। लेकिन हमारी भी तो बात सुनी जानी चाहिए।

†**श्री नायपाई** (राजापुर) : हम यह तो जानते हैं कि विनिर्णय क्या है किन्तु यह भी सच है कि यदि विषय महत्वपूर्ण हो तो उसकी अनुमति दी जाती है। विषय की महत्ता इस बात से स्पष्ट है कि संसद् के सभी मुख्य दलों ने इस बारे में स्थगन प्रस्ताव रखे हैं। यदि केवल प्रक्रिया के कारण इस पर चर्चा न कर सके तो हमारा उपहास होगा। ४०० लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसा क्यों ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैंने सभा को बताया है कि जिस स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया हो उस पर यहां चर्चा नहीं की जा सकती। अध्यक्ष से बातचीत की जा सकती है और वे अपना विनिर्णय बदल भी सकते हैं ?

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : श्रीमान् एक औचित्य प्रश्न है। अभी आपने श्री राम सेवक यादव के एक कथन के बारे में कहा था कि वह अभिलेख में न रखा जाए। मैं सविनय निवेदन करता हूं कि एसा विनिर्णय अस्पष्ट है। प्रक्रिया नियमों के नियम ३८० में कहा गया है कि यदि अध्यक्ष किसी बात को अनुचित, असंसदीय या अप्रतिष्ठित समझें तो उसे अभिलेख से निकाल देने का आदेश दे सकते हैं। अतः आप कृपया यह बताएं कि कौनसी बात असंसदीय है।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : श्रीमन् एक औचित्य प्रश्न है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : एक औचित्य प्रश्न पर दूसरा औचित्य प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

†**श्री त्यागी** : मेरा औचित्य प्रश्न उससे भिन्न है। वह यह है कि जिस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया हो क्या उसके बारे में कही गई बात कार्यवाही अभिलेख का अंश बन सकती है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैंने उस कथन को इस कारण अभिलेख से निकालने का आदेश दिया था कि माननीय सदस्य उस विषय पर चर्चा नहीं कर सकते जिसकी अनुमति न दी गई हो। नियम ३८० में कहा गया है कि यदि कोई सदस्य अध्यक्ष के मना करने पर भी किसी विषय पर बोले तो अध्यक्ष को अधिकार है कि वह उस कथन को अभिलेख में से निकाल दे।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : किस कथन को निकाला गया है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उस कथन को जो अस्वीकृत प्रस्ताव के बारे में है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नाथ पाई :** मुझे तो आपने बोलने की अनुमति दी थी। क्या मेरे कथन को भी अभिलेख से निकाल दिया गया है ?

†**श्री हां० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता मध्य) : श्रीमान ऐसा प्रायः होता है कि अभी किसी सदस्य ने अपनी बात पूरी नहीं की होती कि आप बीच में कुछ वक्तव्य दे देते हैं। मैं अनुभव करता हूं कि ऐसे अवसर पर सभा में जोश फैला हो सदस्यों को अपनी बात कहने का अधिकार है और यह उनका उत्तर-दायित्व भी है। आप यदि यह नियम बनाएं कि आप जब कभी किसी सदस्य से अपना कथन बन्द करने के लिए कहें तो उसे बन्दकर देना चाहिये तो यह मानव प्रवृत्ति के विरुद्ध है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य तो अनुभवी संसद् सदस्य हैं। यदि कोई सदस्य ऐसे विषय पर बोले जिस पर नहीं बोलना चाहिये तो अध्यक्ष उसे रोक सकता है और उसका कथन अभिलेख से निकाला जा सकता है। यह अध्यक्ष का विनिर्णय है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

रबड़ (संशोधन) नियम

नारियल जटा उद्योग (संशोधन) नियम

पटसन के वस्त्र (नियंत्रण) संशोधन आदेश
चाय बोर्ड का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) रबड़ अधिनियम १९४७ की धारा २५ की उपधारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक ४ मई, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी एस० आर० ७७४ में प्रकाशित रबड़ (संशोधन) नियम, १९६३।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० १३९९/६३]

(ख) नारियल जटा उद्योग अधिनियम, १९६३ की धारा २६ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक २९ जून, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० संख्या १०८८ में प्रकाशित नारियल जटा उद्योग (संशोधन) नियम, १९६३।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० १४००/६३]

(ग) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत दिनांक ६ जुलाई, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १८८९ में प्रकाशित पटसन के वस्त्र, (नियन्त्रण) संशोधन आदेश, १९६३।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० १४०१/६३]

(घ) वर्ष १९६२–६३ के लिये चाय बोर्ड का वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० १४०२/६३]

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मनुभाई शाह : मैं उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा १५ के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) दिनांक ७ जून, १९६३ का एस० ओ० संख्या १६६५ ।

(ख) दिनांक १८ जुलाई, १९६३ का एस० ओ० संख्या २०४७ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १४०३/६३]

डा० राम मनोहर लोहिया : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है....

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये ।

श्री राम सेवक यादव : उपाध्यक्ष महोदय, जब कोई माननीय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं तो उसे सुनना चाहिए । माननीय सदस्य उठ कर व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं और क्या मंत्री महोदय इस तरह बोलते जा सकते हैं ? अगर सदन की कार्यवाही इसी तररह से चलाई जायेगी तो यह प्रजातंत्र के लिए स्वस्थ परम्परा नहीं होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम अब और प्रश्न को ले रहे हैं । व्यवस्था का प्रश्न ख़त्म हो गया है । मैंने उस पर अपनी रूलिंग दे दी है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : यह जो व्यवस्था का प्रश्न उठा है इस से मेरा बिल्कुल अलग है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मेरी बात सुन तो लीजिये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : बिना विषय के व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता ।

श्री राम सेवक यादव : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है इसे आप पहले सुन तो लें । बिना सुने ही उसे रखने की इजाज़त न देना यह कुछ उचित नहीं जंचता है । इस तरह से सदन का काम कैसे चलेगा ? मेरी आप से प्रार्थना है कि जनतंत्र को आप ठीक से चलाने की कोशिश करें और उस को एक मखौल न बनायें । जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा रहा है उसे आप सुन लें । उनका दूसरी व्यवस्था का एक प्रश्न है । अब उस में क्या बात होगी इसे आप बिना सुने पहले से ही कैसे समझ सकते हैं ?

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं स्थगन प्रस्ताव के तथ्य पर कुछ नहीं बोलना चाहता । मैं केवल उस के तरीके पर बोलना चाहता हूं । अभी तक आपने इस स्थगन प्रस्ताव को केवल बम्बई का समझा है लेकिन मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि यह सारे हिन्दुस्तान का सवाल है और सारे...

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे खेद है । डा० राम मनोहर लोहिया कृपया बैठ जाएं । मैं बता चुका हूं कि स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया है । अतः वे बैठ जाएं और सभा का कार्य होने दें ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं स्थगन प्रस्ताव के तथ्य के बारे में नहीं बोल रहा हूं बल्कि उस के तरीक़े पर बोल रहा हूं यह मैंने कहा था ।

श्री रामेश्वरानन्द : प्रजातंत्र में इस तरह का अन्याय तो नहीं होना चाहिये । दूसरों की बात सुनी जानी चाहिए । जनता के द्वारा चुन कर आये हुए प्रतिनिधियों की बात को सुना जाय ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री बागड़ी : ग्रौन ए प्वाइंट ग्राफ़ ग्रार्डर, सर ।

उपाध्यक्ष महोदय : ग्रार्डर, ग्रार्डर । कोई प्वाइंट ग्रौफ़ ग्रार्डर नहीं है । ग्राप बैठ जाइये ।

श्री बागड़ी : मेरे प्वाइंट ग्रौफ़ ग्रार्डर को सुने वगैर ग्राप कैसे समझ गये कि कोई प्वाइंट ग्रौफ़ ग्रार्डर नहीं है ? पहले ग्राप उसे सुन लें बाद में उसे ग्राप डिसएलाऊ कर सकते हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य बैठ जाएं । विषय के बिना व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता ।

श्री बागड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, ग्रौन ए प्वाइंट ग्रौफ एनफ़ारमेशन । . . .

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मुझे खेद है । यदि माननीय सदस्य नहीं बैठे तो मुझे सख्त कार्यवाही करनी होगी ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** ग्राप कृपया उस का ग्रौचित्य प्रश्न नहीं सुनेंगे ?

सभा पटल पर रखे गये पत्र—जारी

समवाय ग्रधिनियम के ग्रधीन ग्रधिसूचना केन्द्रीय रेशम बोर्ड नियमों में संशोधन भारतीय उत्पादकता दलों के प्रतिवेदन

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :**

(१) मैं केन्द्रीय रेशम बोर्ड ग्रधिनियम १९४८ की धारा १३ की उपधारा (३) के ग्रन्तर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड नियम, १९५५ में कुछ ग्रौर संशोधन करने वाली निम्नलिखित ग्रधिसूचनाग्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) दिनांक ११ मई, १९६३ की जी० एस० ग्रार० संख्या ८०० ।

(ख) दिनांक २२ जून, १९६३ की जी० एस० ग्रार० संख्या १०२९ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १४०४/६३]

(२) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) कंपनीज ऐक्ट, १९५६ की धारा ६२०-क की उप-धारा (३) के ग्रन्तर्गत दिनांक ८ जून, १९६३ की ग्रधिसूचना संख्या जी० एस० ग्रार० ९७८ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १४०५/६३]

(ख) फ़्रांस, ग्रमरीका ग्रौर ब्रिटेन के सीमेंट उद्योग के बारे में भारतीय उत्पादकता दल

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १४०६/६३]

(ग) रूस ग्रौर चैकोस्लोवाकिया के मशीन निर्माण उद्योग के बारे में भारतीय उत्पादकता दल का प्रतिवदन ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १४०७/६३]

(घ) जापान, ग्रमरीका ग्रौर ब्रिटेन में किस्म नियंत्रण के बारे में भारतीय उत्पादकता दल का प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १४०८/६३]

(ङ) जापान, ग्रमरीका ग्रौर ब्रिटेन में कर्मचारी प्रबंध के बारे में भारतीय उत्पादकता दल का प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १४१०/६३]

---

†मूल ग्रंग्रेजी में

(च) पश्चिम जर्मनी, ब्रिटेन और अमरीका में औद्योगिक देख-रेख के बारे में भारतीय उत्पादकता दल का प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १४०१/६३]

(छ) अमरीका और पश्चिम जर्मनी में मोटर गाड़ी पुर्जा उद्योग के बारे में भारतीय उत्पादकता दल का प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १४११/६३]

(ज) पश्चिम जर्मनी, अमरीका और जापान में मशीनी औजार उद्योग के बारे में भारतीय उत्पादकता दल का प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिय संख्या एल० टी० १४१२/६३]

श्री बागड़ी : एक औचित्य प्रश्न यह है. . . .

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जब सभा में कोई कार्य हो रहा हो तभी औचित्य प्रश्न हो सकता है :

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या आप उस का प्रश्न सुन नहीं सकते ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या यह सभा पटल पर पत्र रखने के बारे में है ? आप तो अनुभवी सदस्य हैं ?

†**श्री ही० ना०मुकर्जी** : क्या यह उचित नहीं कि आप बिना सुने औचित्य प्रश्न को अस्वीकार न करें ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं कितने भी औचित्य प्रश्न सुन सकता हूं यदि वे प्रासंगिक हों ।

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक १८ मई, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८५७ में प्रकाशित चावल (मध्य प्रदेश) मल्य नियंत्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, १९६३ ।

(दो) दिनांक १८ मई, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८५८ में प्रकाशित चावल (पंजाब) मूल्य नियंत्रण (तीसरा संशोधन) आदेश, १९६३ ।

(तीन) दिनांक १८ जुलाई, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १२३४ ।

(चार) दिनांक २७ जुलाई, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १२५२, जिस में दिनांक १७ मार्च, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३७४ का शुद्धि पत्र दिया हुआ है ।

(पांच) दिनांक ३ अगस्त, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२८१ में प्रकाशित रोलर मिल्स गेहूं की चीजें (मूल्य नियंत्रण) संशोधन आदेश, १९६३ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० म० थामस]

(छै) दिनांक ३ अगस्त, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२८२ में प्रकाशित दिल्ली रोलर फ्लोर मिल्स गेहूं की चीजें (मूल्य नियंत्रण) संशोधन आदेश, १९६३ ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० १४१३/६३]

श्री राम सेवक यादव : माननीय मंत्री जी क्या कह गए हैं, किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया है। वह बहुत जल्दी जल्दी बोल गए हैं। किस तरह से वह आशा करते हैं कि कोई चीज पास हो जाए बिना समझे हुए ?

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मंदसौर) : सभा में बहुत शोर हो रहा है अतः जो कुछ सुनना चाहते हैं वे नहीं सुन पाते। इस का कुछ उपाय होना चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं सभा में हर किसी से निवेदन कर रहा हूं कि वे शान्ति रखें।

श्री बागड़ी : ग्रौन ए पाइंट ग्राफ़ इन्फार्मेशन सर . . .

†**उपाध्यक्ष महोदय :** श्री थामस ।

†**श्री अ० म० थामस :** मैं पत्र सभा पटल पर रख चुका हूं।

†**गृह कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :** मैं संविधान के अनुच्छेद ३३८ (२) के अन्तर्गत, वर्ष १९६१–६२ के लिये अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त की रिपोर्ट (भाग १ और २) की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० १४१४/६३]

†**उपाध्यक्ष महोदय :** औचित्य प्रश्न क्या है ?

श्री बागड़ी : ग्रौन ए प्वाइंट ग्राफ इंफार्मेशन, सर।

उपाध्यक्ष महोदय : बोलिये, आप क्या कहना चाहते हैं।

श्री बागड़ी : मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि हम जो बात यहां कह रहे हैं हिन्दुस्तानी में, उस को समझ कर आप उस का उत्तर दे रहे हैं, या वैसे ही बिना समझे दे रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझ सकता हूं।

†**श्री प्र० रं० पटेल :** मुझे खेद है मैं बाहर था।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** खेद है आप बहुत देर से आये हैं ? माननीय प्रधान मंत्री।

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी बैठ जायें . . .

श्री शिव नारायण (वांसी) : आप बैठ जायें।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं आप से निवेदन करता हूं कि जब तक अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस न हो जाए तब तक प्रधान मंत्री जी को कोई बयान और न देने दिया जाए। मेरा तर्क यह है

†मूल अंग्रेजी में

कि अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस से लोक सभा और देश को लाभ होना चाहिये और वह तभी हो सकता है जब बहस लम्बी और बुनियादी बातों पर हो। अभी तो दो वक्ती चीजों में हम उलझ गए हैं। और एक वक्ती चीज में हम उलझ जायगे तो अविश्वास के प्रस्ताव . . .

†**श्री शिव नारायण :** आपने प्रधान मंत्री को बुलाया है। तब ये माननीय सदस्य क्यों बोल रहे हैं ?

डा० राम मनोहर लोहिया : अविश्वास के प्रस्ताव की बहस से हो सकता है कि हम लोगों को भी फायदा हो । अगर हम कोई . . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : आप सिर्फ प्वाइंट आफ आर्डर कह सकते हैं।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं प्वाइंट आफ आर्डर ही पर बोल रहा हूं। यह विषय इस वक्त नहीं आना चाहिये क्योंकि जितने भी प्रधान मंत्री जी के बयान हैं उन सब पर सवाल जवाब यहां नहीं दिया जाता है। कह दिया जाता है कि अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस में उन को ले आना। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस तभी फायदेमन्द होगी सरकार के लिए और विरोधी पक्ष के लिये भी जब हम बुनियादी बातों पर बहस करेंगे और वक्ती बातों में उलझ जायेंगे तो वह बहस अच्छी नहीं होगी ।

एक तो मेरा यह तर्क है . . .

†**उपाध्यक्ष महोदय :** आप यहां भाषण नहीं दे सकते।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं तर्क पेश कर रहा हूं। दूसरा तर्क यह है कि प्रधान मंत्री के बयान में इतने पेच रहते हैं कि उनको खोलना मुश्किल हो जाता है और भागते हुए सच को पकड़ना करीब करीब नामुमकिन होता है। मैं आपको बताऊंगा कि प्रधान मंत्री कभी कहते हैं कि हम ने यह नहीं पढ़ा और फिर कह देते हैं कि हम ने पढ़ा तो, लेकिन वह बेपढ़ा सा समझिये। .

उपाध्यक्ष महोदय : आप भाषण दे रहे हैं।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं तर्क दे रहा हूं व्यवस्था के लिए।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** वे केवल अपना औचित्य प्रश्न बता सकते हैं। भाषण नहीं दे सकते। पहले ही उन्होंने पांच मिनट ले लिए हैं।

डा० राम मनोहरलोहिया : मैं प्रधान मंत्री से कुछ निवेदन करूंगा। उन्हें चाहिये कि वह अब अपना कोई बयान न दें। अगर वह चाहते हैं कि हम अच्छी तरह से किसी बात की सचाई को खोल लें

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

डा० राम मनोहर लोहिया : मेरे तर्क को आप सुन लीजिए। एक मिनट में मैं अपनी बात कह देता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** आप चाहते हैं कि वे भाषण न दें। वक्तव्य पटल पर रख दें।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं आर्गुमेंट दे रहा हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** वे इस प्रकार भाषण नहीं दे सकते ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं एक मिनट में आप को तर्क बता देता हूं । प्रधान मंत्री अपने बयान में जिम्मेदारी ओढ़ करके और फिर उस जिम्मेदारी से छटक जाया करते हैं । सवाल जवाब के बिना प्रधान मंत्री का बयान . . . . .

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह औचित्य प्रश्न नहीं है । यह सभा की इच्छा है कि वे यह वक्तव्य दें । प्रधान मंत्री ।

डा० राम मनोहर लोहिया : आपके इस तरह से चिल्लाने का मुझ पर कोई असर नहीं होगा । मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं . . .

श्री बागड़ी : औचित्य प्रश्न . . .

†**उपाध्यक्ष महोदय :** आप बैठ जायें ।

†**डा० राम मनोहर लोहिया :** मेरा तर्क सुन लीजिये . . . .

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मुझे खेद है । आप बैठ जाइये । आपके नेता ने प्रश्न उठाया है और मैंने विनिर्णय दे दिया है ।

श्री बागड़ी : कालिंग एटेंशन नहीं हो सकता है, एडजर्नमेंट मोशन नहीं हो सकता है वोट आफ नो-कान्फिडेंस से पहले, तो इनके बयान की क्या जरूरत है ।

भारत-चीन सीमा पर चीनी सेनाओं के जमाव के बारे में वक्तव्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : २३ जनवरी १९६३ को मैंने आठ नम्बर का एक श्वेत-पत्र आपके सामने रखा था ; इसमें भारत और चीन लोक गणराज्य की सरकारों द्वारा एक-दूसरे को भेजे गए पत्र, ज्ञापन और टिप्पणियां सम्मिलित थीं । उसके बाद और भी बहुत से पत्रों का आदान-प्रदान हुआ है । मैं सदन की मेज़ पर श्वेत-पत्र नं० ९ रख रहा हूं जिसमें वे टिप्पणियां ज्ञापन, और पत्र हैं जो जनवरी और जुलाई १९६३ के बीच भारत और चीन की सरकारों ने एक-दूसरे को भेजे हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० १४१५/६३]**

पिछली बार सात मई को जब मैंने भारत-चीन संघर्ष के बारे में बयान दिया था तब मैंने भारत सरकार के ३ अप्रैल के पत्र की प्रतिलिपियां भी सदन की मेज पर रखी थीं जिसमें मैंने भारत-चीन सीमा मतभेदों पर समझौता करने के लिए कई ठोस सुझाव दिए थे । मैंने उस पत्र की प्रतिलिपियां भी रखी थीं जो मैंने १ मई को प्रधान मंत्री चाऊ एन लाई को लिखा था और जिसमें मैंने चीन के भारी हमले के बाद के पिछले कुछ महीनों की घटनाओं की समीक्षा की थी और चीन के साथ अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की इच्छा एक बार फिर व्यक्त की थी तथा उन ठोस सुझावों की भी चर्चा की थी जो कि हमने दिए थे । चीन लोक गणराज्य की सरकार ने इन पत्रों का अब तक जबाब नहीं दिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीन ने मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के हमारे उन ठोस सुझावों का कोई जवाब तो दिया नहीं उल्टे उस के बाद से भारत-चीन सीमा पर कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिनसे हमें चिंता हो गई है। चीन सरकार ने कोलम्बो सम्मेलन के प्रस्तावों के प्रति जो नकारात्मक और प्रतिकूल रवैया अपनाया वह सदन को याद होगा। कोलम्बो प्रस्तावों की तनिक भी परवाह किए बगैर चीनियों ने अपनी इकतरफा लड़ाईबंदी और वापसी की तथाकथित घोषणा पर अमल करना शुरू कर दिया और तीनों क्षेत्रों के सेनारहित इलाकों में २६ असैनिक चौकियों की स्थापना कर दी ; जाहिरा तौर पर यह दिखाने के लिए कि वे "सीमा पर रहने वालों के सामान्य आवागमन के लिए, तोड़-फोड़ करने वालों की कार्रवाईयां रोकने और सीमा पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं।" ऐसी तथाकथित सात असैनिक चौकियां इकतरफा निर्णय पर पश्चिमी क्षेत्र के सेनारहित इलाके में बनाई गईं ; और इस प्रकार उस कोलम्बो प्रस्ताव की अवहेलना की गई जिसमें यह कहा गया था कि इस सेनारहित इलाके में दोनों पक्षों की असैनिक चौकियां होनी चाहिएं। चीनियों के इकतरफा एलान के मुताबिक ही पूर्वी क्षेत्र के सेना रहित इलाके में उन्हें १६ असैनिक चौकियां स्थापित करनी थीं ; लेकिन आज वहां सैनिकों और असैनिकों की मिली-जुली ५२ चौकियां हैं और अब तो यह दिखावा भी खत्म कर दिया गया है कि यह चौकियां असैनिक है। इन चौकियों के अलावा सीमा पर, खासकर पूर्वी क्षेत्र में चीनियों की ओर से खोज और गश्त की काफी कार्रवाई हो रही है।

जहां तक हमारा संबंध है, भारत सरकार ने कोलम्बो प्रस्तावों का ईमानदारी से पालन ही नहीं किया बल्कि चीन के इकतरफा युद्ध विराम की घोषणा के अमल और सैनिकों की वापसी के काम में किसी तरह की कोई अड़चन नहीं लगाई है। हमने यह उम्मीद की थी कि कोलम्बो सम्मेलन के देशों की मित्रतापूर्ण सलाह का अच्छा असर होगा और चीनी कोलम्बो प्रस्तावों को मान लेंगे। हमने उम्मीद की थी कि जो भी हो वे अपनी इकतरफ़ा घोषणा पर तो अमल करेंगे ही। हमारी यह आशा भी गलत सिद्ध हुई है क्योंकि चीन ने केवल कोलम्बो प्रस्तावों का उल्लंघन किया है बल्कि सेना रहित क्षेत्र में बड़ी संख्या में सैनिक चौकियां क़ायम कर तथा सीमा क्षेत्रों में आक्रमक ढंग से खोज और गश्त की कार्रवाई शुरू कर अपने इकतरफा एलान को भी भंग किया है।

अंत यहीं नहीं होता। वे तिब्बत में और सेना ले आए हैं और उन्होंने सीमा पर भी अपनी फ़ौजी ताकत बढ़ा दी है। हमारी सीमा पर चीनी फ़ौजों की संख्या आज उस से भी कहीं ज्यादा है जितनी कि अक्तूबर १९६२ में थी जब कि उन्होंने हमारे ऊपर अकारण भारी हमला किया था। चीन की फ़ौजी ताकत में वृद्धि के अलावा एक और बात यह हुई है कि उन की फ़ौजें भारत सीमा के पास अपने मजबूत अड्डों और कैम्पों में इतनी आगे आ गई हैं जितनी कि पिछले अक्तूबर में भी नहीं आई थीं। पिछले कुछ महीनों में भारतीय सीमा के पास काफी संख्या में बैरकें बनाई गई हैं, तोपों के आधार-स्थान बनाए गए हैं, सामान रखने की जगह बनाई गई हैं। और हवाई-अड्डे बनाए गए हैं। इन सीमा क्षेत्रों में बहुत सी सड़कें बनाई गई हैं, ज़मीन के नीचे टेलीफोन की लाइनें बिछाई गई हैं, और एक दूसरे को मिलाने वाली खाइयां खोदी गई हैं। चीन द्वारा भारतीय इलाके और भारतीय वायुक्षेत्र के अतिक्रमणों की संख्या भी बढ़ी है, खास कर पिछले कुछ महीनों में।

इन सब कार्रवाइयों से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत की उत्तरी सीमा के निकट बराबर बनाए रखने के ख्याल से चीनी वहां अपनी स्थिति मजबत कर रहे हैं। यह भी हो सकता है कि वे आगे के इन अड्डों से जहां कि उन्होंने अपनी स्थिति मज़बत कर रखी है, भारत पर एक बार फिर आक्रमण करने की बात सोच रहे हों।

चीनियों की मंशा क्या है, यह जानना मुश्किल है। लेकिन इतनी बात तो साफ़ है कि वे हमारे मित्र नहीं हैं। हमें पता चला है कि १७ जुलाई, को चीन सरकार ने कोलम्बो सम्मेलन में भाग लेने

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

वाले देशों के मिशनों के प्रधानों को पेंकिंग में एक ज्ञापन पेश किया था जिस में भारत द्वारा तथाकथित उत्तेजनापूर्ण सैनिक कार्रवाई किए जाने की बात कही गई थी। हो सकता है कि पहले की ही तरह यह भी "आत्मरक्षा में प्रत्याक्रमणों" के व्यापक आधार पर, भारत पर नए आक्रमण को उचित ठहराने की एक चाल हो। हमने अपनी सीमा पर चीन की नई आक्रामक गतिविधियों से कोलम्बो सम्मेलन के देशों की सरकारों को अवगत करा दिया है।

चीन का उद्धत और आक्रामक रवैया हाल ही के महीनों में सिर्फ़ भारत-चीन संबंधों के बारे में ही स्पष्ट नहीं हो गया है बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के व्यापक क्षेत्र में स्पष्ट हुआ है। हाल ही में परमाणु परीक्षणों पर आंशिक प्रतिबंध लगाने की संधि हुई उस के प्रति चीन का रवैया इस का साक्षी है। संसार के प्रायः सभी देशों और जातियों ने अन्तर्राष्ट्रीय तनाव कम करने तथा विश्वशांति और निरस्त्रीकरण के उपायों की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण क़दम कहा है।

हम आशा करते हैं कि सुमति की विजय होगी और चीन शांति के पथ पर लौट आयेगा। हम चीन के साथ सीमा संबंधी मतभेदों का शांतिपूर्ण समझौता चाहते हैं और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यावहारिक क़दम उठाने की दिशा में हमने बार-बार रचनात्मक सुझाव दिये हैं। फिर भी, चीनी अधिकारियों में न सिर्फ इन की उपेक्षा की है बल्कि हमारी सीमा पर अपनी हमलावर तैयारियां और तेज़ कर दी हैं। पिछले अक्तूबर-नवम्बर हम पर आकरण जो भारी हमला किया गया था उसको देखते हुए हमें इन आक्रामक कार्रवाईयों पर नज़र रखनी होगी, परिस्थितियों का सामना करना होगा, और शांत तथा दृढ़ रह कर अपनी रक्षा की तैयारियां बढ़ानी होंगी ताकि अगर हमारी प्रादेशिक अखंडता पर फिर कोई खतरा आए तो हम उस का मुक़ावला कर सकें।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : स्पष्टीकरण के लिए एक प्रश्न है। क्या प्रधान मंत्री स्पष्ट शब्दों में आश्वासन देते हैं कि चीनियों के बढ़ते हुए खतरे का मुकाबला करने के लिए हमारी सशस्त्र सेनाएं पहले की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह तैयार हैं।

†**एक माननीय सदस्य** : निस्संदेह वे अधिक अच्छी तरह तैयार हैं।

†**श्री नाथ पाई** (राजपुर) : उन्होंने कहा है कि हमें चीनियों द्वारा और अतिक्रमण का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिये। क्या वे अपना इलाका खाली करवाने के लिए कोलम्बो प्रस्ताव के अतिरिक्त कोई कार्यवाही करने का विचार कर रहे हैं।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : प्रधान मंत्री के वक्तव्य से पता लगता है कि चीन द्वारा आक्रमण की संभावना है और उस ने पूर्वी क्षेत्र में सैनिक एवं असैनिक ५१ चौकियां बना ली हैं जब कि वहां हमारी चौकियां नहीं हैं। मैं यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि हम किस प्रकार असम और पूर्वोत्तर सीमा की रक्षा करेंगे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं यह नहीं बता सकता कि हमें सैनाएं कहां रखनी चाहियें। यह निर्णय प्रतिरक्षा सलाहकारों और सैनिक अधिकारियों को करना है। निस्संदेह हम असम और नेफा की रक्षा करेंगे।

मैं श्वेत पत्र संख्या ९ के अतिरिक्त चाऊ-ऐन-लाई के २ अगस्त के पत्र और उस पर मेरे १४ अगस्त के उत्तर की प्रतियां भी रखता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हरि विष्णु कामत : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि क्या हमारी सेनाएं बढ़ते हुए खतरे का मुकाबला करने के लिए अधिक तैयार हैं।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से।

†श्री हेम बरुआ : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। प्रधान मंत्री ने ही सभा में ही बताया था कि नेफा में सेनाएं न भेजना सैनिक और राजनैतिक दोनों दृष्टि से किये गये निर्णय के अनुसार है। तो क्या वे नेफा की रक्षा करने के लिए तैयार हैं और क्या उपाय किये गये हैं?

†श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैंने अध्यक्ष महोदय और प्रधान मंत्री को भी लिखा था कि जस्टिस दास का प्रतिवेदन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पूर्व सभा पटल पर रखना चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया था कि सब वक्तव्य दिये जाने के उपरांत प्रतिवेदन रखा जायेगा।

†उपाध्यक्ष महोदय : इसका निर्णय सरकार को करना है।

†श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : यह प्रतिवेदन कब रखा जा रहा है।

†श्री रंगा (तेनालि) : आप ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर सरकार को सलाह या निवेदन दे सकते हैं।

†श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : अध्यक्ष महोदय ने इस का आश्वासन दिया था कि वे प्रधान मंत्री को लिखेंगे।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : श्रीमान् मेरा विचार है कि मैं श्री जस्टिस दास के प्रतिवेदन के बारे में एक वक्तव्य दूंगा। किन्तु जैसा मैं ने पहले बताया है मैं प्रतिवेदन पटल पर नहीं रख सकता। मैं ने पुनः मुख्य न्यायाधिपति और जस्टिस दास से परामर्श किया है। वे इसे सभा पटल पर रखने के लिए सहमत नहीं थे। वे कहते हैं कि इस का कुछ भाग रख दिया जाय। किन्तु इस के महत्वपूर्ण भाग को सभा पटल पर न रखना अनुचित होगा। मैं इस पर कल वक्तव्य दूंगा।

†श्री नाथ पाई : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

†श्री ही० ना० मुकर्जी : जब इस विषय का उल्लेख संसद् में किया गया था और यह जांच प्रधान मंत्री द्वारा संसद् में की गई घोषणा के अनुसरण में की गई थी तो यह संसद् का विशेषाधिकार है कि सारा प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किया जाय। सम्बन्धित मंत्री और संसद् के लिए भी यही उचित है कि प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जाय। संसद् सर्वोच्च निकाय है। प्रधान मंत्री का यह नैतिक और संवैधानिक दायित्व है कि यह प्रतिवेदन सभा के समक्ष रखा जाये।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं श्री मुकर्जी के तर्कों से असहमत हूं।

†श्री हेम बरुआ : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। देश में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। अतः हमें ठीक ठीक स्थिति का पता होना चाहिये।

†श्री रंगा : सभा को बताया गया था कि नेफा में हुई घटनाओं की जांच की जायगी। जेनरल हंडरसन ने प्रतिवेदन भी दे दिया है। हम आशा करते हैं कि वह प्रतिवेदन कम से कम सोमवार को सभा पटल पर रखा जायगा ताकि अविश्वास प्रस्ताव में उस पर चर्चा की जा सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य आलोचना कर सकते हैं किन्तु यह निर्णय सरकार को करना है । मैं उन्हें विवश नहीं कर सकता ।

श्री रामसेवक यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री का जो स्टेटमेंट था उस में यही कहा गया है कि हमला हो सकता है और उस के लिए देश को तैयार रहना चाहिए । सरकार तैयारी कर रही है, हमले का सामना करने के लिए तैयारी हो वह तो ठीक है लेकिन मान लो कि हमला न हो तो क्या प्रधान मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस भारतीय भमि पर अभी विदेशियों का कब्जा है, जो हमारे देश की भूमि अनुचित तौर पर शत्रु के कब्जे में है उस के लिए क्या तैयारी है और क्या अपनी छीनी गई भूमि को फिर से वापिस लेने की हम तैयारी कर रहे हैं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** शांति शांति ।

श्री रामसेवक यादव : मैं यह जानना चाहता हूं कि जब दास कमिशन की नियुक्ति हुई तो प्रधान मंत्री जी ने यह कैसे उन्हें वचन दे दिया कि उन का जो इस पर प्रतिवेदन होगा उसे सदन पटल पर नहीं रक्खा जायेगा । उन्हों ने आख़िर ऐसा क्यों कहा ? इनक्वायरी कमिशन बिठाने का मतलब होता है कि उस के द्वारा जांच हो और उस की रिपोर्ट सदन की टेबुल पर रक्खी जाय ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य को मैं समझता हूं यह याद होगा कि चीफ़ जस्टिस साहब ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर करने और जांच करवाना इस शर्त्त पर मंजूर किया था कि उन की रिपोर्ट पेश न की जाय । वह रिपोर्ट पार्लियामेंट में रक्खी न जाय और न पबलिश की जाय । यह उन्हों ने कहा था । इस की बाबत मैं ने पार्लियामैंट में कह दिया था । अभी कोई २, ३ या ४ हफ्ते हुए मैं ने उन से इस बारे में फिर सलाह की और उन की राय पूछी । वे अभी भी अपनी उसी पुरानी राय पर क़ायम हैं । उन्हों ने कहा कि वह रिपोर्ट पबलिश करना और पार्लियामेंट में पेश करना नामुनासिब बात होगी और एक ग़लत प्रीसीडेंट क़ायम करना होगा । क्योंकि यह एक स्टैचुटरी इनक्वायरी नहीं थी । यह दूसरे क़िस्म की है । इस में न जज प्रोटैक्टेड हैं और न और लोग । ऐसी रिपोर्ट हमेशा प्राइवेट ही होती है । चीफ़ जस्टिस ने अपनी पुरानी राय दुहराई कि इसे पबलिश करना या पार्लियामेंट में पेश करना मुनासिब न होगा ।

अब मैं प्रोफेसर रंगा के प्वाएंट का जवाब देता हूं ।

श्री रामेश्वरानन्द : जब यह रिपोर्ट किसी के सामने और सदन के सामने आयेगी नहीं तो वह है किस काम की ?

श्री रामसेवक यादव : अभी प्रधान मंत्री जी ने जो कहा उस के सम्बन्ध में मैं एक चीज़ की जानकारी चाहता हूं । जब प्रधान मंत्री जी स्वयं समझते हैं कि उस प्रतिवेदन को आना चाहिए । उस को पेश न करना और पबलिश न करना ठीक नहीं है तो प्रधान मंत्री जी ने कैसे इस शर्त्त पर इन क्वायरी कमेटी नियुक्त करना मान लिया ?

श्री बागड़ी : कहीं राज़ यह तो नहीं है कि कुछ और मंत्री लपेट में न आ जायें ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** श्री रंगा ने जिस जांच की बात की है, वह जांच हो चुकी है और चीफ आफ आर्मी स्टाफ ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है, उस का संक्षेप प्रतिरक्षा मंत्री के पास है । प्रतिरक्षा मंत्री इस बारे में अपना वक्तव्य देंगे । वैसे उन का विचार है कि इस प्रकार के प्रतिवेदन को संसद् में प्रस्तुत कर के प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिये । मैं उन के इस विचार से

†मूल अंग्रेजी में

पूर्णतः सहमत हूं । इस प्रकार के प्रतिवेदनों को छाप देने से हमारी सैनिक तैयारी में बाधा पड़ सकती है ।

†**श्री नाथ पाई :** आश्चर्य है कि प्रतिरक्षा मंत्री को भी केवल प्रतिवेदन का संक्षेप ही दिया गया । यद्यपि प्रतिवेदन का सम्बन्ध तो पुरानी बातों से है, नई तैयारियों से नहीं । हम तो केवल यह जानना चाहते हैं कि क्या बात गलत हुई और उस के लिए कौन उत्तरदायी है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मेरे विचार में हमारी सेना लोग और हमारे प्रतिरक्षा मंत्री, माननीय सदस्य से स्थिति को बेहतर समझते हैं । . . . (**अन्तर्बाधायें**) ।

†**श्री रंगा :** प्रतिरक्षा मंत्री को इस बारे में शीघ्र ही वक्तव्य देना चाहिए ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मेरे विचार में वक्तव्य को तैयार करते कुछ दिन लग जायेंगे । काफी सोच समझ कर वक्तव्य तैयार करना होगा । सारे कागज़ तो अभी तक मैं ने भी नहीं देखे ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** प्रधान मंत्री महोदय को यह नहीं भूलना चाहिए कि देश के अपमान के इस मामले का उल्लेख अविश्वास के प्रस्ताव के समय होना बड़ा जरूरी है । यह प्रस्ताव सोमवार को आ रहा है । क्यों नेफा में सब गड़बड़ हुई । यदि सारे प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखना सम्भव न हो तो अपने कुछ परिणामों को तो सभा पटल पर रखा ही जा सकता है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं यह माननीय सदस्य की इच्छा प्रतिरक्षा मंत्री को बता दूंगा परन्तु सोमवार तक तो यह तैयार नहीं हो सकती । ठीक है अविश्वास का प्रस्ताव आ रहा है, परन्तु हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी जिस से हमारी प्रतिरक्षा के काम में कोई रुकावट पैदा हो । हमें आर्मी स्टाफ और प्रतिरक्षा मंत्रालय की राय को इन मामलों में महत्व देना ही होता है ।

†**श्री नाथ पाई :** आप इस मामले में संसद् के प्राधिकार की उपेक्षा कर रहे हैं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं यह नहीं समझ पाया कि उन गोपनीय बातों को बताने से ही संसद् के प्राधिकार की रक्षा होती है जिस से देश को हानि पहुंचती हो ।

†**श्री नाथ पाई :** यह गोपनीय बातें नहीं हैं, सारी दुनिया को उस का पता है । आखिरकार इस सदन के भी कुछ विशेषाधिकार हैं । हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर वहां क्या हुआ । क्यों वहां यह सब गड़बड़ हुई । हम यह किसी बदले की भावना से नहीं पूछ रहे, देश के हित में पूछ रहे हैं । स्वयं प्रधान मंत्री ने राज्य सभा में कहा था कि जोकि नेफा में हुआ है उस की पूरी सविस्तार जांच होगी । पता लगाया जायेगा कि क्यों यह सब कुछ हुआ और फिर संसद् को बताया जायेगा । यह आश्वासन प्रधान मंत्री द्वारा संसद को दिया गया था । इस मामले का हमारी भविष्य की तैयारियों के साथ कोई सम्बंध नहीं । यह तो भूत की बातों के बारे में है । प्रधान मंत्री यह भी बताना नहीं चाहते कि इस प्रतिवेदन के परिणाम क्या थे ?

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** (नामनिर्देशितः आंग्ल भारतीय) : मेरा प्रधान मंत्री से यह निवेदन है कि वह प्रतिवदन के वे अंश न बतायें जो कि उचित न हो । परन्तु उन्हें कुछ भ्रांतियां अवश्य दूर कर देनी चाहिएं । यह कि चौनियों पर गोली न चलाने के आदेश दिल्ली से गये थे । सेनापतियों को अपने निर्णयों को कार्यान्वित करने में रुकावटें डाली गयी । ये भ्रांतियां आप को दूर करनी चाहिएं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह सब निराधार बातें हैं ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मंदसौर) : ठीक है, प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि ये आरोप निराधार है । परन्तु हमें पूरी तरह, निश्चिय ढंग से यह बता दिया जाय कि ये सब अफवायें निराधार हैं । तो यह सरकार के ही हित की बात है । उससे और अफवायें फैलने का कोई कारण नहीं रहेगा । हम सब आज भी इस बात पर आश्चर्य करते हैं कि १६,००० व्यक्ति चीनियों पर एक उंगली भी नहीं उठा सके । इसीलिए हम सब बातें जानना चाहते हैं । निश्चित रूप से ।

डा० राम मनोहर लोहिया : सैनिक तैयारी के अलावा मन की कमजोरी उपूसी में हार का कारण रही है । बोमदीला, वालोंग, दरांग के पतन के समय, मैं प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या एक सर्क्यूलर यहां से नहीं गया था जिस में यह लिखा हुआ था कि अगर किसी जगह का पतन शुरू होने वाला हो तो उस को खाली कर दो ? इस का क्या अर्थ था ? मैं जानता हूं कि बोमदीला में एक गोली नहीं चली फिर भी वह खाली कर दिया गया । यहां से एक सर्क्यूलर गया था कि खाली करो उस जगह को जो जल्दी गिरने वाली हो । अब मन की कमजोरी की वजह से खाली रात को कुछ हुल्लड़ सुनने के सबब से उस जगह को खाली कर दिया गया । तो इस के लिए क्या तैयारी हो रही है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह तो क्वश्चन अवर को बढ़ाना है कि मैं जबाब दूं इस सवाल का । यह क्या सिलसिला है ?

डा० राम मनोहर लोहिया : बढ़ाना, यह शब्द इस्तेमाल नहीं होने चाहिए । प्रधान मंत्री नौकर हैं, सदन मालिक है । मालिक के साथ नौकर को जरा अच्छी तरह से बात करना चाहिए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस पर बहुत से प्रश्न हो चुके हैं । सोमवार को जो बहस होगी उस में यह बातें उठाई जा सकती हैं ।

श्री भगवत झा आजाद : वह नौकर हैं तो आप चपरासी हैं ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मंजर करूंगा । जाइए और बनिए उन के.....चपरासी । ऐसे ऐसे नौकरों को इक्ट्ठा कर रखा है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : डा० लोहिया आपे से बाहर हो गये हैं । जरा उन को थामने की कोशिश कीजिए । ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो आम तौर से इस सदन में नहीं कही जातीं । उनको आदत नहीं है । नए आदमी आए हैं । आप उन्हें सिखा दीजिए कि यहां कैसे बरताव होता है ।

श्री प्रिय गुप्त : श्री नेहरू विशिष्ट सदस्य हैं । उन्हें यह शोभा नहीं देता कि वह ऐसी बातें कहें ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मेरी आदत आप को डालनी पड़ेगी ।

श्री बागड़ी : नए पुराने का सवाल नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (संशोधन) विधेयक

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : श्रीमान जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे सीमा शुल्क अधिनियम १९६२ में संशोधन करने तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम १९४४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है "कि सीमा शुल्क अधिनियम १९६२ में संशोधन करने तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम १९४४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**ब० रा० भगत** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

सरकारी भूगृहादि (अवैध रूप से कब्जा करने वालों का निष्कासन) संशोधन विधेयक

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे सरकारी भूगृहादि (अवैध रूप से कब्जा करने वालों का निष्कासन) अधिनियम १९५८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है "कि सरकारी भूगृहादि (अवैध रूप से कब्जा करने वालों का निष्कासन) अधिनियम १९५८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

परिसीमन विधेयक--जारी

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सदन श्री बिभुधेन्द्र मिश्र द्वारा १४ अगस्त, १९६३ को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा करेगा: "कि मुकदमों तथा अन्य कार्यवाहियों के परिसीमन संबंधी विधि को समेकित तथा संशोधित करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किए गये रूप में, विचार किया जाये।" श्री यशपाल सिंह अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री यशपाल सिंह (कैराना): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल लाया गया है यह सिर्फ साहूकार के हाथ मजबूत करने के लिये लाया गया है। इस का हिन्दुस्तान के काश्तकार और मजदूर पर इतना बुरा असर पड़ेगा कि वह जिन्दा भी न रह सकेगा। ला कमीशन की रिपोर्ट में जो लिखा है कि : इंग्लैंड में भी डिग्री को वसूल करने का समय बारह वर्ष है। इस के बाद इस के संबंध में कार्यवाही करने की कोई व्यवस्था नही होनी चाहिये उस पर मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। यहां इंग्लैंड की नकल की जाती है इस कानून के मामले में। इंग्लैंड की खुशहाली में नक्ल नहीं की जाती। डिफेंस में इंग्लैंड की नकल नहीं

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री यशपाल सिंह]

की जाती, इंग्लैंड की जो तरक्कियात हैं उन की नकल नहीं की जाती, लेकिन हिन्दुस्तान के काश्तकार और मजदूर को पीसने के लिए इस मामले में इंग्लैंड की नकल की जाती है। आज तक काश्तकार को यह हक हासिल था कि वह एक डिग्री को २४ साल तक देर कर सकता था लेकिन इस बिल के मातहत काश्तकार को उसी पीरियड के अन्दर डिग्री का पैसा देना होगा चाहे ऐसा करने में उस का बैल बिक जाए, चाहे उस का कड़ी तख्ता उठ जाए। इस तरह से काश्तकार को तंग किया जाएगा कि शायद वह खेती ही न कर सके। क्या इस वक्त इस का मौका था जब कि हिन्दुस्तान यह ख्वाब देख रहा था कि हिन्दुस्तान का काश्तकार डैटलैस हो जाए, हिन्दुस्तान का काश्तकार उऋण हो जाए और मजदूर उऋण हो जाए। क्या गवर्नमेंट के लिए यह शोभा देता है कि इस वक्त काश्तकार और मजदूर को और ज्यादा निचोड़ा जाए। मेरी आपके मारफत यह दरख्वास्त है कि इस बिल के अन्दर दो तरह के प्रावीजन रख जाएं, दो अलग अलग कैटेगरीज रखी जाएं, एक किसान के लिए, छोटे दुकानदार के लिए, छोटे तज्जार के लिए और दूसरी बड़े बड़े लोगों के लिए। इन दो कैटेगरीज के लिए अलग अलग वक्त रखा जाए। महात्मा गांधी ने कई दफा कहा था कि मारकेट में गरीब आदमी के लिए सस्ते दामों की दुकानें होनी चाहिए, और अमीरों के लिए ऊंचे दामों की दुकानें होनी चाहिए। लेकिन उन के नक्शे कदम पर चलने वाली सरकार आज काश्तकार और मजदूर को निचोड़ने के लिए इस तरह का बिल ला रही है। उन को तंग करने के लिये, उन को घर से बेदखल करने के लिए ऐसा बिल लाया गया है कि किसान की कड़ी तख्ता भी न बच सके और न उस के बैल और हल बच सकें और न वह खेती कर सके। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि अगर इंग्लैंड की नकल करनी है तो अच्छे कामों में कीजिए, बुरे कामों की नकल न कीजिये। क्या इस वक्त यह शोभा देता है कि किसान और मजदूर को तंग करने के लिए ऐसा बिल लाया जाय। मेरी दरख्वास्त है कि इस को वापस लिया जाए। या इस में ऐसा प्रावीजन किया जाए कि जिस का काम ५००० रुपए सालाना तक का है उस को एक कैटेगरी में रखा जाए और जो लाखों के पेमेंट करते हैं उन को दूसरी कैटेगरी में रखा जाए।

इस के अलावा मेरा निवेदन है कि इस वक्त यह हो रहा है कि कुछ केसेज चौबीस चौबीस और छब्बीस छब्बीस साल से चल रहे हैं और हजारों रुपया दिया जा चुका है लेकिन अब भी सूद लिया जाता है। यह सब से ज्यादा बुरी बात है।

आजकल यह हो रहा है कि साहूकार खाली कागज पर रुक्के के दस्तखत करा लेता है और साल दो साल बाद उस में पांच सौ या हजार की रकम बढ़ा लेता है।

सब से बुरा असर पड़ता है इस चीज का बरडन आफ प्रूफ उसी को देना पड़ता है जो कि सताया जाता है जो कि लूटा जाता है, जिस को खत्म किया जाता है।

[डा० सरोजनी महिषी पीठासीन हुई]

मेरे ही खेत का गलत इन्दराज होता है, मेरी ही फसल को जबरदस्त जमींदार ले लेता है। पटवारी मजे में है, जमींदार मजे में है, बार सबूत उस पर है जिस को पीसा गया है, जिस को सताया गया है, जिस को खत्म किया गया है। बार सबूत हमेशा बड़ी पार्टी पर होना चाहिए। बार सबूत साहूकार पर होना चाहिए। पर हो रहा है इस का उल्टा। जिस को खत्म किया जाता है उसी पर बरडन आफ प्रूफ होता है। यह रिच पार्टी पर होना चाहिए।

साथ साथ मेरी दरख्वास्त है कि अगर आज मजदूर और किसान को डैटलैस होने का मौका नहीं दिया जाएगा तो आगे कभी वक्त नहीं आएगा कि हिन्दुस्तान का किसान और मजदूर सुख की सांस ले सके। अगर आज उस को राहत न मिल सकी तो फिर ऐसा वक्त नहीं आवेगा।

मेरी दरख्वास्त है कि इस बिल में ऐसा प्रावीजन रखा जाए कि जो सताया जा रहा है, जिस को कुचला जा रहा है उस के ऊपर बार सबूत न डाला जाए, बल्कि बार सबूत उस पर डाला जाए जो उस को खत्म करना चाहता है ।

हमारा जो गांव का छोटा बनिया है वह गांव की कोआपरेटिव का काम देता है, वह गांव वालों की शादी के मौकों पर और लड़कियों की तालीम के मामले में इमदाद करता है । वह हमारे परिवार का अंग बन चुका है और हमारी जिन्दगी जीता है । हमारे सुख में सुखी होता है और दुःख में दुखी । उस को इस बिल में साहूकार के साथ रखा गया है । जरूरत इस बात की है कि साहूकारों को अलग रखा जाए और इस बिल में ऐसा प्रावीजन किया जाए कि जिस से किसान और मजदूर को डैटलैस होने में सहायता मिले । उन की जिन्दगी सुखी हो । मेरा निवेदन है कि इस बिल को रिवाइज किया जाए । पहले इस को पब्लिक की राय जानने के लिए घुमाया जाए और उस के बाद इस को लाया जाए । हमने पढ़ा है कि विधि केवल जनता की राय है जिसे कानून का रूप दे दिया गया है । यह बिल जनता की राय जाने बिना लाया गया है ।

मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि या तो इस बिल को खत्म किया जाए, और अगर ऐसा नहीं हो सके तो इस में दो अलग अलग कैटगरीज रखी जाए, एक उन लोगों की जो पांच हजार तक का साल में काम करते हैं और एक उन की जो कि लाखों का पेमेंट करते हैं । इस के अलावा बार सबूत मजलूम पर न डाला जाए इस को बड़ी पार्टी पर डाला जाए ।

†**श्री ओझा** (सुरेंद्रनगर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करना चाहता हूं । यह अधिकांशतः विधि आयोग की सिफारिशों के अनुसार बनाया गया है । मैं अनुच्छेद ११३ के संबंध में कुछ बातें कहना चाहता हूं । सरकारी कर्मचारियों द्वारा सरकार के विरूद्ध मुकदमे दायर करने की अवधि तीन वर्ष से हटा कर एक वर्ष कर दी जाये । क्योंकि बहुत समय बाद मुकदमा लाने से उन के बिरूद्ध साक्ष्य वगैरह नहीं मिल पाते हैं और फल यह होता है कि सरकारी कर्मचारी मुक्त हो जाते हैं ।

मेरे विचार से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद ११३ का इस प्रकार संशोधन किया जाये कि उक्त प्रयोजन के लिये कोई विशिष्ट व्यवस्था की जा सके ।

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : यह प्रसन्नता की बात है कि विधेयक को अधिकांश सदस्यों का समर्थन प्राप्त हुआ है । जहां तक सदस्यों द्वारा दिये गये अन्य सुझावों का प्रश्न है सरकार उन पर विचार करेगी और आवश्यक संशोधन प्रस्तुत करेगी ।

मुख्य आपत्ति अनुच्छेद १३६ के सम्बन्ध में की गयी है जो कि पुराने अनुच्छेद १८२ के स्थान में रखा गया है । यह कहा गया है कि पुराना अनुच्छेद काफी अच्छा और सम्पूर्ण था, इस सम्बन्ध में मेरा उत्तर यह है कि इस सम्बन्ध में विधि आयोग पर्याप्त विचार कर चुका है और उसने इस सम्बन्धी में एक पूरा पैरा दिया है जो पृष्ठ ६४ में मौजूद है । अनुच्छेद १८२ के अनुसार परिसीमन की अवधि ३ वर्ष और प्रामाणिक प्रतियों के लिये ६ वर्ष थी जिसे अब बढ़ा कर अनुच्छेद १३६ के अनुसार परिसीमन की अवधि १२ वर्ष कर दी गयी हैं ।

उद्घोषणा के आधार पर किये गये मुकदमों के लिये परिसीमन की अवधि के सम्बन्ध में आपत्ति की गयी है । वर्तमान विधेयक में इसकी अवधि को घटा कर ३ वर्ष कर दिया गया है । ऐसा विधि आयोग की सिफारिशों पर किया गया है । अतः यह कहना कि इसकी अवधि को बढ़ा कर ६ वर्ष कर दिया जाये या उसे बारह वर्ष कर दिया जाये परिसीमन के सिद्धान्तों की अज्ञानता घोषित करता है । आप जितनी ही अवधि देंगे उतनी ही दोनों पक्षों के बीच विवाद की संभावना

[श्री विभूधेन्द्र मिश्र]

बनी रहेगी। परिसीमन की विधि के पीछे यह मुख्य सिद्धान्त है तथा विधि आयोग ने इसका ध्यान रखा है ।

अनुच्छेद ११३ के सुझावों के सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि यदि नियोजक और कर्मचारी के बीच के सम्बन्धों को निविदा माना जाये तो परिसीमन की अवधि को घटा कर ३ वर्ष से भी कम करना ठीक नहीं रहेगा ।

श्री त्रिवेदी ने यह आपत्ति की है कि इस विधेयक और पिछले अधिनियम में कोई अंतर नहीं है और अंतर है तो केवल बाहरी अंतर है। वे एक अनुभवी वकील हैं और माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिये कि विरोधी सदस्यों ने इसे इस विषय पर व्याख्या कहा है। उन्हें ज्ञात होगा कि बहुत सी धाराओं को रद्द कर दिया गया है और उन्हें विषय के अनुसार गठित किया है। वर्तमान अधिनियम में परिसीमन की अवधि का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था जिसे अब कर दिया गया है ।

यह कहा गया है कि इस विधेयक के उपबंध जम्मू और काश्मीर पर लागू नहीं होते हैं। वस्तुतः हम चाहते हैं कि सभी विधान जम्मू और काश्मीर पर भी लागू हों। तथापि इस सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयों भी हैं जिन पर हमें विचार करना है ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी ने कल एक प्रश्न यह भी उठाया कि यदि आप जम्मू और काश्मीर राज्य को भारत का एक राज्य मानते हैं तो आप इस विधि को वहां तक विस्तृत क्यों नहीं करते हैं। तथापि उसी संविधान की धारा ३७० के अधीन केवल कुछ स्थितियों में ही भारतीय संसद के नियम वहां पर लागू किये जा सकते हैं।

अंत में मैं यह सिफारिश करता हूं कि विधेयक स्वीकृत किया जाये ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

'कि मुकदमों तथा अन्य कार्यवाहियों के परिसीमन सम्बन्धी विधि को समेकित तथा संशोधित करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाये ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**सभापति महोदय** : सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड २ से ३२ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ से ३२ विधेयक में जोड़ दिये गये

अनुसूची

†**श्री बड़े** : मैंने एक संशोधन का नोटिस दिया था जिसे अभी तक परिचालित नहीं किया गया है। मेरे संशोधन का तात्पर्य यह है कि जहां आज्ञप्ति में संशोधन किया गया है वहां संशोधन की तारीख दे दी जाये। इस प्रयोजन के लिये अनुच्छेद १३६ में उचित परिवर्तन किया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री विभूषेन्द्र मिश्र** : मैं इस आपत्ति का उत्तर दे चुका हूं। बारह वर्ष के स्थान पर अब ३ और ६ वर्ष विहित किये जायें।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड १ विधेयक मे जोड़ दिया गया

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

"पृष्ठ १, पंक्ति १,—

"Thirteenth" ["तेरहवें"] शब्द के स्थान पर " "Fourteenth", "चौदहवें" शब्द रख दिया जाये। (१) **[श्री विभूषेन्द्र मिश्र]**

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

श्री बड़े : आप इस समय मतदान नहीं ले सकते हैं क्योंकि सभा में कोरम नहीं है।

†**सभापति महोदय** : इस समय ढाई बजे हैं। इस समय मतदान नहीं हो सकता। प्रश्न यह है :

"कि अधिनियन सूत्र, संशोधित रूप से विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

विधेयक का नाम विधयक में जोड़ दिया गया

†**श्री विभुषेन्द्र मिश्र** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये"

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय उत्प्रवास संशोधन विधेयक

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"भारतीय उत्प्रवास अधिनियम १९२२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

प्रस्तावित संशोधनों को लाने की आवश्यकता इस कारण हुई कि जिससे यह विधेयक संचार साधनों के वर्तमान विकास के अनुरूप हो जाये। इससे अवैध उत्प्रवास रोकने में मदद मिले और जो लोग विधि का उल्लंघन करते हैं उन्हें कड़ी सजा दी जा सके ।

वर्तमान विधेयक के अधीन अनिपुण करीगर लोग देश के बाहर नहीं जा सकते हैं । निपुण कारीगर इस अधिनियम के परिच्छेद ४ के उपबन्धों के अन्तर्गत आते हैं । ये उपबन्ध उन अत्यधिक निपुण टेक्नीशियनों पर लागू नहीं होते हैं जो अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं । पूर्व अधिनियम की धारा २२ को हटा दिया गया है । पुराने अधिनियम की धारा ३१ से भारतीय नागरिकों पर कोई प्रभाव नहीं होगा ।

इस संशोधन में यह भी व्यवस्था की गयी है कि अवैध उत्प्रवास के लिये उपयोग किये जाने वाली नावों तथा जहाजों को जब्त किया जा सकता है ।

इस विधेयक में कोई संशोधन नहीं आये हैं अतः मैं आशा करता हूं कि यह बिना किसी विवाद के पारित हो जायेगा । मैं सभा से यह सिफारिश करती हूं कि यह विधेयक पारित किया जाये ।

श्री यलमदा रेड्डी (मारकापुर) : हम सामान्य रूप से इस विधेयक का स्वागत करते हैं । तथापि सरकार उन शक्तियों का प्रयोग गम्भीरतापूर्वक नहीं कर रही है जो कि उन्हें इस अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त थीं । अतः यह आशा नहीं की जा सकती कि वे वतमान अधिनियम के अधीन मिलने वाली शक्तियों का भी उचित उपयोग कर सकेंगे । तथा इस प्रकार अवैध उत्प्रवास को रोक सकेंगे ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

सरकार ने वर्तमान अधिनियम की धारा ८ के अधीन सला कार समिति नियुक्त करने के लिये कोई ठोस कदम नहीं उठाये हैं । न ही सरकार ने विदेशों में उत्प्रवासियों के हितों की रक्षा के लिये ही कोई कदम उठाये हैं ।

ब्रिटेन में भारतीयों के उत्प्रवास पर ब्रिटेन द्वारा आप्रवासी अधिनियम पारित किये जाने पर काफी असर पड़ा है । मैं नहीं जानता कि उत्प्रवासियों के अभ्यावेदनों पर विचार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ।

कई लोग ऐसे हैं जिनके परिवार तथा बालक विदेशों में छोड़े हुए हैं । मैं नहीं जानता कि सरकार ने उनके परिवार के अन्य सदस्यों को आवश्यकता पड़ने पर भेजने के लिये क्या कार्यवाही की है । सरकार को यह भी बताना चाहिये कि विदेशों में गये हुए जो लोग जो स्वदेश में अपने संबंधियों को पैसे भेजना चाहते हैं उनके लिये क्या व्यवस्था की गयी है ।

श्री कृ० ल० मोरे (हथकंगले): मैं विधेयक का समर्थन करता हूं । तथापि मेरी कुछ आपत्तियां हैं । मेरा सुझाव यह है कि सरकार को वर्तमान विधेयक पर निर्भर रहने के स्थान में

†मूल अंग्रजी में

यह चाहिये कि वे अपने देश में मजदूरों के हालत में सुधार करें जिससे कि उनको विदेशों में जाने का कोई प्रलोभन न हो ।

सरकार को चाहिये कि वे मजदूरों को शिक्षित बनाने तथा उनको अधिक सुविधायें देने की व्यवस्था करें ।

†**डा० मा० श्री० अणे** (नागपुर) : एक माननीय सदस्य ने अभी अभी यह बताया है कि प्राचीन काल से भारतीय लोग किस प्रकार विदेशों को जाते रहे और किस प्रकार भारत सरकार पर दबाव डाल कर उन्हें विदेशों में ले जाने को प्रोत्साहित किया गया ।

इस विधेयक के द्वारा सरकार को कुछ शक्तियां दी गयी है । तथापि मेरे विचार से विदेशों में भारत के उत्प्रवासियों की समस्त कठिनाइयां केवल इस विधेयक को पारित करने से दूर नहीं होंगी । हमें लंका के बहुसंख्यक कामगरों की समस्या भी सुलझानी हैं । उन्हें वहां कोई अधिकार प्राप्त नहीं है और उन्हें नागरिकार विहित माना जा रहा है न तो वे लंका के नागरिक हैं और न ही उन्हें भारत का नागरिक स्वीकार किया जाता है ।

वस्तुतः भारतीय उत्प्रवासियों की मलाया, बर्मा तथा अन्य देशों में भी यही अवस्था है मैं सरकार को यह निवेदन करता चाहता हूं कि वे श्रीलंका में गये हुए भारतीय उत्प्रवासियों के लिये कुछ कार्यवाही अवश्य करें क्योंकि उन्हें वहां की नागरिकता प्राप्त करने का नैतिक अधिकार है ।

मेरा अनुरोध है कि कम से कम वे भारतीय नागरिक जो वहां १९४८ के पूर्व से रह रहे हैं उन्हें वहां की नागरिकता प्रदान की जाये साथ साथ इस बात का भी पूरा प्रयत्न किया जाये कि लंका के साथ हमारे राजनैतिक सम्बन्धों में भी किसी प्रकार की आंच न आने पावे ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** (जम्मू तथा काश्मीर) : देश से बाहर जाने के प्रश्न पर पुनः से विचार किया जाना चाहिए ।

हमारे देश के लोगों के बाहर जाने पर पूरी तरह से विचार होना चाहिए । दूसरे देशों में हमारे लोगों के साथ व्यवहार राष्ट्रीय निरादर है ।

हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि हमें लोगों को बाहर जाने देना चाहिए या नहीं । दूसरे हमारी सरकार को इस बात का सर्वेक्षण करना चाहिए किन देशों को और किन क्षेत्रों से लोग जाते हैं । तीसरे यदि वे बाहर जायें तो सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी देखभाल अच्छी हो । उन लोगों पर अपने कुटुम्ब वालों को चीजें भेजने पर रुकावट नहीं होनी चाहिए ।

देश से मजदूरों को बाहर जाने को रोकने वाले इस विधेयक का मैं स्वागत करता हूं । सरकार को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि कौन से वर्ग के लोगों, कौन से दक्ष अथवा अर्द्ध-दक्ष लोगों को देश से बाहर जाने की अनुमति दी जाय । हमें देखना है कि हमारे पास फालतू श्रमिक हैं भी या नहीं । कई ऐसे क्षेत्र देश में हैं जहां दक्ष और अर्द्ध-दक्ष दोनों प्रकार के श्रमिकों की कमी है । साथ साथ यह भी देखना चाहिए कि बाहर जाने वालों के लिए उपयुक्त काम उपलब्ध हैं, उनके स्वास्थ्य का प्रबन्ध उचित है, और साथ ही यह भी कि वह लोग धन प्राप्त करके उसे अपने देश में भेज सकते हैं । इन सब बातों का ध्यान रखना आवश्यक है ।

†**श्री सिंहासन सिंह** (गोरखपुर) : जो संशोधन हम कर रहे हैं उस से इस समस्या का समाधान नहीं होगा । इस संशोधन द्वारा हम अवैध उत्प्रवास के लिये और कड़ी सजा रखने जा रहे

---

†मूल अंग्रजी में

हैं। मेरा अनुरोध यह है कि १९२२ का मूल अधिनियम ही हमारे देश के सम्मान पर एक धब्बा है। आवश्यकता इस बात की है कि इस मल विधेयक का निरसन किया जाय। उसी विधेयक में किराये के मजदूरों सम्बन्धी उपबन्ध हैं। किसी देश को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह हमारे राष्ट्रजनों को किराये पर कुछ समय के लिये यहां से ले जायें। ऐसा उपबन्ध और किसी देश में नहीं है। इस लिये इस संशोधन को ला कर अवैध उत्प्रवास के लिये अधिक कड़ा दंड रखने की बजाय मूल अधिनियम के उपबन्धों में फेरबदल करना चाहिए। यह सरकार के अधिकार में होना चाहिए कि वह किसी अन्य देश के अनुरोध किये जाने पर, यदि उचित समझें तो, दक्ष अथवा अर्द्ध-दक्ष श्रमिकों को बाहर भेजें। मेरा सरकार से अनुरोध है कि हमें अपने देशवासियों को किराये पर बाहर ले जाने की प्रथा को बन्द करना चाहिए। गांधी जी ने भी अफ्रीका में किराये के मजदूरों की प्रथा के विरुद्ध लड़ाई की थी। इसलिये इस संशोधन से समस्या का हल नहीं हो सकता।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : सदस्यों द्वारा दी गई बहुत सी टिप्पणियों का सम्बन्ध प्रस्तुत विधेयक से नहीं है क्योंकि यह विधेयक बहुत सीमित प्रकार का है। इसका सम्बन्ध विदेशों में रहने वाले भारतीयों, श्रीलंका में रहने वाले नागरिकता विहीन व्यक्तियों अथवा बर्मा में रहने वाले भारतीयों से नहीं है, जिन को अपने देश में अपने परिवारों को पैसा भेजने से रोका गया था। न ही उसका सम्बन्ध दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले उन भारतीयों से है जिनके साथ भेदभाव का बर्ताव किया गया था। यह ठीक है कि उपनिवेशी प्रशासन में बहुत से दक्ष भारतीय राष्ट्रजनों को अन्य उच्च उपनिवेशों के विकास के लिये बाहर ले जाया जाता था जिसके कारण हमारे सामने बहुत सी समस्यायें उत्पन्न हुईं जिन का समाधान हम सफलतापूर्वक नहीं कर सके। इस प्रकार की समस्याओं का समाधान उचित रीति से हो सकता है, परन्तु इस विधेयक से इनका सम्बन्ध नहीं है।

जहां तक वर्तमान विधेयक का सम्बन्ध है यह दो अथवा तीन विशेष समस्याओं के बारे में है जिनका समाधान इस प्रस्ताव को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये आवश्यक समझा गया। यह आरोप सर्वथा अनुचित है कि किन्हीं व्यक्तियों के अनुचित प्रभाव के कारण मूल विधेयक को कार्यान्वित नहीं किया जा सका। सरकार अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करती है कि अधिनियम को ठीक ढंग से कार्यान्वित किया जाय और जिस प्रकार से प्रथम उत्प्रवास अधिनियम के अनुसार कार्य हो रहा है उस से विदित है कि कुछ तकनीकी परिवर्तनों और संचार के साधनों में हुए परिवर्तनों के कारण, विधेयक को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये, इसमें कुछ परिवर्तन लाना आवश्यक था।

जहां तक अदक्ष श्रमिकों का सम्बन्ध है उन पर पूरी रोक लगाई गई है क्योंकि अदक्ष श्रमिकों का शोषण हो सकता है। अदक्ष श्रमिक का आसानी से शोषण हो सकता है क्योंकि वह अनपढ़ हैं। वर्ष १९४१ से भारत से अदक्ष श्रमिकों के बाहर जाने पर पूर्णत: रोक है। श्रीलंका में भारतीय अवैध उत्प्रवासियों की संख्या हमें विदित है और हमने समझ लिया था कि जब तक अवैध उत्प्रवास के लिये कड़े दण्ड का उपबन्ध नहीं किया जायेगा तब तक इसे रोकना कठिन है। वर्तमान विधि के अनुसार हम जिन बेड़ों द्वारा वह लोग बाहर भेजे जाते हैं उन्हें भी ज़ब्त नहीं कर सकते। मद्रास से भी समय समय पर हमें यह सूचना प्राप्त हुई है कि जब तक उन लोगों के पास स्टीम की किश्तियां आदि हैं उनके अवैध उत्प्रवास को रोकना असम्भव है। इसीलिये आप देख रहे हैं कि इस उत्प्रवास को रोकने के लिये सरकार को उत्प्रवास के साधन जब्त करने की शक्ति दी जा रही है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि मूल अधिनियम की धारा ३ और ४ को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा। परन्तु अब उसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि विदेशों में हमारे मिशन भारतीय राष्ट्रजनों की स्थिति की सूचना देते रहते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

कुछ माननीय सदस्यों ने दक्ष श्रमिकों के उत्प्रवास के बारे में वर्णन किया। किसी व्यक्ति द्वारा देश के बाहर जाना संभव नहीं है क्योंकि प्रत्येक सरकार ने उत्प्रवास सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगा रखे हैं। उदाहरणार्थ, कुछ देशों द्वारा कोटा निर्धारित किया गया है। कनाडा अथवा अमरीका में हमारे राष्ट्रजन केवल एक निश्चित संख्या में उत्प्रवास कर सकते हैं। प्रतिबन्ध काफी कड़े हैं जिन के फलस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक स्थान पर नहीं जा सकता जैसा पहले वर्षों में संभव था जब कोई पासपोर्ट, यात्रा दस्तावेज आदि नहीं थे। इसलिये, हम अन्य देशों में उत्प्रवास को प्रोत्साहन नहीं दे सकते सिवाय इसके कि भारत और अन्य देशों में सम्पन्न करारों के अनुसार लोग जा सकते हैं।

दक्ष कर्मियों का बाहर जाना इतना आसान नहीं है क्योंकि उनके विदेश जाने से पूर्व सरकार यह सुनिश्चित कर लेती है कि सम्बद्ध व्यक्ति और उसे नौकर रखने वाली सरकार अथवा अभिकरण के मध्य जो करार हुआ है वह सन्तोषजनक है और कि इस सम्बन्ध में पूरी गारन्टी मिल गई है कि वह अपने परिवार को पैसे भेज सकेगा। जहां तक दक्ष कर्मियों, तकनीकी अथवा प्रशिक्षित व्यक्तियों का सम्बन्ध है हमारे लिये यह कोई समस्या नहीं है। समस्या केवल अदक्ष कर्मियों अथवा अवैध उत्प्रवासियों की है।

उदाहरणार्थ, हमें कुछ समय पूर्व यह सूचना मिली थी कि कुवैत में हमारी स्त्री श्रमिकों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। कुछ गिरोह ऐसे थे जो धोखे से स्त्रियों को यह कह कर हवाई जहाज द्वारा ले जाते थे कि वहां उन्हें नौकरी मिल गई है। हवाई जहाज द्वारा जाने वालों को रोकने के लिए कोई उपबन्ध नहीं है। अब इस संशोधन विधेयक द्वारा हमें शक्ति प्राप्त हो रही है जिससे हम विमान द्वारा धोखे से ले जाये जाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही कर सकेंगे।

यह विधेयक बहुत सीमित प्रकार का है। यह ठीक है कि इस विधेयक को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है परन्तु हम देखेंगे कि यह संशोधन विधेयक किस हद तक उपयुक्त सिद्ध होता है और फिर यदि अधिक परिवर्तनों की आवश्यकता पड़ी तो वह किये जा सकते हैं।

एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में श्रमिकों के उत्प्रवास का भी वर्णन किया गया। इस विधेयक में उनके उल्लेख नहीं हैं। एक सदस्य ने ब्रिटिश उत्प्रवास अधिनियम का वर्णन किया। वह जानना चाहते थे कि वह अधिनियम हमारी उत्प्रवास समस्या पर किस प्रकार प्रभाव डालेगा। जहां तक ब्रिटिश राष्ट्रमंडल आप्रवास अधिनियम का सम्बन्ध है उसका उद्देश्य ब्रिटेन में नौकरी ढूंढने वाले व्यक्तियों के प्रवेश पर नियंत्रण करना है। इसलिये हमारे लिये वास्तव में यह हमारे लिये उत्प्रवास की समस्या नहीं है और कुछ लोग वहां जाते हैं तो उन्हें आप्रवास अधिनियम में दी गई प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। हम यह देख रहे हैं कि यह किस प्रकार हमारे राष्ट्रजनों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा और यदि हमारे राष्ट्रजनों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तो हम उचित उपाय करेंगे ताकि वह हमारे राष्ट्रजनों पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले।

मुझे केवल इतना ही कहना है। मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय उत्प्रवास अधिनियम, १९२२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : कोई संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है :

"कि खंड २ से १७ विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २ से १७ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उप-कर (संशोधन) विधेयक

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, १६६१, में संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण अधिनियम, १६६१, दिसम्बर, १६६१ में पारित किया गया था और यह समाज कल्याण उपायों में से एक था । कोयला तथा अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम के अन्तर्गत श्रमिकों के समान लौह अयस्क खान उद्योग के श्रमिकों के कल्याण कार्यों में वित्तीय सहायता करने के लिये इसमें लौह अयस्क पर उप-कर प्राप्त करने सम्बन्धी उपबन्ध है । सामान्यतया, कल्याण सुविधायें, लोक स्वास्थ्य, सफाई, बीमारी रोकने, चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करने और उनमें सुधार लाने, जल संभरण, शिक्षा सुविधायें उपलब्ध करना तथा इनमें सुधार लाना, भवन निर्माण, पौष्टिक पदार्थ तथा जीवन स्तर में सुधार लाना, काम करने के स्थान में से और वहां तक परिवहन की सुविधा आदि होगी । लौह अयस्क खान उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण कार्यों के लिये राज्य सरकार को, अथवा स्थानीय प्राधिकार को, अथवा लौह अयस्क खान के स्वामी को सहायक अनुदान देने के बारे में भी अधिनियम में उपबन्ध है । दुर्भाग्य से इस अधिनियम को अब तक लागू नहीं किया जा सका क्योंकि उड़ीसा के बारे में एक विधि सम्बन्धी कठिनाई उत्पन्न हो गई है । विधेयक का मुख्य उद्देश्य यही है कि अधिनियम को विभिन्न तिथियों से विभिन्न राज्यों में लागू किया जा सके ।

धारा ६ में इस बारे में उपबन्ध है कि यदि केन्द्रीय सरकार को यकीन हो जाय कि किसी एक राज्य में अथवा किसी एक राज्य की किसी भाग में श्रमिकों के कल्याण कार्यों के लिये धन उपलब्ध करने वाली कोई विधि है तो राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा यह घोषित किया जा

---

†मूल अंग्रेजी में ।

सकेगा कि इस अधिनियम के अमुक उपबन्ध उस राज्य में अथवा उस राज्य के किसी भाग में लागू नहीं होंगे। उड़ीसा राज्य ने इस अधिनियम से छूट चाही थी क्योंकि वहां उड़ीसा खान क्षेत्र विकास विधि अधिनियम १९५२ में श्रमिकों के कल्याण कार्यों के लिये धन उपलब्ध करने सम्बन्धी उपबन्ध है। सैद्धान्तिक दृष्टि से विमुक्ति देने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी परन्तु वह विमुक्ति नहीं दी जा सकी क्योंकि उड़ीसा उच्च न्यायालय ने घोषित किया था कि राज्य का वह अधिनियम खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ (केन्द्रीय अधिनियम १९५७ का संख्या ६७) के लागू हो जाने से लागू नहीं रहा। उड़ीसा सरकार ने उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की है जो अभी लम्बित है। हम ने उड़ीसा सरकार के इस सुझाव पर विचार किया था कि जब तक उच्चतम न्यायालय में की गई अपील का निर्णय न हो जाय तब तक यह अधिनियम उड़ीसा राज्य में लागू न किया जाय।

धारा १३ में इस बारे में उपबन्ध नहीं है कि अधिनियम को विभिन्न राज्यों में विभिन्न तिथियों को लागू किया जा सकता है। इस लिये उस धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि अधिनियम केन्द्रीय सरकार द्वारा राजकीय गजट में अधिसूचित एक अथवा कई तिथियों को लागू हो सकेगा, और विभिन्न राज्यों के लिये विभिन्न तिथियां निर्धारित की जा सकेंगी।

कुछ शब्दों में मैं यह बताऊंगा कि जम्मू तथा काश्मीर में और संघ राज्य क्षेत्र गोआ में यह अधिनियम किस प्रकार लागू होगा। लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम १९६१, अधिनियमित रूप में, जम्मू तथा काश्मीर को छोड़ कर सारे भारत में लागू होता है। जम्मू तथा काश्मीर में, जहां तक हम जानते हैं, लौह अयस्क खानें नहीं हैं। इस अधिनियम के उपबन्धों को संघ राज्य क्षेत्र गोआ में लागू करने के प्रश्न पर, जहां लगभग २५००० श्रमिक काम करते हैं, गोआ प्रशासन के परामर्श से अलग से विचार किया जा रहा है। चूंकि गोआ में काफी संख्या में श्रमिक काम करते हैं इस लिये वर्तमान विधान के प्रसंग में उस की काफी महत्ता है। इस के साथ ही साथ इस अधिनियम को वहां लागू करने के पूर्व यह देखना होगा कि वहां लोह अयस्क खान उद्योग कि स्थिति क्या है, और उपकर का निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रशासन का विचार यह है कि गोआ लौह अयस्क उद्योग में वर्तमान मन्दी के काल को देखते हुए उपकर लगाने के लिये यह समय उपयुक्त नहीं है।

उड़ीसा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र गोआ को छोड़कर, इस समय, इस अधिनियम से ३४,००० श्रमिक प्रभावित होंगे जो ७५ लाख टन लौह अयस्क का उत्पादन कर रहे हैं। यद्यपि अधिक से अधिक ५० नये पैसे एक मीट्रिक टन की दर से उपकर प्राप्त करने की इस अधिनियम के अनुसार अनुमति है, फिर भी यह प्रस्ताव है कि आरम्भ में यह उपकर २५ नये पैसे एक मीट्रिक टन की दर से अधिक न प्राप्त किया जाये।

हमारा यह उपबन्ध रखने का भी प्रस्ताव है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत नियम बनाये जायें। जैसा कि कोयला तथा अभ्रक निधियों में है, कल्याणकारी उपाय त्रिदलीय परामर्श समिति के परामर्श से किये जायेंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बरैकपुर) : यह बहुत आश्चर्यजनक है कि इस अधिनियम के तीन वर्ष पश्चात् संशोधन विधेयक लाया जाये। यदि यह संशोधन विधेयक पारित हो जाय तो सरकार को अधिकार मिल जायगा कि वह विभिन्न राज्यों के लिये विभिन्न तिथियां निर्धारित कर सकेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

परन्तु मुझे इस बात का भय है कि कहीं किसी राज्य के प्रभाव में आ कर यह अधिनियम वहां लागू ही न किया जाय ।

उड़ीसा राज्य में श्रमिकों की दशा को मैं जानती हूं और मैं समझती हूं कि यदि इस मामले में कोई अधिकतम पिछड़ा हुआ राज्य है तो वह उड़ीसा है। वहां के अधिकतर श्रमिक आदिवासी हैं अथवा स्त्रियां हैं। यह आश्चर्य की बात है कि गैर सरकारी क्षेत्र में टाटा और बर्न एन्ड कम्पनी के इस्पात और लौह अयस्क उद्योगों में मजदूरों की स्थिति इतनी खराब है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक लिये जायेंगे । इस लिये माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्पों संबंधी समिति

बाईसवां प्रतिवेदन

†**श्री हेमराज** (कांगड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के बाइसवें प्रतिवेदन से, जो १४ अगस्त १९६३ को सभा में पेश की गई थी, सहमत है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के बाईसवें प्रतिवेदन से, जो १४ अगस्त १९६३ को सभा में पेश की गई थी, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

आनन्द मार्ग विवाह विधेयक

†**श्री शशिरंजन** (पपरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि "आनन्द-मार्गियों" में प्रचलित विवाह पद्धति को वैधता के बारे में सन्देहों को दूर करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि आनन्द-मार्गियों में प्रचलित विवाह पद्धति की वैधता के बारे में सन्देहों को दूर करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री शशिरंजन** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली पंचायत राज (संशोधन) विधेयक

(धारा १५, २९, ३०, आदि का संशोधन)

श्री नवल प्रभाकर (दिल्ली–करौलबाग) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली पंचायत राज अधिनियम १९५४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाय ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली पंचायत राज अधिनियम १९५४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री नवल प्रभाकर : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

दिल्ली आंख की पुतली लगाना विधेयक

श्री नवल प्रभाकर : श्रीमन मैं प्रस्ताव करता हूं कि मृत व्यक्तियों की आंखों का चिकित्सा के लिये प्रयोग करने के सम्बन्ध में उपबन्ध करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाय ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि मृत व्यक्तियों की आंखों का चिकित्सा के लिये प्रयोग करने के सम्बन्ध में उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री नवल प्रभाकर : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक

(धारा ३२४ और ३२६ का संशोधन और नई धारा ३२४-क और ३२६-क का रखा जाना)

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (रामगंज) : मैं भारतीय दण्ड संहिता १८६० में अग्रेतर संशोधन करने वाले वियधेक को पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दण्ड संहिता १८६० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी कर्मचारी (सेवा निवृत्ति के पश्चात् सेवा पर प्रतिबन्ध) विधेयक

†**श्री रा० गि० दुबे** (बीजापुर उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत सरकार के कर्मचारियों पर उनकी सेवानिवत्तिृ के बाद गैर-सरकारी उपक्रमों में सेवा करने पर प्रतिबन्ध लगाने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत सरकार के कर्मचारियों पर उनकी सेवानिवृत्ति के बाद गैर-सरकारी उपक्रमों में सेवा करने पर प्रतिबन्ध लगाने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री रा० गि० दुबे** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

पुस्तकों और समाचार-पत्रों का दिया जाना (सार्वजनिक पुस्तकालय) संशोधन विधेयक

(धारा २ का संशोधन)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री च० का० भट्टाचार्य द्वारा ३ मई, १६६३ को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी :

"कि पुस्तकों और समाचार पत्रों का दिया जाना (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम १६५४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (रामगंज) : इस विधेयक का उद्देश्य पुस्तकों और समाचारपत्रों का दिया जाना अधिनियम में संशोधन करना है । उस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक पुस्तक और समाचार पत्र प्रकाशक को प्रकाशित होने वाली पुस्तक अथवा समाचार पत्र की एक एक प्रति सदस्य को भेजनी अनिवार्य है । मेरा संशोधन इस तात्पर्य का है कि पुस्तकों और समाचारपत्रों के साथ ग्रामोफोन रिकार्डों के सरकार को भेजना अनिवार्य कर दिया जाय । यह मैं इसलिये चाहता हूं क्योंकि बहुत से भारतीय संगीत विशषज्ञों के रिकार्ड सुरक्षित नहीं रखे जाते । इस तरह बहुमल्य राष्ट्रीय सम्पत्ति योंही चली जाती है । इस संशोधन विधेयक के पारित होने से जनता में उस नष्ट होने वाली सम्पत्ति के लिये जागरुकता उत्पन्न होगी और सरकार को उसे सुरक्षित रखने की इच्छा रहेगी ।

भारत में रिकार्डिंग का कार्य बहुत विलम्ब से आरम्भ हुआ है । उन में से भी बहुत से उचित प्रबध, संग्रह और परिरक्षण की व्यवस्था के अभाव में नष्ट हो गये । इन्हें व्यासावयिक प्रयोजन बनाया गया और इनकी मांग समाप्त होने पर इन्हें नष्ट कर दिया गया । इस प्रकार अमूल्य सांस्कृतिक और राष्ट्रीय निधियां नष्ट हो गई ।

प्राचीन कलाकारों के ही संबंध में यह क्षति नहीं हुई अपितु जीवित कलाकारों के संबंध में भी यही बात है । मैंने एक बार डी० एल० राय का एक प्रसिद्ध गीत "पतितोद्धारिनि गंगे" का रिकार्ड

---

†मूल अंग्रेजी में

प्राप्त करने का प्रयत्न किया था। किन्तु मुझे पता चला कि न तो रिकार्ड उपलब्ध है और न ही उसकी मूल प्रति। यह एक ही कलाकार के संबंध में नहीं अपितु कई प्रसिद्ध संगीतकारों और नाटककारों के संबंध में हुआ है। जब तक सरकार कोई ऐसा कदम न उठाये जैसा कि इस विधेयक में बताया गया है, इन महान कलाकारों की आवाज नष्ट हो होती रहेगी।

स्वामी विवेकानन्द और टैगोर दोनों विश्व विख्यात महान विभूतियां हैं। टैगोर एक प्रसिद्ध संगीतकार भी थे। उन के सारे रिकार्ड नष्ट हो गये हैं क्योंकि उनके परिरक्षण की उचित व्यवस्था नहीं थी। स्वामी जी का भाषण सुन कर लोग स्तब्ध रह जाते थे। यदि उन के भाषण के रिकार्ड उपलब्ध होते तो यह कितनी अमूल्य निधि होती। पता चला है कि मैसूर के स्वर्गीय महाराजा ने स्वामी जी के भाषण को रिकार्ड किया था, वह अब भी मैसूर के महल में मिल सकता है। सरकार इन रिकार्डों को एकत्रित करने का प्रयत्न क्यों नहीं करती, जिस से वर्तमान तथा भावी पीढ़ी स्वामी जी की जादूभरी आवाज को सुन सके।

टैगोर के युवा अवस्था के सारे रिकार्ड नष्ट हो चुके हैं। हाल ही में रवीन्द्र भारती विश्वविद्यालय ने तो इन्हें एकत्रित करने का प्रयत्न किया था। किन्तु उन्हें एक भी रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका।

उनका पहला गीत :

सार्थक जनम आमार जन्मेछि एई देशे

सार्थक जनम मागो तोमाय भालो वेसे

उस समय रिकार्ड किया गया था जब वह ३० वर्ष के थे। इस अमूल्य गीत का रिकार्ड भी अब उपलब्ध नहीं है।

एच० बोस एण्ड कम्पनी के मालिक ने टैगोर के कई गीतों के रिकार्ड बनाये थे। ये पहले सिलंडर के रूप में भरे थे। उन्हें फ्रांस में भेजा गया कि उन्हें "डिस्क" के रूप में परिवर्तित कर दिया जाये। उनमें से बहुत से फ्रांस में ही नष्ट हो गये हैं। अब यह सुनने का कोई उपाय नहीं है कि युवा टैगोर किस प्रकार गाते थे। किन्तु जिसने उन के रिकार्ड सुने हैं वे जानते हैं कि किस प्रकार उन का संगीत सुनने वालों को स्तब्ध कर देता था। यदि आज हम उनके द्वारा गाये गये उन के :–

"आज वसन्त जाग्रत द्वारे

तब अवगुण्ठित कुठित जीवने कौरोना विडम्वित तारे।"

अथवा

मम यौवने निकुंजे गाहे पाखि

सखि जागो, सखि जागो, सखि जागो।"

अथवा

श्रावण गगने घोर घन घटा

निशीथ यामिनी रे

कुंज वने सखि कैसे जाओ अब

अवला कामिनी रे

सुन पाते तो कितने आनन्द का विषय होता। किन्तु यह सारे रिकार्ड नष्ट हो चुके हैं। इसी प्रकार उन के द्वारा रचित और उन्हीं के द्वारा गाया "कर्ण कुंती संवाद" का रिकार्ड भी नष्ट हो गया है। इसकी

[श्री च० का० भट्टाचार्य]

मूल प्रति भी नष्ट हो गई है। जनता की मांग पर कम्पनी ने एक पुराने घिसे पिटे रिकार्ड से नये रिकार्ड भरे किन्तु उन में टैगोर के स्वर का सौन्दर्य नहीं रह गया था।

बन्दे मातरम गान कांग्रेस अधिवेशन में सब से पहले टैगोर ने ही गाया था। उनकी आवाज से सारा पंडाल गूंज उठा था। मेरी बड़ी इच्छा थी कि उस स्वर को रिकार्ड कर लिया जाता। उनके द्वारा गाये गये बन्दे मातरम गान को एच० बोस एण्ड सन्स ने भी रिकार्ड किया था। वहां से उसे प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिये।

श्री सुरेन्द्र नाथ बनर्जी के वक्तव्य से लोग स्तब्ध रह जाते थे और श्रीमती सरोजिनी नायडू को गांधी जी ने "भारत कोकिला" की उपाधि दी थी। कितना अच्छा होता यदि इन विभूतियों के स्वरों को रिकार्डों में भर लिया जाता तो कितना अच्छा होता।

मैंने कतिपय उदाहरण ही प्रस्तुत किये हैं। नाटक और संगीत के क्षेत्र में और भी कई महान विभूतियां हुई हैं। इन के स्वरों के रिकार्ड नष्ट हो चुके हैं क्योंकि इन को एकत्रित करने के लिये कोई कानूनी उपबन्ध नहीं है। उचित तो यही होता कि सरकार स्वयं इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत करती। वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय को चाहिये कि वर्ष भर में भरे गये सारे रिकार्डों का निरीक्षण कर के परिरक्षण किये जाने योग्य रिकार्डों को अलग छांट लें। किन्तु जब तक उन के पास बनाये गये रिकार्डों की प्रति न हो वे ऐसा नहीं कर सकते। स्थान के लिये भी सरकार को चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। टेप-रिकार्डिंग में थोड़े स्थान में काफी सामग्री भरी जा सकती है। मैं चाहता हूं कि सारे रिकार्डों का परिरक्षण किया जाये।

मैं कुछ सुझाव रखूंगा। सरकार यह उपबन्ध कर दे कि रिकार्ड बनाने वाले उस की प्रति सरकार के पास भेजें और जनता से यह अपील करें कि यदि किसी के पास कोई मूल्यबान रिकार्ड हो तो उसकी सूचना सरकार को दें।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : जहां तक इस विधेयक का संबंध है मैं श्री भट्टाचार्य के सुझावों से सहमत हूं और मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय भी उन का विरोध नहीं करेंगे। इस समय रिकार्ड भरने का कार्य निजी क्षेत्र में है और वे लोग लाभ के ध्येय से ऐसा करते हैं। जो रिकार्ड अप्रचलित हो जाता है उस की मूल प्रति भी नहीं रखी जाती। वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रगति होने के कारण अब यह संभव हो गया है कि सारे भाषणों और गीतों के रिकार्डों को संभाल कर रखा जा सके। जहां तक प्राचीन विभूतियों का सम्बन्ध है उन के स्वर नष्ट हो चुके हैं उन को प्राप्त करने का अब कोई साधन नहीं है। किन्तु हम वर्तमान कलाकारों के स्वरों के रिकार्ड भर कर उन का परिरक्षण कर सकते हैं और दुनिया को बतला सकते हैं कि ये उन महान विभूतियों के शिष्टा हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस दिशा में क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं। बोस परिवार से कुछ पुराने रिकार्ड प्राप्त हो सकते हैं। सरकार को चाहिए कि उन्हें प्राप्त कर के टेप रिकार्ड में भर ले।

अमरेन्द्रनाथ दत्त और दानी बाबू बंगाल के विख्यात अभिनेता थे उन के रिकार्ड अब उपलब्ध नहीं हैं। सुझाव यह है कि अब के बाद से सारे रिकार्डों का परिरक्षण किया जाये, कोई भी कलाकार किसी भी समय ख्याति प्राप्त कर सकता है। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जिन्हें भारतीय कला और संस्कृति से प्रेम है, यह सुझाव स्वीकार कर लेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं हृदय से इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इसके उद्देश्यों और कारणों में श्री भट्टाचार्य ने टैगोर, गांधी आदि के भषणों आदि का उल्लेख किया है। यह सच है कि यह रिकार्ड कहीं भी उपलब्ध नहीं है।

कुछ म ान कलाकारों जैसे उस्ताद फैज खां आदि के रिकार्ड अब भी उपलब्ध हैं। किन्तु अन्य म ान संगीतकारों, अब्दुल करीम, अब्दुल अजीज खां, उस्ताद फैयाज खां, जैसे 'रघुपति राघव राजा राम' की एक धुन में सारी राग-रागनियां गाया करता था अब उपलब्ध नहीं हैं। कितने दुःख की बात है कि हम इन अमूल्य निधियों को संभाल कर नहीं रख सके। आजकल हम लोक गीतों की ओर आकर्षित हैं, किन्तु जिन निधियों पर हमें अभिमान था उनको हमने नहीं संभाला।

मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जो कला और साहित्य के प्रेमी हैं इस सुझाव को स्वीकार कर लेंगे और सभा एक मत से इसे पारित कर देगी।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : मैं हर्ष के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इसे स्वीकार कर लेंगे और यदि यह विधेयक आवश्यकताओं को पूरा न करे तो अपना पृथक विधेयक प्रस्तुत करेंगे।

मेरा एक सुझाव है। हमारे देश में दर्शन, साहित्य, संगीत, संस्कृति, काव्य, रहस्य और राजनीति के क्षेत्र में महान विभूतियां उत्पन्न हुई हैं। इसके अतिरिक्त राजनीतिक क्षेत्र में ऐसी भी विभूतियां पैदा हुई हैं जिन्होंने राजनीति के स्तर को ऊंचा उठाया है, जैसे महात्मा गांधी। इस सम्बन्ध में तिलक और नेताजी का नाम भी नहीं भूलना चाहिये। मेरा सभा के दोनों पक्षों से निवेदन है कि वे एक स्वर से सरकार से अपील करें कि इन विभूतियों के रिकार्डों को, यदि वे मर गये हों तो, संभाल कर रखे। मुझे विश्वास है कि नेता जी के भाषण को रिकार्ड किया गया था।

यह प्रश्न पहली लोक सभा में कई बार उठाया गया था। डा० केसकर नें कहा था कि नेता जी के रिकार्डों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है। एक या दो वर्ष की बात है एक ग्रामोफोन कम्पनी ने उनके भाषण के दो रिकार्ड मेरे पास भेजे थे और मैंने उन्हें सुना भी था। मैं नहीं जानता कि वे सरकार के प्राभिलेख में उपलब्ध हैं या नहीं।

बर्लिन में भी उन्होंने कई जोशीले भाषण दिये थे और दक्षिण-पूर्व एशिया में भी। मुझे विश्वास है कि उन भाषणों को रिकार्ड, कर लिया गया था। सरकार को चाहिये कि उन रिकार्डों को उपलब्ध कराये। मैं जानना चाहता हूं कि उनके कौन-कौन से रिकार्ड प्राप्त कर लिये हैं और शेष को प्राप्त करने के लिये क्या प्रयत्न किया जा रहा है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: मुझे आशा है कि सभा के प्रत्येक सदस्य को इस विधेयक के उद्देश्यों से स ानुभूति होगी। इसका प्रयोजन बिना किसी संकोच के स्वीकार किया जा सकता है और केवल यही नहीं किन्तु यह प ले ही से स्वीकार किया जा चुका है। वस्तुतः गत कुछ वर्षों से हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। किन्तु जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है यह पूर्णतया भिन्न विषय है और मुझे भय है कि मुझे खेद के साथ कानूनी, प्रशासनीय और व्यावहारिक कारणों से इस विधेयक का विरोध करना होगा।

हमारे दृष्टिकोण से यह विधेयक कानूनीरूप से अवांछनीय प्रशासनीय रूप से अव्यावहारिक और अनावश्यक है और मैं इन तीनों बातों के सम्बन्ध में सभा को विश्वास दिलाना चाहता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हुमायून् कबिर]

कानूनी रूप से इस विधेयक पर संसद् में विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि स्पष्टतः राज्य सूची की सत्ताईसवीं प्रविष्टि में ग्रामोफोन रिकार्ड का उल्लेख है और इसलिये यह विषय संसद् के विधान का विषय नहीं है, यह पूर्ण रूप से राज्य का विषय है। सत्ताईसवीं प्रविष्टि के केवल वे पदार्थ, जिन्हें समवर्ती सूची की तैंतीसवीं प्रविष्टि द्वारा विमुक्ति प्राप्त है, संसद् के सम्मुख लाये जा सकते हैं और संसद् ने ऐसा कोई अधिनियम नहीं बनाया न ही ऐसा कोई सुझाव है कि रिकार्डों के निर्माण का कार्य सूची ३ की प्रविष्टि ३३ के अन्तर्गत लाया जाये।

मेरे माननीय मित्र श्री च० का० भट्टाचार्य के अनुसार इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि ग्रामोफोन रिकार्ड का निर्माता उल्लिखित सार्वजनिक पुस्तकालयों को प्रत्येक रिकार्ड की कई प्रतियां दे। दूसरे शब्दों में राज्य सूची में वर्णित वस्तुओं के उत्पादन, सम्भरण और वितरण पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा और जैसा कि मैंने अभी कहा है, यह समवर्ती सूची की तैंतीसवीं प्रविष्टि में नहीं है। इसलिये इस विधेयक का सम्बन्ध एक ऐसे विषय से है जो पूर्णतया, अनन्यरूप से राज्य विधान सभा मंडल की क्षमता के अन्तर्गत आता है।

विधेयक में केवल यही त्रुटि नहीं है। श्री भट्टाचार्य यह कह कर कि ग्रामोफोन रिकार्ड पुस्तक के समान हैं इस स्थिति से बचना चाहते हैं। उन्होंने 'पुस्तक' की जो परिभाषा बताई है उसमें कुछ 'शीट' 'लिथोग्राम शीट' सम्मिलित है। किन्तु ग्रामोफोन रिकार्ड को पुस्तक समझने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ग्रामोफोन रिकार्ड भाषण, संगीत, संगीत अथवा किसी भी प्रकार की आवाज के सम्बन्ध में हो सकते हैं। पक्षियों के स्वर और जंगली जानवरों की आवाज के भी रिकार्ड हैं। इन सब को पुस्तक मानना पूर्ण रूप से भाषा की भावना का उल्लंघन कर देगा। आपको स्मरण होगा कि बार बार सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत अभिव्यक्त किया है कि जहां कि हमें किसी शब्द का उदार निर्वचन करना चाहिये वहां हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि यह असंगत न समझा जाये। हर प्रकार के ग्रामोफोन रिकार्ड को पुस्तक बताना सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्णित उस अपकर्म के अन्तर्गत आ जाता है।

फिर वे यह भी चाहते हैं कि ग्रामोफोन रिकार्ड के निर्माता को प्रकाशक समझा जाये। यहां भी मैं समझता हूं, भाषा का उल्लंघन होगा। किन्तु आप इसकी भी कल्पना नहीं कर सकते कि रिकार्डों का निर्माता पुस्तक का प्रकाशक है। इस कारण कानूनी आधार पर। इस विधेयक का पूर्ण रूप से विरोध किया जाना चाहिये।

यह अव्यावहारिक और अनावश्यक भी है। उद्देश्यों और कारणों में, उन्होंने बताया है कि प्रमुख व्यक्तियों की जिनमें महान संगीतकार भी सम्मिलित हैं आवाजों का परिरक्षण किया जाये। विधेयक के अनुसार प्रत्येक रिकार्ड की छः प्रतियां दी जायेंगी। इनका आप क्या करेंगे। १९६१-६२ में ४० लाख रिकार्ड बनाये थे। हमने अभी उनके नामों की सूची नहीं देखी है। उनमें से बहुत से तुच्छ हैं, फिल्मी गानों और बहुत सी ऐसी बातों के सम्बन्ध में जिन्हें, और बातों की तो बात ही अलग रही, कुछ समय बाद कोई सुनना भी नहीं चाहेगा। इसलिये देश के विभिन्न भागों के पुस्तकालयों का स्थान, यदि मुझे कहने की अनुमति हो, इन व्यर्थ की चीजों से घेरना वांछनीय नहीं होगा। जो मूल्यवान है उसका परिरक्षण किया जा रहा है। इसलिये एक प्रकार से विधेयक का उद्देश्य पूरा किया जा रहा है।

हमने इस सम्बन्ध में कि पुस्तकें पुस्तकालयों में भेजी जायें, विधेयक पारित किया है। पुस्तकालयों को इससे काफी कठिनाई हो रही है। तथापि हम यह कर रहे हैं। जब तक उस स्थिति पर काबू न कर लिया जाये, अतिरिक्त कार्य हाथ में लेना, अवांछनीय होगा।

मैं यह भी कहूंगा कि यह अनावश्यक है क्योंकि पहले ही कार्यवाही की जा चुकी है। मैंने पहले उल्लेख किया है कि गत तीन वर्षों से संगीत नाटक अकादमी इन चीजों के परिरक्षण का कार्य कर रही है। जो चीजें पहले ही नष्ट हो चुकी हैं उनके सम्बन्ध में कुछ नहीं किया जा सकता। इस विधेयक द्वारा हमें तानसेन का अथवा उन महान संगीतकारों का संगीत उपलब्ध नहीं हो सकता जो ग्रामोफोन रिकार्ड अथवा टेप रिकार्डिंग का आविष्कार होने के पहले हुये थे। हर देश के सम्बन्ध में यही बात है। श्री स० भो० बनर्जी ने कहा है कि दुर्भाग्य से भारत को ही यह क्षति उठानी पड़ी है। मुझे मालूम नहीं कि उन्हें यह सूचना कहां से मिली है क्योंकि दुनियां के सब देशों के लिये यही बात लागू है। प्रत्येक देश अतीत में हुए महान संगीतकारों के संगीत को खो चुका है। किन्तु जैसा कि मैंने कहा है संगीत नाटक अकादमी ने यह अतिरिक्त कार्य भार संभाला है कि वह रिकार्डिंग के विशेष कार्यक्रमों की व्यवस्था कर रही है और हम परिरक्षण करने योग्य चीजों को रखने के लिये टेपरिकार्डों का प्राभिलेख बना रहे हैं। हमने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से भी सलाह ली है। श्री कामत ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि डा० केसकर ने यह आश्वासन दिया है कि जहां सम्भव होगा रिकार्ड बना कर रख लिये जायेंगे। हमें मंत्रालय से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है कि इस दिशा में कार्य किया जा रहा है; जो भी व्यावहारिक रूप से संभव है वह एकत्रित कर रहे हैं। उन्होंने कहा है :

> "इस समय आकाशवाणी विभाग प्रमुख व्यक्तियों और प्राचीन महान कलाकारों की रिकार्डिंग को एकत्रित करने, संभालने और बनाये रखने के लिये हर संभव प्रयत्न कर रहा है"

इसका चयन करना होगा। इसमें हम हर आवश्यक कदम उठायेंगे। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का दबाव अनावश्यक और अवांछनीय होगा। दबाव का अर्थ है हर एक चीज का प्राप्त करना। फिर चुनाव कौन करेगा ?

†**श्री हरि विष्णु कामत** : एक समिति बनाइये।

†**श्री हुमायून् कबिर** : फिर वह समिति रिकार्ड सुनने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करेगी क्योंकि प्रति वर्ष ४० लाख रिकार्ड बनाये जाते हैं और भाषणों की तो गिनती ही नहीं है। यदि हमने किसी व्यापार में अत्यधिक प्रगति की है तो वह भाषणों में ही की है।

हमने पहले ही इस कार्य के लिये व्यवस्था कर दी है। आकाशवाणी विभाग और संगीत नाटक अकादमी परिरक्षण करने लायक चीजों को बचाये रखने के लिये प्रयत्नशील हैं।

मैं सदस्यों का आभारी होऊंगा यदि वे कोई नई चीज हमारे ध्यान में लायें। उदाहरणार्थ मैं श्री भट्टाचार्य का आभारी हूं जिन्होंने मेसर्स एच० बोस एन्ड सन्स के यहां विद्यमान रिकार्डों का उल्लेख किया। उन्होंने मैसूर के किसी परिवार के पास विद्यमान रिकार्डों का भी उल्लेख किया है। श्री कामत ने यंग इंडिया कम्पनी के पास उपलब्ध कुछ रिकार्डों का उल्लेख किया है। हम इस बात

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हुमायून् कबिर]

का प्रयत्न करेंगे कि आकाशवाणी विभाग और संगीत नाटक अकादमी जो कुछ परिरक्षण करने योग्य है उसका परिरक्षण करे ।

अतः यह प्रारूप विधेयक कानूनन अवांछनीय है क्योंकि यह राज्य विधान मण्डलों के क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है । यह प्रशासनीय रूप से अव्यावहारिक है क्योंकि इसके कारण पुस्तकालयों में इन रिकार्डों द्वारा अनावश्यक रूप से स्थान घेरा जायगा । यह इसलिये भी अनावश्यक है कि यह कार्य पहले ही से किया जा रहा है । हम आपको विश्वास दिलाते हैं । कि हम इस बात के लिये हर प्रकार से प्रयास करेंगे कि परिरक्षण की जाने वाली मूल्यवान चीज नष्ट न हो । इन परिस्थितियों में मैं खेद के साथ विधेयक का विरोध करता हूं ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** ('रायगंज) : रिकार्डों को नष्ट होने से बचाने के लिये वह क्या कर रहे हैं ।

†**श्री हुमायून् कबिर** : मैं पहले ही कह चुका हूं कि संगीत नाटक अकादमी और आकाशवाणी इस संबंध में कार्य कर रहे हैं ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : यह स्वैच्छिक है । कोई भी ग्रामोफोन कम्पनी कल श्री हुमायून् कबिर के रिकार्ड नष्ट कर सकती है ।

†**श्री हुमायून् कबिर** : करने दीजिये ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : मेरा कहना है कि 'पुस्तक, शब्द का निर्वचन, जैसा कि संशोधक विधेयक में दिया गया है, बिल्कुल ठीक है और संविधान के दायरे के अन्दर है । इसलिए संसद् की विधायिनी शक्ति के अन्दर है । सार्वजनिक पुस्तकालयों को पुस्तक देने की व्यवस्था है । तो क्या यह संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं करता ? यदि ऐसा हो सकता है, तो पुस्तकालयों को ग्रामोफोन रिकार्ड भी दिये जा सकते हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या वे विधेयक को वापस लेना चाहते हैं ?

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : मैं इस पर मतदान नहीं चाहता । मैं आप की अनुमति से इसे वापस लेता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या उन्हें सदन की ओर से विधेयक को वापस लेने की अनमति है ?

†**कुछ माननीय सदस्य** : नहीं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** । तो में इसे मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

> "कि पुस्तकों और समाचारपत्रों का दिया जाना (सार्वजनिक पुस्तकालय) में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद ३६८ का संशोधन)

†**श्री हरिविष्णु कामत** (होशंगाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय"

मेरे इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि भविष्य में संविधान का संशोधन तभी हो सकेगा, जब कि यह राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक हो और गटबन्दी के हित में न हो सकेगी ।

संविधान देश की आधारभूत विधि है और सत्तारूढ़ दल को उस में संकुचित पक्षपातपूर्ण अभिप्राय की पूर्ति के लिये उसमें परिवर्तन या रूपभेद नहीं करने देना चाहिये । यह इस समय और भी आवश्यक है क्यों कि देश में संगठित विरोधी पक्ष उत्पन्न हो रहा है ।

[डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुईं]

हमारा संविधान अधिकतर ब्रिटेन के अलिखित संविधान और अमेरिका के लिखित संविधान के नमूने पर है, यद्यपि अन्य संविधानों का भी इस पर प्रभाव है । हमारे संविधान में १३ वर्षों में १६ संशोधन हो चुके हैं और सत्रहवां गणराज्य के चौदहवें वर्ष में होने वाला है । मेरे विधेयक का उद्देश्य संशोधनों को बन्द करना नहीं है बल्कि इसे कठिन बनना है ।

संविधान सभा में मैंने संविधान के संशोधन के बारे में दो सुझाव दिये थे, किन्तु उन्हें माना नहीं गया था और अनुच्छेद ३६८ उसी रूप में पारित किया गया था, जिस में यह अब है

पंडित नेहरू ने अनुच्छेद ३०४ के बारे में एक संशोधन दिया था किन्तु यह प्रस्तावित नहीं किया गया था ।

मुझे इस में संदेह नहीं है कि यदि संशोधन राष्ट्रीय हित में हो और इस को बढ़ाता है, तो हम अवश्य इस का समर्थन करेंगे । सत्तारूढ़ दल की कठिनाइयां बढ़ती जा रही है और हो सकता है कि वह तो तिहाई के बहुमत से संविधान के संशोधन पारित करवा दें ।

मेरे विधेयक के द्वारा साधारण बहुमत दो तिहाई कर दिया गया है और दो तिहाई बहुमत को तीन चौथाई कर दिया गया है, अर्थात् जब तक ऐसे विधेयक को संसद के ३६७ सदस्यों का बहुमत प्राप्त न हो, यह पारित नहीं हो सकेगा, इस समय ५१० के सदन में आधे सदस्यों की संख्या २५४ या २५५ बनती है । मुझे राज्य-सभा के बारे में स्थिति मालूम नहीं है । संविधान में संसोधन करने वाले विधेयक को उपस्थित सदस्यों में से तीन चौथाई का बहुमत भी प्राप्त होना आवश्यक होना चाहिये । इस संशोधन से यह प्रबन्ध हो जायेगा कि संविधान के संशोधन में सत्तारूढ़ दल को मनमानी करने का अवसर न मिले ।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री प्र० के० देव** (कालाहांडी) : श्री कामत ने एक बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण विधेयक प्रस्तुत किया है, और मुझे आश है कि इसे सदन के दोनों पक्षों का समर्थन प्राप्त होगा । श्री कामत ने कहा है कि भारत के संविधान में पिछले १३ वर्षों में १६ बार संशोधन किया गया है । किन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि किस मामले में वे उन संशोधनों से मतभेद रखते हैं । इस सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि पहले और चौथे संशोधनों से जो हमारे संशोधन के भाग ३ में किये गये हैं,

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्र० के० देव]

हमारे मलभूत अधिकारों पर आघात हुआ है। सरदार पटेल ने आश्वासन दिया था कि भूमि स्वमित्व के अधिकार की रक्षा की जायेगी, किन्तु उसकी पूरी उपेक्षा की गई है। अब संविधान में सत्रहवां संशोधन लाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत सब काश्तकारी अधिकार छीन लिये जायेंगे और इसका परिणाम वास्तव में बेदखली होगा। हमारा संविधान १९५० में बनाया गया था, किन्तु १५ महीनों के अन्दर अन्दर अनुच्छेद १९ और ३१ में संसोधन कर दिया गया। इन संशोधनों का फल यह था कि समाजवादी बेदखली आसान हो गई है और एक साम्यवादी समाज की बुनियाद रख दी गई।

इन सब संशोधनों से हमें बहुत दुख होता है और अब समय आ गया है जब कि हम अपनी विधि ऐसे बनायें कि संविधान का संशोधन बच्चों का खेल बन कर न रह जाय।

यह विधेयक बहुत समय पर आया है और श्री कामत ने ठीक कहा है कि हमारे मूल अधिकारों पर जो आघात हो रहा है, जो कि एक दल के अत्यधिक बहुमत के कारण है, वह बन्द होना चाहियें। इस लिए हम सब के इस विधेयक का समर्थन करना चाहिये।

श्री सरजू पाण्डेय (रसड़ा) : सभानेत्री महोदया, यह जो एमेंडमेंट कांस्टीट्यशन का आया है, इसको देख कर मुझे आश्चर्य हुआ है। मेरी समझ में नहीं आया है कि आखिर इसका मंशा क्या है। मैं समझता हूं कि जैसे जैसे हमारे देश की चेतना बढ़ेगी, वैसे वैसे समय समय पर संविधान में संशोधन भी हम को करने पड़ेंगे। इस वास्ते इस तरह की रोक लगाना कि जब तक तीन चौथाई बहुमत किसी संशोधन के पक्ष में न हो तब तक संविधान में संशोधन न किया जाए, गलत बात होगी और यह नहीं होना चाहिये। जो संविधान बनाये जाते हैं, उनमें समय समय पर संशोधन करने की भी जरूरत पड़ती है। झगड़ा इस बात का नहीं है कि संविधान में क्यों परिवर्तन किया जाता है, झगड़ा इस बात का है कि जो संशोधन किया जाए वह जनता के हित में होना चाहिये। जो कायदे कानून हैं, उनको इस तरह से सुधारा जाना चाहिये जिससे अधिक से अधिक गरीब जनता को लाभ पहुंच सके। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि अगर इस तरह के संशोधन को मान लिया जाए तो बहुत से जो काम हैं, वे रुक जायेंगे। अगर इसको मान लिया जाए तो १७वां संशोधन संविधान का जो आ रहा है, उस में भी रुकावट पैदा होगी।

ताज्जुब की बात है कि इस तरह का संशोधन ऐसे दल की तरफ से आया है जो अपने को अरीबों का हमदर्द और मददगार समझता है। यह बात कतई तौर पर गलत है, जो इस बिल में कही गई है। जिस तरह से समाज में समय समय पर परिवर्तनों की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह से समय के मुताबिक संविधान में भी संशोधन करने की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए कतई तौर पर मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि संविधान के आज तक जितने भी एमेंडमेंट किए गए हैं, वे सब रूलिंग पार्टी की फेवर में किए गए हैं और रूलिंग पार्टी अपनी फेवर में उनको कर लेती है। मैं चाहता हूं कि जब भी कोई एमेंडमेंट किया जाए, शासकीय पार्टी के हित में नहीं बल्कि जनता के हित में किया जाना चाहिये। अगर जनता के हित में इसमें बतदीली की जाती है तो यह अवसर बना रहना चाहिये कि जब जरूरत हो संविधान को दबदील किया जा सके। बहुत सी संविधान में ऐसी बातें हैं जिनसे हमारे देश की जनता को फायदा नहीं होता है। ऐसी चीज़ों को एमेंड करने की जरूरत

पड़ेगी और अगर यह रोक लगा दी जाएगी तो लाजिमी तौर पर उसके रास्ते में बहुत सी अड़चनें पैदा होंगी। किसी भी देश में कोई भी ऐसा संविधान नहीं बनाया जा सका है जो सौ बरस तक वैसा का वैसा कायम रहा हो और उसमें कभी तबदीली करने की जरूरत न पड़ी हो। उस तबदीली को रोकने के लिए ऐसी अगर संविधान में धारायें जोड़ दी जायें तो उससे जनता का हित नहीं होगा।

इन शब्दों के साथ में इस संशोधन का विरोध करता हूं और आशा करता हू कि इस तरह के एमेंडमेंट को प्रेस करके हमारे प्रजा सोशलिस्ट लीडर जनता के अधिकारों को काटेंगे नहीं बल्कि जनता को अवसर देंगे कि वह समय समय पर इस तरह के संशोधन करने की शासन से मांग कर सके जो जनता कि हित में हों और शासन जनता की मांग का आदर करते हुए संविधान में संशोधन प्रस्तावित कर सके।

†**श्री ब० बा० गांधी** (बम्बई मध्य दक्षिण) : श्री कामत ने कहा है कि संविधान के संशोधनों को दलों के हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग किया गया है। किन्तु उन्होंने अपने भाषण में ऐसा कोई उदाहरण नहीं दिया जिसमें ऐसा किया गया हो। मैं समझता हूं कि ऐसा प्रयत्न कभी किया भी नहीं गया।

जहां तक मुझे याद है अमरीकी संविधान में आज तक जो २२ संशोधन हुए हैं, उनमें से ८ या ९ पहले ग्यारह वर्षों में हुए थे। जब इस में स्थिरता आ गई थी, तो संशोधनों की आवश्यकता भी कम हो गई थी।

हमारे संविधान में ऐसे प्रतिबन्ध हैं, जिन के कारण इसे जल्दबाजी से या बिना गम्भीरता के परिवर्तन नहीं किया जा सकता। एक शर्त यह है कि बहुमत दो तिहाई से कम नहीं होना चाहिये। दूसरी यह है कि सदन के आधे से अधिक सदस्य इसका समर्थन करें। इन शर्तों के कारण संविधान के संशोधन को खिलवाड़ नहीं बानाया जा सकता।

इसी कारण हमारे संविधान ने बहुत उचित रूप से काम किया है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : श्री कामत के विधेयक का समर्थन करते हुए, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं संविधान के ऐसे संशोधकों के विरुद्ध नहीं हूं जो देश के सामान्य हित में हों। किन्तु मैंने देखा है कि सत्तारूढ़ दल ने किस तरह अपने बहुमत का लाभ उठा कर संविधान में लोगों की इच्छा के विरुद्ध संशोधन किये हैं। मैं एक उदाहरण दे सकता हूं वह है बेरूवारी को पाकिस्तान के हवाले करने का मामला है, जिसमें समस्त विरोधी दलों के संविधान के संशोधन का विरोध किया था। इसके विरुद्ध न केवल पश्चिम बंगाल में बल्कि सारे देश में आंदोलन था। सरकार का यह निर्णय गलत था, फिर भी बहुमत के कारण संशोधन कर दिया गया था।

यदि श्री कामत का सुझाव मान लिया जाता है अर्थात संविधान के संशोधन के लिए तीन चौथाई बहुमत होना चाहिये, तो इस से संसद में स्तर बढ़ेगा। दूसरे विरोधी दल के सदस्यों को भी अपनी राय प्रकट करने का मौका मिल सकेगा। इस समय सत्तारूढ़ दल अपने अत्यधिक बहुमत से जो भी चाहे कर सकता है, और जैसा भी संशोधन चाहे कर सकता है। मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं जिनमें बिल्कुल गलत संशोधन किये गये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० मो० बनर्जी]

उच्चतम न्यायालय में बहुत से प्रश्न उठाये गये हैं, किन्तु कोई उन पर ध्यान नहीं देता मैं जानता हूं कि यदि भारत की प्रतिरक्षा नियम उस न्यायालय द्वारा रद्द कर दिये जायें, तो सरकार संविधान में संशोधन करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत कर देगी, जिस के द्वारा सत्तारूढ़ दल के हितों की रक्षा की जायेगी। इसी कारण मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यदि बहुमत तीन-चौथाई निर्धारित किया जाये, तो विरोधी पक्ष भी अपनी राय प्रकट कर सकेगा। मैं आशा करता हूं कि सदन इस विधेयक को स्वीकार कर लेगा और सत्तारूढ़ दल को संविधान में अनुचित संशोधन करके लाभ उठाने से रोकेगा।

†**डा० मा० श्री० अणे** (नागपुर) : श्री कामत ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, उस पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। उन के संशोधन द्वारा संविधान में संशोधन करना और कठिन बनाया जा सकेगा? इसके अतिरिक्त आजकल यह प्रवृत्ति है कि जब भी स्थिति मुश्किल हो, तो संविधान के संशोधन का सहारा लिया जाता है। देखा गया है कि हमने एक वर्ष में एक से अधिक बार संविधान में संशोधन किया है। यह इस के प्रति हमारा आदर प्रकट करता है। जब भी सरकार के लिए यह आसान हो, वह संविधान में संशोधन ले आती है। मैं पूछना चाहता हूं कि स्वयं संविधान में ही इस के संशोधन के उपबन्ध क्यों न रखे गये हैं? उन के साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिये। यद्यपि संविधान में कहा गया है कि बहुमत को इस में संशोधन करने का अधिकार है, फिर भी आशय यह प्रतीत होता है कि सरकार इस में आसानी से छेड़छाड़ न करे। इतना ही नहीं, संविधान के निर्वचन का अधिकार उच्चतम न्यायालय को दिया गया है। सरकार उस न्यायालय के निर्वचन के अनुसार प्रशासन चलाने की बजाये संविधान में संशोधन करने का प्रयत्न करती है, ताकि वह इसे अपने आदर्शों के अनुसार बना सके। हम यही कुछ देख रहे हैं।

श्री कामत चाहते हैं कि संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि आखिर इसका उद्देश्य लोगों की भलाई है, किन्तु वे चाहते हैं कि संशोधन करने के अवसर कम से कम होने चाहियें। मैं समझता हूं कि यदि विधेयक को राय जानने के लिए परिचालित किया जाये, तो अच्छा होगा, ताकि लोगों को इसके उपबन्धों पर विचार करने का मौका मिल सके इस के बाद सदन यह विचार कर सकता है कि संशोधन स्वीकार किये जायें या नहीं। मैं समझता हूं कि वर्तमान उपबन्धों को कुछ कड़ा बनाना आश्वश्यक है, किन्तु लोगों को इन पर विचार करने के लिए उचित समय दिया जाये।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : जिस पक्ष की ओर से यह विधेयक आया है, वह आश्चर्य की बात है। आज हम एक प्रगतिशील समाज की बात करते हैं और हमारे कामत साहब उस प्रगतिशील में और भी प्रगतिशील होने का दावा करते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि इस विधेयक के द्वारा वह उस प्रगति को रोक र हैं।

हमने संविधान बनाया और इसमें परिवर्तन करने का अधिकार भी दिया। हमारे पूज्य अणे साहब ने कहा कि हम संविधान की यहां आकर शपथ लेते हैं और कहते हैं कि हम संविधान का आदर करेंगे, लेकिन साथ ही हम संविधान में परिवर्तन कर देते हैं। मैं अदब से कहूंगा कि उसी संविधान ने संविधान में परिवर्तन करने का अधिकार इस सदन को दे रखा है और संविधान का आदर करते हुये ही हम संविधान में परिवर्तन करते हैं। इसलिये जब हम शपथ लेते हैं संविधान का आदर

†मूल अंग्रेजी में

करने की तो उसमें कोई व्यतिक्रम नहीं होता है। इस वास्ते शपथ भी सही है और परिवर्तन भी सही है।

यहां पर यह कहा गया है कि तेरह बरस में हमने सोलह बार संविधान में संशोधन किया है। आज अगर कामत साहब के इस संशोधन को मान लिया जाय तो इसका मतलब होगा कि हम एक बार फिर संविधान में संशोधन कर देंग और जो १७वां संशोधन आ रहा है, वह १८वां संशोधन हो जायेगा और इस तरह से १३ बरस में १८ संशोधन हम संविधान में कर चुकेंगे।

हमारे संविधान का आकार बहुत बड़ा है। बाकी मुल्कों के जो संविधान हैं वे बहुत छोटे हैं अमरीका का या इंग्लैंड का या किसी और देश का जो संविधान है, वह इसके मुकाबले में बहुत छोटा है। हमारा संविधान बहुत लम्बा चौड़ा है और शायद अमरीका के संविधान में या किसी दूसरे मुल्क के संविधान में उतनी धारायें नहीं ह जितनी धारायें हमारे संविधान में हैं। दीवानी से लेकर फौजदारी तक हर तरह का प्राविजन करीब करीब हम ने इस में कर रखा है। फौजदारी में जो मामले होते हैं, उसके बारे में हमने कह रखा है कि कोई भी मुल्जिम चौबीस घंटे से अधिक समय तक पुलिस की हिरासत में नहीं रखा जा सकेगा। सम्मन कैसे सर्व हो, यह भी इस में है। हमारा संविधान बहुत ही विस्तृत है। इसलिये जहां कहीं कमी दिखाई पड़ती है या गड़-बड़ी दिखाई देती है, उसको दुरुस्त करना हमारा कर्त्तव्य हो जाता है।

हम सोशलिस्ट पैटर्न की बात करते हैं। यह जो पैटर्न शब्द है, यह बहुत ही घातक शब्द है। पैटर्न किधर रहेगा, किधर नहीं रहेगा, क्या होगा इसकी परिभाषा अभी तक नहीं हो पाई है। एक समय आ सकता है जब पैटर्न शब्द को निकाल करके, ढांचा शब्द को निकाल करके समाजवाद ही हम करना चाहें तो उस वक्त हम को संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता महसूस होगी। अगर उस वक्त हम ऐसा नहीं कर सके, तो क्या होगा ? समाज को आगे बढ़ाने के लिए, इसको प्रगति के पथ पर ले जाने के लिये, समाजवाद की ओर ले जाने के लिये हमें कभी न कभी परिवर्तन और परिवर्द्धन करना पड़ेगा। हमारे कामत साहब १९ तारीख को या उसके बाद जब बोलेंगे तो बड़े जोरों से हमला करेंगे गवर्नमेंट पर कि उसने ढिलाई दिखाई है और समाजवाद की तरफ देश को नहीं ले गई है, इस काम को उसने तेजी से नहीं किया है और वह देश को समाजवाद की तरफ और भी ज्यादा तेजी से ले जाना चाहेंगे। उनका संशोधन अगर आज स्वीकृत हो जाए तो संविधान में परिवर्तन नहीं हो सकेगा।

इस में तीन चौथाई मैजोरिटी की बात कही गई है। मैं समझता हूं कि आज रूलिंग पार्टी में क्षमता है कि वह तीन चौथाई मैजोरिटी से किसी चीज को पास करवा सके। लेकिन समय आ सकता है कि किसी रूलिंग पार्टी के पास तीन चौथाई या दो तिहाई मैजोरिटी न हो। हम यह कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हमेशा ही किसी रूलिंग पार्टी की दो तिहाई या तीन चौथाई मैजोरिटी बनी ही रहेगी। हो सकता है कि रूलिंग पार्टी की और विरोधी पक्ष की सदस्य संख्या में बहुत कम अन्तर रह जाये। उस समय अगर संविधान में संशोधन की आवश्यकता महसूस हुई तो बड़ी दिक्कतें होंगी। इसलिये अपोजीशन वाले अमेंडमेंट के मार्ग में अड़ंगा लगायेंगे। आपने संविधान सभा में जब इस विषय पर विचार हो रहा था तो अपना संशोधन पेश किया था। उस समय प्रसीडेंट ने आपसे प्रश्न किया था। किताब आपके सामने है। आपने ६ महीने वाला संशोधन रखा था। प्रसीडेंट साहब ने आपसे पूछा था कि अगर आपका संशोधन मान लिया गया तो इस तरह आप संविधान के परिवर्तन में रुकावट डालेंगे और इस संविधान को रिजिड बनायेंगे। उस समय आपने जवाब दिया था कि मैं इसको रिजिड करना नहीं चाहता। उस समय आप की यह इच्छा थी कि संविधान में परिवर्तन हुआ करे। इसलिये आपने जो संशोधन रखे थे उनको वापस ले लिया और जो ६ महीने वाला संशोधन था उस पर भी जोर नहीं दिया। उसके बाद जो दूसरे वक्ता बोले उन्होंने कहा कि

संविधान में परिवर्तन की गुंजाइश होनी चाहिये। दो तिहाई की मैजोरिटी को इकट्ठा करने में ही काफी जोर पड़ता है।

सदन में आज दूसरे भाई बनर्जी साहब बोले। उन्होंने संविधान के एक परिवर्तन का उदाहरण दिया। यह परिवर्तन बेरूबाड़ी के संबंध में था। उन्होंने कहा कि इसका बहुत लोगों ने विरोध किया। लेकिन बावजूद इस विरोध के वह पास हुआ। इसमें दो राष्ट्रों के संबंध को सही तरीके से कायम करने के लिये एक व्यवस्था करनी पड़ी थी। पाकिस्तान हिन्दुस्तान का सीमा विवाद था। एक दो गांवों को देकर उस विवाद को हल करने की बात थी। उस समय यह अनुभव करते हुए भी कि हमारे हृदय का एक टुकड़ा जा रहा है किसी ने उसके विरोध में वोट नहीं दिया।

संविधान के जितने भी संशोधन हुये हैं करीब करीब सब सर्व सम्मति से हुये हैं। एसा एक भी उदाहरण नहीं है जब कि रुलिंग पार्टी ने अपोजीशन को सम्मति के विरोध में अपनी दो तिहाई मैजारिटी का फायदा उठाकर कोई संशोधन किया हो। अगर ऐसा किया गया होता तब तो आक्षेप हो सकता था। लेकिन एसा नहीं किया गया। हर बार सर्वसम्मति से परिवर्तन किया गया है। केवल कागज में चूंकि यह लिखना जरूरी है इसलिये लिखा जाता है कि दो तिहाई मैजारिटी ने और उपस्थित संख्या की मैजारिटी ने उसको पास किया और इसीलिये डिवीजन कराया जाता है। कभी किसी डिवीजन में एक दो सदस्य ने विरोध में वोट दिया हो, अन्यथा सारे परिवर्तन सर्व-सम्मति से हुये हैं। इसलिये मैं अपने भाई श्री कामथ से अनुरोध करूंगा कि वह अपना बिल वापस ले लें। स्वतंत्र पार्टी की तरफ से यह आता तब तो समझ में आ सकता था क्योंकि वह १७ वें अमेंड-मेंट का जोरों से विरोध करने वाले हैं। वह इसमें पहले से ही अडंगा डालने की सोचे सकते थे। लेकिन हो सकता है कि कामथ साहब की उनसे कुछ साठ गांठ हो गयी हो इसीलिये उनके इस बिल का स्वतंत्र पार्टी के पूर्व नेता ने जोरों से समर्थन किया है और कहा कि संविधान में परिवर्तन करके देश को कम्युनिज्म की तरफ ले जाया जा रहा है। अगर देश आगे बढ़ रहा है और गरीबों और धनियों का अन्तर कम हो रहा है तो इसमें तो समाज का हित ही हो रहा है।

मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं इन शब्दों के साथ कामथ साहब से अनुरोध करूंगा कि उनकी ओर से इस संशोधन का देना अच्छा नहीं मालूम देता। वे इसको वापस ले लें और अगर यह आना ही है तो जनसंघ या स्वतंत्र पार्टी की तरफ से आवे। तब तो बात समझ में आ सकती है।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : इस ओर के बहुमत की ओर बार बार निदेश किया गया है। मैं माननीय मित्रों से पूछना चाहूंगा कि क्या बहुमत में होना कोई अपराध है? क्या संविधान के अन्तर्गत किसी दल का संसद में बहुमत होना अपराध है? किसी न किसी दल का बहुमत होना तो अनिवार्य है।

श्री कामत का यह कहना ठीक है कि संविधान को बिना गम्भीर कारण के संशोधित न किया जाये। किन्तु हमारे संविधान में चूंकि प्रशासनीय विस्तार के बहुत से मामले दिये गये हैं, इस लिये इसमें संशोधन करना अनिवार्य हो जाता है, इसलिये नहीं कि बहुमत जानबूझ कर संशोधन करना चाहता है।

उन्हें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि जितने भी संशोधन अब तक हुये हैं वे सर्वसम्मति से पारित किये गये हैं। संशोधन आये हैं और आते रहेंगे। यदि ऐसा कोई मामला हुआ है, जिस में संशोधन संविधान के प्रयोजनों के ही विरूद्ध हो, तो बताया जा सकता किन्तु यह कहने का कोई अर्थ नहीं है कि १३ वर्षों में १६ संशोधन हुये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री बड़े (खारगोन) : माननीया सभापति महोदया, अभी मैंने कांग्रेस के दोनों साथियों के भाषण सुने और साथ साथ मैं स्वतंत्र पार्टी के और कामथ साहब के भाषण भी सुने। जब भट्टाचार्य जी और दूसरे आनरेबिल मेम्बर बोले तो ऐसा मालूम पड़ा कि कामथ साहब के इस छोटे से बिल से उनका इन्द्रासन हिल गया है, और जब इन्द्रासन हिल गया और उसको धक्का पहुंचा तो दोनों ने अपनी अपनी आवाज उठायी कि कामथ साहब तो प्रोग्रेसिव हैं, उनकी तरफ से यह संशोधन नहीं आना चाहिये था। यह तो जनसंघ या स्वतंत्र पार्टी की तरफ से आता तो ठीक था।

मैं कहता हूं कि जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी के मेम्बर भी तो चुन कर आये हैं। जनता कहती है कि एक तरफ तो आप संविधान में संशोधन लाते हो और दूसरी ओर यह भी कहते हो कि यह किताब बाइबिल, कुरान और गीता के समान पवित्र है। मैंने देखा है कि एक जगह किसी ने कहा है कि हमारा संविधान क्या है, कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा लेकर भानमती ने कुनवा जोड़ा है। दुनिया के सारे संविधान लेकर एक संविधान बना लिया है और परिस्थिति देश की देखी नहीं। उस समय हम ने भी यह समझ कर स्वीकार कर लिया और उसके अनुसार ही हमने शपथ ले ली कि शासन अपने व्हिम्स के अनुसार उसको चेंज नहीं करेगा क्योंकि वह उसको एक पवित्र किताब मानता है। लेकिन हमने देखा कि जब एक दो बार सुप्रीम कोर्ट ने एक आथ जजमेंट सरकार के खिलाफ दे दिया तो फौरन संविधान में परिवर्तन किया गया या जब उनके स्वार्थों को धक्का लगने लगा तो झट कांस्टीट्यूशन में संशोधन कर दिया। और अपनी मैजारिटी के बल पर उसको पास करा लिया। जनता की आवाज को सुना नहीं गया। जनता को पूछा तक नहीं गया।

हम देखते हैं कि लेंग्वेज बिल पर अमेंडमेंट तो नहीं हुआ लेकिन हमने देखा कि कांस्टीट्यूशन में उसकी बाबत जो लिखा है उसको नहीं माना गया है।

सभापति महोदया, मुझे तो सत्तारूढ़ दल द्वारा बारबार संविधान में संशोधन करना वैसा ही प्रतीत होता है जैसे एक स्वार्थी व प्रसादी भक्त होता है। वह औरों को तो यही उपदेश देता है कि यह बड़ी पवित्र मूर्त्ति है इसकी पूजा करो। इसका सत्कार करना चाहिये अपमान नहीं करना चाहिये लेकिन स्वयं उसके विपरीत आचरण करता है। वह पाखंडी पुजारी भक्तजनों के चले जाने के बाद मूर्ति का प्रसाद स्वयं खा लेता है या उस मूर्ति का ऐसा उपयोग करता है जो उसके स्वार्थ के लिये होता है। संविधान के साथ यह सत्तारूढ़ दल उसी प्रकार का व्यवहार कर रहा है। कांस्टीट्यूशन में बार बार अमेंडमेंट होने से जनता के मन में एक शंका पैदा हो गई है। १७वां कांस्टीट्यूशन अमैंडमैंट बिल जब लाने को कहा गया तब जनता की आंखें खुल गयीं। लोगों ने कहा कि आखिर यह संविधान के साथ क्या मखौल चल रहा है कि एक एक साल में दो, दो और तीन तीन अमैंडमैंट होते हैं। कहा उनकी ओर से यह जाता है कि कांस्टीट्यूशन एक पवित्र किताब है और देशवासियों को इसका आदर व सम्मान करना चाहिये लेकिन खुद ऐसा आचरण करते हैं। मालूम तो ऐसा देता है जैसे यह म्युनिसिपल ला हो या कोई तोता मैना का किस्सा हो कि उसमें जैसा दिल चाहे कहानी एक के बाद एक जोड़ते चले जायें।

एक जमाना वह भी था जब देश के नेता लोग और उनके साथ जनता भी देश के लिये मर मिटने के लिये तैयार रहती थी। लेकिन हमारे देखने में आता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देशभक्ति व कुर्बानी करने की वह भावना लुप्त प्रायः हो गई न है। अब हम देखते हैं मैं कि वे नेता जोकि पहले देश के लिये मर मिटने और सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहते थे आपस में अब जानवरों की तरह से लड़ते हैं। वे सब अपने स्वार्थ साधन के लिये चिंतित रहते हैं। नेता लोग

स्वार्थ की खातिर जानवरों की तरह आपस में लड़ने लगे हैं और जरूरत के मुताबिक अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिये जबतब कांस्टीट्यूशन में अमेंडमैंट ले आते हैं। यह केवल हम लोग ही अनुभव नहीं कर रहे हैं बल्कि गांवों के लोग भी और साधारण जनता भी ऐसा अनुभव करने लगी है कि नेता लोगों को केवल अपने स्वार्थ की चिंता है।

इस कांस्टीट्यूशन को अमैंड करते वक्त यह देखने की जरूरत नहीं है कि यह रिजिड है या फलैक्सिबिल है। हमारे कुछ वक्ताओं ने कह दिया कि यह रिजिड हो जाता है मैं कहता हूं कि नहीं यह फलैक्सेबिल हो जाता है। फ्लैक्सेबिल कांस्टीट्यूशन वही होता है कि जो कांस्टीट्यूशन बनाने वाली बौडी है वही कांस्टीट्यूशन को अमैंड करने वाली बौडी हो तो उसको फ्लैक्सेबिल कहते हैं। मेरे पास दी कांस्टीट्यूशनल ला औफ ग्रेट ब्रिटेन ए ड दी कौमनवैल्थ बाई हुड फिलिप्स है। उस किताब के पेज २० पर फलैक्सेबिल ला क्या है उसका विश्लेषण किया हुआ है। उसमें यह बतलाया गया है कि वौट इज फ्लैक्सेबिल ला ? मैं उसमें से पढ़ कर सुनाता हूं :—

"ब्रिटिश संविधान में आसानी से परिवतन किया जा सकता है। संविधान में संशोधन वाले विधेयक और अन्य विधेयकों में कोई अन्तर नहीं है।"

इस प्रकार से इस पार्लियामैंट में कांस्टीट्यूशन में तबदीली लाने के लिये दो तिहाई की मेजारिटी की व्यवस्था की गई है। यदि वही बौडी जो साधारण ला बनाती हो वही बौडी अगर कांस्टीट्यूशन चैंज करती हो तो फिर उसको फ्लैक्सेबिल ला कहा जाता है। उसको रिजिड ला नहीं कहा जाता है। यदि इस बिल से इस पार्लियामैंट को यह सत्ता दी हुई है कि इतनी मेजारिटी होने पर ही कांस्टीट्यूशन में तबदीली की जासकेगी अगर इसको अमैंड कर दिया जाता है तो दैट कांस्टीट्यूशन बिल नौट विकम फ्लैक्सेबिल। लेकिन अगर कांस्टीट्यूशन में यह प्रोवाइड कर दिया जाय कि बजाय दो तिहाई के तीन चौथाई मेजारिटी कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट लाने के लिये जरूरी होनी चाहिय तो वह कभी रिजिड नहीं हो सकता है।

इसके बाद मेरा यह कहना है कि लोगों ने कहा है कि कांस्टीट्यूशनल ला को पहले ही कम्पैरेटिवली रिजिड कर रक्खा है। "रिजिड" और "फ्लैक्सेबिल" में कोई अन्तर नहीं है। कांस्टीट्यूशनल ला में इस प्रकार की रिजिड बातें नहीं हैं। मैं सदन का थोड़ा सा समय चाहूंगा। इसी किताब के पेज ५ पर फलैक्सेबुल और रिजिड कांस्टीट्यूशन को डिफाइन किया गया है।

पृष्ठ ५ में बताया गया है कि संशोधन किस प्रकार किए जाते हैं।

"यहां संविधान 'रिजिड' होता है वहां कुछ कानूनों को बदलने के लिये विशेष प्रक्रिया होती है।'

यह जो अमैंडमैंट आपने दिया हुआ यह अमैंडमैंट इसको बिलकुल इनडोर्स करता है। मैं अपने उन माननीय मित्रों से जो श्री कामथ के अमैंडमैंट से सहमत नहीं हैं पूछना चाहूंगा कि क्या अमरीका का कांस्टीट्यूशन पिछड़ा हुआ है या वे लोग हमारी अपेक्षा पिछड़े हुये हैं ? दरअसल बात यह है कि वे लोग अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिये और झूठी नीति को सपोर्ट करने के लिये जसे भीष्म व कर्ण आदि महारथी कौरवों के ऐक्शन को सपोट करने के लिय आर्गुमैंट दिया करते थे उसी तरह के अमर्गूमैंट आज सत्ताधारी दल के लोग दे रहे हैं। जब मैं कौरवों में भीष्म और कर्ण के समान इन लोगों को अपने गलत एक्शंस और स्वाथ सिद्धि के लिये कांस्टीट्यूशन में अमैं ामैंट करने के लिये मौजूद दो तिहाई मेजारिटी को घटाने और कोरम की शर्त ढीली करने की बात कहते सुनता हूं तो मुझ बड़ा दुःख होता है। चूंकि अपोजीशन यहां पर मजबूत नहीं है, अपोजीशन में ज्यादा

मैम्बस नहीं हैं इसलिये शासक दल के लोग और भी मनमानी करते रहते हैं। दरअसल देखा जाये तो यहां पर डमोक्रसी वास्तव में है ही नहीं महज डमोक्रसी का एक पाखंड मात्र है।

"लोकतंत्र का बहुमत जवाहरलाल की जेब में है"। जवाहरलाल नेहरू जैसा चाहते हैं वैसा काम करवा लेते हैं। आज कांस्टीट्यूशन में अमैंडमैंट करने के लिये श्री कामत जो अपना एक अमैंडमैंट लाये हैं मैं समझता हूं कि वह बहुत उचित है और मैं उसका पूरी तरह समर्थन करता हूं।

इसके साथ ही मैं तो कहना चाहूंगा कि आज जबकि अपोजीशन स्ट्रौंग नहीं है और जब तक यहां पर अपोजीशनस्ट्रौंग नहीं होता है तब तक कांस्टीट्यूशन में कोई तबदीली करने से पहले सत्तारूढ़ दल उसके लिये एलैक्टोरेट का रैफरेंडम कराये। इन शब्दों के साथ मैं श्री कामथ के अमैंडमैंट बिल का समथन करता हूं।

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन) : सभापति महोदया, अभी जो उद्देश्य वास्तव में श्री कामथ का कांस्टीट्यूशन में अमैंडमैंट करने के लिय अपने इस बिल को पेश करने का है मेरी समझ में वह ठीक तरह से आया नहीं है। मैं समझता हूं कि उनका इसको लाने में एक खास उद्देश्य यह है कि किसी तरीके से एक डैडलौक क्रीएट किया जाय। इस बिल को वह पास करा कर एक बाधा खड़ी कर देना चाहते हैं। अब गवर्नमेंट के लिये कांस्टीट्यूशन में अमैंडमैंट करने के वास्ते जो सुविधा रक्खी हुई है ताकि जहां आवश्यक हो वहां सहूलियत से संविधान में संशोधन हो जाये उसमें वह इस तरह से एक रुकावट डालना चाहते हैं। जैसा कि विरोधी दलों की एक आमतौर पर नीति होती है सिवाय उस नीति को प्राप्त करने के लिये और उसको आगे काम में लाने के लिये इस अमैंडमैंट बिल को रखने में उनका उद्देश्य हो सकता है और दूसरा कोई नहीं हो सकता है।

काफी यह कहा जाता है कि साहब दूसरे देशों में भी संविधान है। अमरीका का हवाला दिया गया लेकिन अमरीका का हवाला जैसा कि मेरे एक मित्र ने दिया तो अमरीका का एक छोटा सा संविधान है और थोड़े से आर्टिकिल्स हैं जोकि एक पेज में आ सकते हैं। उसके मुकाबले में हमारे देश का संविधान कहीं अधिक बृहद ग्रंथ के रूप में विद्यमान है जिसमें कि सब तरह की व्यवस्था की गई है। जब हमारे यहां संविधान बनाने का कार्य आरम्भ हुआ तो दुनिया भर के जो भी अच्छे अच्छे देश हैं उनके संविधानों को लेकर हमारे विधान शास्त्रियों ने इस देश का संविधान तैयार किया। इसलिये यह बिलकुल स्पष्ट है कि जहां इतनी बातों का समावेश किया जाता है वहां कुछ गलतियां भी रह सकती हैं। इसलिये अगर उनकी दुरुस्ती की जाती है तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिये और यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिये कि इस तरह से रुकावट डालने की चेष्टा की जाय। मैं नहीं समझता कि इस तरह से रुकावट डालना देश के हित में है। इस संशोधन के पक्ष में जो तर्क दिया गया है, वह गलत साबित हो सकता है। ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो सकता है कि देश हित में संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता महसस हो और अगर उस समय यह न हो सका, तो क्या होगा, इस पर भी विचार किया जाना चाहिये। यह कहना कि स्टीम रोलर मैजोरिटी है, ब्रूट मैजोरिटी है, कोई अथ नहीं रखता है और इस प्रकार के शब्द प्रयोग करके कोई मतलब सिद्ध नहीं हो सकता है। माननीय सदस्य ने यह नहीं बताया है कि कौन सा कांस्टीट्यूशन का ऐसा अमैंडमैंट किया गया है जो जनहित के विरुद्ध था....

श्री हरि विष्णु कामत : जवाब मैं बताऊंगा।

श्री राधेलाल व्यास : बाद में बताने से क्या होता है, आपको चाहिये था कि आप पहले बताते। अगर पहले बताया होता तो यह बात कोई माने रखती।

पहला कांस्टीट्यूशन में एमेंडमेंट इसलिये करने की जरूरत महसूस हुई थी कि हमारे समाज में शिक्षा की दृष्टि से या समाज की स्थिति की दृष्टि से कुछ ऐसे पिछड़े हुये वर्ग थे, जिनको आगे

[श्री राधेलाल व्यास]

लाना जरूरी था। कांस्टीट्यूशन जब बनाया गया तो उसमें यह कहा गया था कि पिछड़े वर्गों को आगे लाया जायेगा, उनको बराबरी का स्थान दिया जायेगा, उनको तरक्की करने के अवसर प्रदान किये जायेंगे। उनको समान दर्जा देना, कांस्टीट्यूशन की मूल आत्मा थी। अगर इस काम में रुकावट आती है, कोई भी आती है तो उसको दूर करने के लियक्या कांस्टीट्यूशन को एमेंड नहीं किया जाना चाहिये था, क्या उसमें संशोधन नहीं किया जाना चाहिये था ? इस काम में जो रुकावट पैदा हो रही थीं उनको दूर करने के लिये अगर कोई एमेंडमेंट लाया गया, तो क्या इसका यह अर्थ था कि वह गलत काम था और क्या मेरे माननीय मित्र उससे इन्कार कर सकते हैं ? क्या वह कह सकते हैं कि वह पीछे ले जाने वाला कदम था ?

दूसरा एमेंडमेंट आर्टिकल ५१ का था। पहले यह था कि साढ़े सात लाख आदमियों से कम पर एक आदमी नहीं चुना जायेगा। इस आबादी से कम पर भी कोई चुन कर आ सके, यह व्यवस्था उसमें की गई थी। उस वक्त दिल्ली स्टेट बनी तथा दूसरी स्टेट्स बनीं और यह जरूरी था कि उन का प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट में हो और अगर साढ़े सात लाख वाली बात को ही रहने दिया जाता तो कुछ ऐसी स्टेट्स हो सकती थीं जिनका प्रतिनिधित्व यहां पर नहीं हो सकता था। इसलिये क्या यह जरूरी नहीं था कि लोगों का समुचित प्रतिनिधित्व इस हाउस में हो, इसके लिये व्यवस्था की जाये और अगर संविधान में संशोधन करने की जरूरत हो, तो वैसा भी किया जाये और क्या ऐसा करना जनहित में नहीं था ? ऐसा करके क्या कांस्टीट्यूशन की हत्या हुई ? क्या ऐसा करके ब्रूट मैजोरिटी ने लाभ उठाया या अपना प्रभाव जमाने की कोशिश की, अपने अधिकार बढ़ाने की कोशिश की। सत्ता को अपने हाथ में बनाये रखने के लिये ऐसा किया गया, यह नहीं कहा जा सकता है।

श्री स० मो० बनर्जी : बेरूबाड़ी के बारे में क्या किया ?

श्री राधेलाल व्यास : आप खामोश रहें, मेरी बात को सुन तो लें। आप काफी कह चुके हैं।

तीसरा जो एमेंडमेंट हुआ वह शैड्यूल में एन्टरी नम्बर ३, लिस्ट नम्बर ३ का था। उसमें कुछ आइटम्स ऐसी बढ़ाई गईं जिनके बारे में कानून बनाने का अधिकार होना चाहिये। उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जो बड़ी भारी गलत कही जा सकती हो या जिससे लोगों के अधिकार पर बड़ा भारी आघात पहुंचा हो।

उसके बाद एक एमेंडमेंट जायदादे हासिल करने के बारे में हुआ। अलग अलग स्टेट्स में जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिये कदम उठाये गये थे।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

कुछ की प्रापर्टी को लेना था और नय समाज की रचना करने के लिय तथा असमानता को दूर करने के लिय यह जरूरी था। कुछ फैसले हाई कोर्ट के इस तरह के हुये थे जिसकी वजह से कुछ दुरुस्ती करना आवश्यक हो गया था, बड़ा जरूरी हो गया था। इस वास्ते यह जो चौथा एमेंडमेंट था, इसका उद्देश्य भी एक कदम और आगे बढ़ाना ही था, पीछे हटाना नहीं। कतिपय तत्वों को छोड़ कर बाकी सभी ने उसमें हमारा साथ दिया था।

बेरूबाड़ी की बात भी यहां आई थी। पाकिस्तान के साथ हमारा कुछ समझौता हुआ था, लेन देन हुआ था और उसको भी इस सदन ने मान्य किया। यह जरूर है कि कुछ भाई उससे सहमत

नहीं थे, लेकिन अधिकतर सहमत थे। अधिकतर माननीय सदस्यों की यह मान्यता थी कि वह ठीक है और अगर वह ठीक था तो उस पर कांस्टीट्यूशन को एमेंड किये बगैर कैसे अमल किया जा सकता था। इस वास्ते कांस्टीट्यूशन को एमेंड करने के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं था।

इसी तरह से दादरा नगर हवली इत्यादि को क्या हिन्दुस्तान में नहीं मिलाया जाना चाहिये था और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये क्या कांस्टीट्यूशन को एमेंड नहीं किया जाना चाहिये था।

ग्यारहवां एमेंडमेंट इलैक्टोरल कालेज में कोई वैकेंसी खाली होने के बारे में था और उसमें कहा गया था कि जो इलैक्शन होगा, उस पर आपत्ति नहीं की जा सकेगी। क्या यह एमेंडमेंट नहीं लाया जाना चाहिये था ?

इसी तरह से क्या गोआ, दमन और दीव को मिलाने के लिये कांस्टीट्यूशन को एमेंड नहीं किया जाना चाहिये था ?

नागालैंड की जो स्टेट बनाई गई और उसके लिये अलग से जो शासन व्यवस्था कायम की गई, उसके लिये अगर कांस्टीट्यूशन को एमेंड करने की आवश्यकता थी, तो क्या वैसा नहीं किया जाना चाहिये था ? मैं यह कह सकता हूं कि ये सब काम जरूरी थे और इनको करने के लिये एमेंड किया जाना चाहिये था। इसी तरह से पांडिचेरी की बात भी थी।

लैंगुएज बिल जब पिछली बार आया और उसके बाद कांस्टीट्यूशन को जो एमेंड किया गया, तो क्या वैसा नहीं किया जाना चाहिये था। मैं पूछता हूं कि जो रिजर्वेशन पिछड़ वर्गों, शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज को देने की व्यवस्था की गई थी, क्या उसको दस बरस से बढ़ा कर बीस बरस नहीं किया जाना चाहिये था और अगर ऐसा किया गया तो क्या यह गलत कदम था ?

समय समय पर क्यों कांस्टीट्यूशन को हमें एमेंड करना पड़ा, इसके बारे में संक्षेप में मैंने करीब करीब सब बातें आपको बता दी हैं। जब भी कांस्टीट्यूशन को एमेंड किया जाता रहा है, तो देश और समाज को पीछे ले जाने के लिये नहीं किया जाता रहा है, बल्कि देश को आगे बढ़ाने के लिये, उसको आगे ले जाने के लिये किया जाता रहा है। अगर कोई भी कदम उठा है, तो वह आगे की ओर ही उठा है, पीछे की ओर नहीं गया है। अगर दस बार और भी कांस्टीट्यूशन को एमेंड करने की जरूरत पड़े देश को आगे बढ़ाने के लिये तो वैसा भी अवश्य किया जाना चाहिये। आज तक जो कुछ किया गया है, इस उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुये किया गया है और आगे भी ऐसा करने की अगर जरूरत पड़ती है तो वह भी किया जाना चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** विधेयक के लिये निर्धारित समय लगभग खत्म होने वाला है। क्या सभा चाहती है कि समय बढ़ाया जाय ?

†**श्री हरि विष्णु कामत :** नियम २९२ के अन्तर्गत आप एक घंण्टा समय बढ़ा दें।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** इस समय एक घण्टा बढ़ा देंगे। अगले दिन जारी रहेगा। श्री पांडेय।

श्री राम सहाय पाण्डेय (गुना) : संविधान में संशोधन करने का जो संशोधन हमारे माननीय कामत जी ने रखा है, मैं उसका विरोध करता हूं। अगर विरोधी दल सदन में कभी अपने व्यवहार से यह सिद्ध करता कि वह किसी भी पवित्र काम में, किसी भी अच्छे काम में हमारा साथ दे सकता है, तो कई बार हम यह निर्णय कर सकते थे कि दो तिहाई से हट कर तीन चौथाई के प्रस्ताव को मान लेते। लेकिन सदन का यह अनुभव है कि किसी भी कार्य में, चाहे वह संविधान में संशोधन का हो, परिवर्तन का हो, परिवर्द्धन का हो, हमारे साथ वह कभी नहीं रहा है किसी भी अच्छे काम तक में उसने हमारा साथ नहीं दिया है....

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी :** मैं इस पर इतराज करता हूं।

श्री शिव नारायण : बैठिये, बैठिये।

श्री स० मो० बनर्जी : बिल्कुल गलत बात माननीय सदस्य कहते हैं। अगर गलत बात कहेंगे तो जरूरत उस पर एतराज किया जायगा।

श्री रामसहाय पांडेय : मैं कह रहा था कि किसी भी कार्य में जिसको हम राष्ट्रीय कार्य समझते हैं अगर विरोधी पक्ष ने हमारा साथ दिया होता और इस तरह की एक ट्रडीशन इस प्रकार की एक परम्परा विरोधी दल ने कायम की होती कि कम से कम अच्छे किसी काम में वह हमारा साथ देगा तो हम समझ सकते थे कि यह जो संशोधन संविधान का आया है, इसको स्वीकृत कर लिया जाय और दो तिहाई की अपेक्षा अगर तीन चौथाई सदस्यों का सहयोग प्राप्त करने की जरूरत पड़े तो वह भी प्राप्त हो सकेगा। लेकिन विरोधी दल का जो दृष्टिकोण है, जो व्यवहार है, वह ऐसा नहीं रहा है कि जो यह सिद्ध करता कि अच्छ किसी कार्य में भी वह हमारा साथ देगा। इसलिये.....

†**उपाध्यक्ष महोदय :** आप अगले दिन भाषण जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक-सभा शनिवार, १७ अगस्त, १९६३/श्रावाण २६, १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, १६ अगस्त, १९६३ / २५ भावण, १८८५ (शक)]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२९१–३१८
तारांकित प्रश्न संख्या		
६१	बोकारो इस्पात संयंत्र	२९१–९५
६२	सोने के आभूषणों का निर्यात	२९५–९८
६३	जेनेवा के व्यापार तथा प्रशुल्क संबंधी सामान्य करार सम्मेलन	२९९–३०२
६५	मास्को में भारतीय व्यापार प्रदर्शनी	३०२–०५
६६	नया इस्पात कारखाना	३०५–०६
६७	मशीनी औजारों का निर्माण	३०६–०९
६८	रूरकेला इस्पात संयंत्र का विस्तार	३०९–१०
६९	जापान को लौक अस्यक का निर्यात	३१०–१४
७०	रूस को जूतों का निर्यात	३१४–१६
७१	दुगदा में कोयला धोने का कारखाना	३१६–१८
७२	कांडला अबाध व्यापार क्षेत्र	३१८
प्रश्नों के लिखित उत्तर		३१८–६५
तारांकित प्रश्न संख्या		
६४	औद्योगिक प्रशुल्कों की समाप्ति	३१८–१९
७३	गोआ में औद्योगिक निगम	३१९
७४	निर्यात में कमी	३१९–२०
७५	पटसन की वस्तुओं के निर्यात के संबंध में श्रीवास्तव समिति	३२०
७६	कैमरे बनाने का कारखाना	३२०
७७	मध्य प्रदेश में इस्पात परियोजना	३२१
७८	आयात की गई मोटरगाड़ियों की राज्य व्यापार निगम द्वारा बिक्री	३२१–२२

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
७९	कपड़े के मूल्य	३२२
८०	यूरोपीय देशों में चाय केन्द्र	३२२–२३
८१	मध्य प्रदेश में अल्युमिनियम कारखाना	३२३
८२	विदेशों के सप्लाई मिशन	३२३
८३	दक्षिण में इस्पात संयंत्र	३२४
८४	भारी मोटर गाड़ियां	३२४–२५
८६	मध्य प्रदेश में उर्वरक फैक्टरी	३२५
८७	श्रम-विनियमों का उल्लंघन	३२५–२६
८८	दुर्गापुर में धातुमिश्रित इस्पात कारखाना	३२६
८९	लौह संयंत्र	३२६–२७
९०	अखबारी कागज का निर्माण	३२७
अतारांकित प्रश्न संख्या]		
२१२	सहकारी उद्योग	३२७–२८
२१३	दिल्ली में औद्योगिक बस्ती	३२८
२१४	इस्पात उत्पादन का लक्ष्य	३२८
२१५	उत्तर प्रदेश में छोटे पैमाने के और कुटीर उद्योग	३२८–२९
२१६	कपूर	३२९
२१७	थैकरसे कम्पनी मिल्स	३२९–३०
२१८	असम में पटसन का कारखाना और फल परिरक्षण कारखाना	३३०
२१९	उड़ीसा में सीमेंट के कारखाने	३३०–३१
२२०	शक्ति चालित हल	३३१
२२१	कुटीर उद्योग प्रशिक्षक	३३१
२२२	आविष्कार संवर्द्धन बोर्ड	३३१–३२
२२३	टाट की बोरियां	३३२
२२४	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	३३२
२२५	नमक उद्योग	३३२
२२६	उड़ीसा में औद्योगिक बस्तियां	३३३
२२७	उड़ीसा का औद्योगिक विकास	३३३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या		
२२८	थाईलैंड को स्कूटरों का निर्यात	३३३
२२९	शीशा और जस्ते का निक्षेप	३३३–३४
२३०	इस्पात पर नियंत्रण हटाना	३३४
२३१	भारत में निर्मित वस्तुओं की विदेशों में बिक्री	३३४–३५
२३२	मतदान की नई प्रक्रिया	३३५
२३३	कालामस्सरी में एच० एम० टी० यूनिट	३३६
२३४	महेन्द्रगढ़ में कच्चे लोहे का संयंत्र	३३६
२३५	इस्पात की ढली वस्तुओं के लिये लाइसेंस	३३७
२३६	उद्योग मंत्रालय में हिन्दी अन्वीक्षक	३३७–३८
२३७	अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय में हिन्दी अन्वीक्षक	३३८
२३८	मछली का निर्यात	३३८–३९
२३९	संश्लिष्ट पत्थरों का निर्यात	३३९
२४०	बेल्जियम को अयस्कों का निर्यात	३३९–४०
२४१	ढलाई के कारखानों को कच्चे लोहे का आवंटन	३४०–४१
२४२	फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियों का उद्योग	३४१
२४३	निर्यात से आय	३४१
२४४	रूरकेला इस्पात कारखाने का नियंत्रण	३४२
२४५	उर्वरक, पैट्रो-कैमिकल तथा मशीन उद्योग	३४२
२४६	इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात	३४३
२४७	इंडोनेशिया को इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात	३४४
२४८	भारतीय सिले हुये कपड़ों का अदन को निर्यात	३४४
२४९	यूगोस्लाविया में जगरेब मेला	३४४–४५
२५०	रामचन्द्रपुरम् में बिजली उपकरण संयंत्र	३४५
२५१	काष्टिक सोडा	३४५
२५२	भारतीय माल का निर्यात	३४५–४६
२५३	कम्पनियों का परिसमापन	३४६
२५४	येरागुन्टला में सीमेंट का कारखाना	३४६
२५५	कोठागुडियम में उर्वरक कारखाना	३४६–४७
२५६	येल्लान्डेओं में कच्चे लोहे का कारखाना	३४७

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः	
२५७	'जिन्जर' और 'सी-आहलैंड' कपास का न्यूनतम मूल्य	३४७-४८
२५८	औद्योगिक बस्तियां	३४८
२५९	बच्चों का भोजन	३४८-४९
२६०	थर्मामीटर	३४९
२६१	राज्य व्यापार निगम द्वारा मोटरगाड़ियों की बिक्री	३४९-५०
२६२	विदेशी सहयोग करारों संबंधी समिति	३५०-५१
२६३	पंजाब के लिये औद्योगिक एककों का आवंटन	३५१
२६४	अफगानिस्तान के साथ व्यापार	३५१-५२
२६५	मुस्लिम कानून संबंधी जांच समिति	३५२
२६६	सूती कपड़े का व्यापार	३५२
२६७	दिल्ली में औद्योगिक एकक	३५२-५३
२६८	फैडको (प्राइवेट) लिमिटेड	३५३-५४
२६९	दिल्ली में प्रयोग किये जाने वाले बाट	३५४
२७०	रूरकेला उर्वरक संयंत्र	३५४-५५
२७१	हथकरघा और दस्तकारी की वस्तुएं	३५५
२७२	आसाम में उद्योग	३५५-५६
२७३	तम्बाकू का निर्यात	३५६
२७४	छोटे चाय उत्पादकों को ऋण	३५६
२७५	खादी पर छूट	३५६
२७६	उद्योगों पर उपकर	३५७
२७७	केरल में कुटीर उद्योग	३५७
२७८	बंगाल-नागपुर काटन मिल्स	३५७
२७९	मध्य प्रदेश में सीमेंट फैक्टरियां	३५७-५८
२८०	कपास सलाहकार समिति की बैठक	३५८-५९
२८१	अजमेर में घड़ियां बनाने का कारखामा	३५९
२८२	शिमला के पास घड़ियां बनानें का कारखाना	३५९
२८३	बड़ौदा में बाल बेयरिंग का कारखाना	३५९-६०
२८४	कच्चा लोहा	३६०
२८५	आविष्कार करने वाले और डिजाइन बनाने वाले	३६०-६१

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित
प्रश्न संख्या

२८६ निर्यात पर से प्रतिबन्ध हटाना . . ३६१

२८७ पंजाब में भारी इंजीनियरी परयोजनाये . . ३६१–६२

२८८ रेशम बोर्ड ३६२

२८९ पंजाब के लिये कच्चे लोहे का अभ्यंश (कोटा) . ३६२–६३

२९० कोटा में शुद्ध मापक यंत्र बनाने वाला कारखाना . ३६३

२९१ निर्यात ऋण और प्रत्याभूति निगम . . . ३६३

२९२ गोआ में कपड़ा मिलें . . . ३६३–६४

२९३ गोरखपुर में उर्वरक का कारखाना . . . ३६४

२९४ संश्लिष्ट रबड़ ३६४–६५

२९५ पंजाब में छोटे पैमाने का उद्योग . . ३६५

२९६ बरेली में औजारों का कारखाना . . . ३६५

निधन सम्बन्धी उल्लेख ३६५

उपाध्यक्ष महोदय ने श्री एम० श्री रंगा राव के जो दूसरी लोक-सभा के सदस्य थे, निधन का उल्लेख किया।

इसके पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर तक मौन खड़े रहे ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३६८–७४

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये :—

(१) निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति :—

(क) रबड़ अधिनियम, १९४७ की धारा २५ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक ४ मई, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७७४ में प्रकाशित रबड़ (संशोधन) नियम, १९६३ ।

( ) नारियल जटा उद्योग अधिनियम, १९६३ की धारा २६ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक २९ जून, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०८८ में प्रकाशित नारियल-जटा उद्योग (संशोधन) नियम, १९६३ ।

(ग) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत दिनांक ६ जुलाई, १९६३

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—क्रमशः

की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १८८९ में प्रकाशित पटसन के वस्त्र, (नियंत्रण) संशोधन आदेश, १९६३

(घ) वर्ष १९६२–६३ के लिये चाय बोर्ड का वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन ।

(२) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा १५ के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ७ जून, १९६३ का एस० ओ० संख्या १९६५ ।

(ख) दिनांक १८ जुलाई, १९६३ का एस० ओ० संख्या २०४७ ।

(३) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, १९४८ की धारा १३ की उपधारा (३) के अन्तर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ११ मई, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ८००।

(ख) दिनांक २२ जून, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १०२९।

(४) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६२०–क की उपधारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक ८ जून, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९७८ ।

(ख) फ्रांस, अमरीका और ब्रिटेन के सीमेंट उद्योग के बारे में भारतीय उत्पाकता दल का प्रतिवेदन ।

(ग) रूस और कोस्लोवाकिया के मशीन निर्माण उद्योग के बारे में भारतीय उत्पादकता दल का प्रतिवेदन ।

(घ) जापान, अमरीका और ब्रिटेन में किस्म नियंत्रण के बारे में भारतीय उत्पादकता दल का प्रतिवेदन ।

(ङ) जापान, अमरीका और ब्रिटेन में कर्मचारी प्रबन्ध के बारे में भारतीय उत्पादकता दल का प्रतिवेदन ।

(च) पश्चिम जर्मनी, ब्रिटेन और अमरीका में औधोगिक देख रेख के बारे में भारतीय उत्पादकता दल का प्रतिवेदन ।

विषय पृष्ठ

(छ) अमरीका और पश्चिम जर्मनी में मोटर गाड़ी पुर्जा उद्योग के बारे में भारतीय उत्पादकता दल का प्रतिवेदन ।

(ज) पश्चिम जर्मनी, अमरीका और जापान में मशीनी औजार उद्योग के बारे में भारतीय उत्पादकता दल का प्रतिवेदन ।

(५) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १८ मई, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८५७ में प्रकाशित चावल (मध्य प्रदेश) मूल्य नियंत्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, १९६३ ।

(ख) दिनांक १८ मई, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० संख्या ८५८ में प्रकाशित चावल (पंजाब) मूल्य नियंत्रण (तीसरा संशोधन) आदेश, १९६३ ।

(ग) दिनांक १८ जलाई, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १२३४ ।

(घ) दिनांक २७ जुलाई, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १२५२, जिसमें दिनांक १७ मार्च, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३७४ का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है ।

(ङ) दिनांक ३ अगस्त, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२८१ में प्रकाशित रोलर मिल्स गेहूं की चीजें (मूल्य नियंत्रण) संशोधन आदेश, १९६३ ।

(च) दिनांक ३ अगस्त, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२८२ में प्रकाशित दिल्ली रोलर फ्लोर मिल्स गेहूं की चीजें (मल्य नियंत्रण) संशोधन आदेश, १९६३ ।

(६) संविधान के अनुच्छेद ३३८ (२) के अन्तर्गत वर्ष, १९६१–६२ के लिये अनुसूचित जाति तथा अनसूचित आदिमजाति आयुक्त के प्रतिवेदन (भाग १ और २) की एक प्रति ।

(७) (क) श्वेत पत्र संख्या ९, जिसमें भारत और चीन की सरकारों द्वारा जनवरी, १९६३ और जुलाई, १९६३ के बीच एक दूसरे को भेजे गये नोट, ज्ञापन और पत्र दिये हुये हैं ।

विषय पृष्ठ

(ख) प्रधान मंत्री चाऊ एन-लाई का दिनांक २ अगस्त, १९६३ का पत्र ।

(ग) प्रधान मंत्री का दिनांक १४ अगस्त, १९६३ का उत्तर ।

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य ३७४–८१

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने भारत चीन सीमा पर चीनी सेनाओं के जमाव के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

विधेयक पुस्स्थापित ३८१

(१) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (संशोधन) विधेयक, १९६३ ।

(२) सरकारी भूगहादि (अवैध रूप से कब्जा करने वालों का निष्कासन) संशोधन विधेयक, १९६३ ।

विधेयक पारित ३८१–३९०

(१) परिसीमन विधेयक, १९६३ पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार विचार के बाद विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया ।

(२) वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) ने प्रस्ताव किया कि भारतीय उत्प्रवास (संशोधन) विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार विचार के बाद विधेयक पारित किया गया ।

विधेयक विचाराधीन ३९०–९२

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री र० कि० मालवीय) ने प्रस्ताव किया कि लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उपकर (संशोधन) विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन--स्वीकृत ३९२

बाईसवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरस्थापित ३९२–९४

(१) आनन्द-मार्ग विवाह विधेयक, १९६३ (श्री शशि रंजन का)

(२) दिल्ली पंचायत राज (संशोधन) विधेयक १९६३ (धारा १५, २९, ३० आदि का संशोधन) [श्री नवल प्रभाकर का]

विषय पृष्ठ

(३) दिल्ली आंख की पुतली लगाना विधेयक १९६३ [श्री नवल प्रभाकर का]

(४) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक १९६३ (धारा ३२४ और ३२६ का संशोधन और नई धारा ३२४-क और ३२६-क का रखा जाना) [श्री च० का० भट्टाचार्य का]

(५) सरकारी कर्मचारी (सेवा निवृत्ति के बाद सेवा पर प्रतिबन्ध) विधेयक, १९६३ [श्री रा० गि० दुबे का]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—अस्वीकृत . . . ३९४–४००

श्री च० का० भट्टाचार्य के ३ मई, १९६३ को प्रस्तुत किये गये, पुस्तकों और समाचार पत्रों का दिया जाना (सार्वजनिक पुस्तकालय) संशोधन विधेयक १९६२ (धारा २ का संशोधन) पर विचार करने के प्रस्ताव पर अपना भाषण समाप्त किया। विचार करने का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक-विचाराधीन . . . ४०१–४१२

श्री हरिविष्णु कामत ने प्रस्ताव किया कि संविधान (संशोधन) विधेयक १९६३ (अनुच्छेद ३६८ का संशोधन) पर विचार किया जाये। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

शनिवार, १७ अगस्त, १९६३ / २६ श्रावण, १८८५ (शक) के लिए कार्यावलि

लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उप-कर (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में अग्रेतर चर्चा और विधेयक का पारित किया जाना।

आय-व्ययक (सामान्य) १९६३–६४ की अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा और मतदान।

GMGIPND—LS III—874 (ai) LS—4-9-63—160.

लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उप-कर (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . ३९०—९२

श्री र० कि० मालवीय ३९०–९१

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती . . . ३९१–९२

गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकल्पों सम्बन्धी समिति—

बाईसवां प्रतिवेदन ३९२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरस्थापित ३९२

(१) आनन्द-मार्ग विवाह विधेयक [श्री शशि रंजन का] . . ३९२

(२) दिल्ली पंचायत राज (संशोधन) विधेयक (धारा १५, २९, ३० आदि का संशोधन) [श्री नवल प्रभाकर का] . . ३९३

(३) दिल्ली आंख की पुतली लगाना विधेयक [श्री नवल प्रभाकर का] ३९३

(४) भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ३२४ और ३२६ का संशोधन और नई धारा ३२४-क और ३२६-क का रखा जाना) [श्री च० का० भट्टाचार्य का] . . . ३९३

(५) सरकारी कर्मचारी (सेवा निवृत्ति के बाद सेवा पर प्रतिबन्ध) विधेयक [श्री रा० गि० दुबे का] ३९४

पुस्तकों और समाचार-पत्रों का दिया जाना (सार्वजनिक पुस्तकालय) संशोधन विधेयक

(धारा २ का संशोधन) [श्री च० का० भट्टाचार्य का]—अस्वीकृत विचार करने का प्रस्ताव ३९४

श्री च० का० भट्टाचार्य . . . . ३९४—९६

श्री प्रभात कार ३९६

श्री स० मो० बनर्जी ३९७

श्री हरि विष्णु कामत ३९७

श्री हुमायून् कबिर . . . ३९७—४००

संविधान (संशोधन) विधेयक, १९६३ (अनुच्छेद ३६८ का संशोधन)

[श्री हरि विष्णु कामत का]—विचार करने का प्रस्ताव] . . ४०१

श्री हरि विष्णु कामत ४०१

श्री प्र० के० देव . . ४०१–०२

श्री सरजू पाण्डेय ४०२–०३

श्री व० बा० गांधी . ४०३

श्री स० मो० बनर्जी ४०३–०४

डा० मा० श्री अणे ४०४

श्री सिंहासन सिंह . ४०४—०६

श्री च० का० भट्टाचार्य ४०६

श्री बड़े . ४०७—०९

श्री राधेलाल व्यास . . ४०९—११

श्री राम सहाय पाण्डेय . . . ४११–१२

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४१३—४२१

PLS. 41. XIX. 3. 63.
160

© १९६३ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।